जनवरी, 2018

विधि साहित्य प्रकाशन

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

ISSN- 2457-0478

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

© 2018 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा................................ द्वारा मुद्रित ।

सम्पादकीय

इस अंक के पाठकों के अवलोकनार्थ **प्रदीप कुमार शुक्ला** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** (2018) 1 सि. नि. प. 1 वाले मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि ग्राम पंचायत के संकल्प द्वारा खुली बैठक में उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता की नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया और उसकी नियुक्ति का अनुमोदन तहसील स्तर समिति द्वारा और बाद में उप-खंड मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया, तो उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता की नियुक्ति वैध और तर्कसंगत होगी ।

मीनू पाठक (श्रीमती) बनाम **पुनरीक्षण प्राधिकारी/उप-आयुक्त स्टाम्प और अन्य** (2018) 1 सि. नि. प. 16 वाले मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि प्रश्नगत संशोधन विलेख पर पर्याप्त स्टाम्प शुल्क का संदाय किया गया है तो इसे आक्षेपित करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसका प्रश्नगत संशोधन विलेख में हित निहित है और इससे उसका कोई विधिक अधिकार भंग हुआ है ।

मनिन्द्र किशोर पाल बनाम **बादल चन्द दास** (2018) 1 सि. नि. प. 39 वाले मामले में माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत किसी भी विवाद्यक पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बन सकता । यह साक्ष्य सामान्यतः कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है और इस साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए कुछ अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य होने चाहिएं ।

जागो जनता सोसायटी बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** (2018) 1 सि. नि. प. 68 वाले मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि प्रबन्धन की लापरवाही के कारण गौशाला में गायों और बछड़ों की मृत्यु होती है, गायों का इलाज नहीं किया जाता, उनके लिए हरे चारे की व्यवस्था नहीं की जाती, उनका वध किया जाता है और उनकी चोरी की जाती है तो न्यायालय राज्य सरकार और सभी संबंधित प्राधिकरणों को गौशाला की देखरेख का आदेश दे सकता है और राज्य सरकार को गाय को नेपाल की भांति राष्ट्रीय पशु घोषित कराए जाने का निर्देश दे सकती है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **हरबंश और अन्य** (2018) 1 सि. नि. प. 132 वाले मामले में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि वाद में अन्तर्वलित भूमि का अभित्यजन किया जाता है किन्तु अधित्यजनकर्ताओं का भूमि पर न तो स्वामित्व है न ही कब्जा और अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि त्यक्त भूमि पर अधित्यजनकर्ताओं का स्वामित्व और कब्जा नहीं था, तो अधित्यजन अकृत और शून्य होगा ।

अविनाश शुक्ला
संपादक

उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका

जनवरी, 2018

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
जागो जनता सोसायटी **बनाम** राजस्थान राज्य और अन्य	68
प्रदीप कुमार शुक्ला **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य	1
मनिन्द्र किशोर पाल **बनाम** बादल चन्द दास	39
मीनू पाठक (श्रीमती) **बनाम** पुनरीक्षण प्राधिकारी/उप-आयुक्त स्टाम्प और अन्य	16
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** हरबंश और अन्य	132

संसद् के अधिनियम

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 – 21

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियम, 1947

– नियम 46, 46क और 46ख – उचित कीमत दुकान का आबंटन – अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के संकल्प द्वारा खुली बैठक में उचित कीमत दुकान अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया और इस चयन का अनुमोदन तहसील स्तर समिति और बाद में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा किया, अतः न्यायालय उचित कीमत दुकान अभिकर्ता की नियुक्ति को वैध और तर्कसंगत पाता है ।

प्रदीप कुमार शुक्ला बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** 1

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26)

– धारा 138 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45] – चेक का अनादरण – हस्तलेख विशेषज्ञ – चेक पर किए गए हस्ताक्षर का विवाद – हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत किसी भी विवाद्यक पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बन सकता, यह साक्ष्य सामान्यतः कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है और इस साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए कुछ अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधिक साक्ष्य होने चाहिए ।

मनिन्द्र किशोर पाल बनाम **बादल चन्द दास** 39

राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1985

– हिंगौनिया गौशाला के संबंध में याचिका फाइल किया जाना – गौशाला में गायों और बछड़ों की मृत्यु होना – प्रबंधन द्वारा लापरवाही का होना – प्रतिदिन 15-20 गायों की मृत्यु होना – गायों का उपचार न होना – हरे चारे की कमी होना – गायों का वध किया जाना – गायों का चोरी होना – जीवित गायों की दशा अत्यंत खराब होना – हिंगौनिया गौशाला को हरे कृष्णा ट्रस्ट द्वारा गोद लिए जाने से गायों की स्थिति पहले से अच्छी होना – न्यायालय ने राज्य सरकार और सभी संबंधित प्राधिकरणों को

पृष्ठ संख्या

हिंगौनिया गौशाला की देखरेख करने का आदेश दिया है और राज्य सरकार से नेपाल की भांति गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की सिफारिश करने का निर्देश दिया है ।

जागो जनता सोसायटी बनाम **राजस्थान राज्य और अन्य** 68

संविधान, 1950

– अनुच्छेद 226 [सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3, 10, 33/47क, 29, 48 और 56] – रिट याचिका – संशोधन विलेख – प्रभार्य स्टाम्प शुल्क – आक्षेप – प्रश्नगत संशोधन विलेख में विधिक अधिकार और हित निहित नहीं होना – किसी विधिक अधिकार का भंग नहीं होना – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि प्रश्नगत संशोधन विलेख पर पर्याप्त तौर पर स्टाम्प शुल्क लगा हुआ है तो इसे आक्षेपित करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसका प्रश्नगत संशोधन विलेख में हित निहित है और इससे उसका कोई विधिक अधिकार भंग हुआ है अर्थात् उसे व्यथित व्यक्ति होना चाहिए ।

मीनू पाठक (श्रीमती) बनाम **पुनरीक्षण प्राधिकारी/उप-आयुक्त स्टाम्प और अन्य** 16

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)

– धारा 100 [सपठित हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 31] – द्वितीय अपील – वाद भूमि का त्यजन – त्यजनकर्ताओं का वाद में स्वामित्व और कब्जा नहीं होना – त्यजन अकृत और शून्य होना – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि त्यक्त भूमि पर त्यजनकर्ता का स्वामित्व और कब्जा नहीं था तो ऐसा त्यजन अकृत और शून्य होगा ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **हरबंश और अन्य** 132

प्रदीप कुमार शुक्ला

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

तारीख 22 मार्च, 2017

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केशरवानी

उत्तर प्रदेश पंचायतराज नियम, 1947 – नियम 46, 46क और 46ख – उचित कीमत दुकान का आबंटन – अभिलेख पर उपलब्ध पर्याप्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत के संकल्प द्वारा खुली बैठक में उचित कीमत दुकान अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति का प्रस्ताव पारित किया गया और इस चयन का अनुमोदन तहसील स्तर समिति और बाद में उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा किया, अतः न्यायालय उचित कीमत दुकान अभिकर्ता की नियुक्ति को वैध और तर्कसंगत पाता है ।

वर्तमान मामले के तथ्य ये हैं कि जिला बस्ती में बड़ी संख्या में उचित कीमत की दुकानें परिसीमन के कारण नई ग्राम पंचायत के सृजन के कारण रिक्त पड़ी थीं । आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुकर बनाए जाने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा उचित कीमत की दुकानों के अभिकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया को शासनादेश सं. 17 अगस्त, 2002 द्वारा उपबंधित किया गया है । विकास खण्ड को एक यूनिट मानते हुए तहसील में आरक्षण की व्यवस्था की गणना की जाएगी । प्रत्येक विकास खण्ड में कुल स्वीकृत दुकानों में प्रस्तर संख्या 2 एवं 3 के अनुसार आरक्षण की गणना तथा चिह्नीकरण किया जाएगा । जनसंख्या के अवरोही क्रम (डिसंडिग आर्डर) के अनुसार जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधानों के पदों में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, उसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था दुकानों के चिह्नांकन में लागू की जाएगी । ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु यही मुख्य आधार होगा । ग्राम सभाओं के उपर्युक्तानुसार चिह्नांकन के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र में राशन दुकानों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पास करके किया जाएगा । तथा नामों का पैनल उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित

समिति को नियुक्ति हेतु किया जाएगा । यदि अभ्यर्थियों की संख्या तीन से कम है तो पैनल में दो अथवा एक नाम भी भेजा जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में यथासम्भव प्रत्येक ग्राम सभा में एक राशन की दुकान होगी और यदि ग्राम सभा में चार हजार यूनिट से अधिक हों तो एक से अधिक दुकान नियुक्त किए जाने पर विचार किया जा सकता है । उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – ऐसा प्रतीत होता है कि जिला स्तरीय चयन समिति ने मामले पर विचार किया और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उन ग्राम पंचायतों के लिए अभिकर्ताओं के आवेदन लाटरी से अपवर्जित कर दिए जाएंगे जहां ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी खुली बैठकों में चयन किए हैं, तारीख 8 अगस्त, 2016 के विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए । कुल 229 उचित कीमत की दुकानें रिक्त थीं । खंड विकास अधिकारी ने 84 उचित कीमत की दुकानों के विवरण उपलब्ध कराए थे जिनकी बाबत ग्राम पंचायतों ने खुली बैठकों में उचित कीमत की दुकानों के लिए अभिकर्ताओं का चयन किया था । अतः 145 ग्राम पंचायतें लाटरी द्वारा अभिकर्ताओं के चयन के लिए विचारित किए जाने योग्य थीं । 15 उचित कीमत की दुकानों के लिए मात्र एक आवेदन प्राप्त किया गया था और इस प्रकार उन 15 उचित कीमत की दुकानों के लिए लाटरी की आवश्यकता नहीं थी । 8 ग्राम पंचायतों की उचित कीमत की दुकानों के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया गया था । अतः विभिन्न जिला पंचायतों में 122 उचित कीमत की दुकानें तारीख 8 अगस्त, 2016 के विज्ञापन के अनुसरण में जिला स्तरीय समिति द्वारा लाटरी के माध्यम से अभिकर्ताओं के चयन के लिए विचारित किए जाने योग्य थीं, जिनमें प्रश्नगत ग्राम पंचायत अर्थात् ग्राम पंचायत अमाई पार भी सम्मिलित थी जहां तारीख 8 अगस्त, 2016 को खुली बैठक हुई थी और उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी सं. 7 के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया था । ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का अनुमोदन तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया गया था और नियुक्ति पत्र बस्ती के उपखंड मजिस्ट्रेट सदर द्वारा जारी किया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि अनवधानतावश ग्राम पंचायत अमाई पार की उचित कीमत की दुकान लाटरी द्वारा उचित कीमत की दुकानों की अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय समिति के विचारण के लिए ग्राम पंचायत की सूची से अपवर्जित नहीं की जा सकी थी । इन परिस्थितियों में जब यह त्रुटि प्राधिकारियों के संज्ञान में आई तो उसको दुरुस्त किया गया और प्रत्यर्थी सं. 7 की नियुक्ति, जो जिला पंचायत द्वारा खुली बैठक में उसके चयन के आधार पर की गई थी,

को जारी रखा गया जो किसी अवैधता से ग्रसित नहीं है । याची के विद्वान् काउंसेल का निवेदन यह है कि यदि एक बार याची का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2016 के विज्ञापन के अनुसरण में तारीख 4 अक्तूबर, 2016 की अपनी बैठक में कर लिया गया है, को प्रत्यर्थी सं. 7 का चयन पूर्णतः विधि और अधिकारिता के प्राधिकार के बिना है और उसमें कोई सार नहीं है । ग्राम पंचायतों को भारत के संविधान के अन्तर्गत संवैधानिक हैसियत प्रदान की गई है । ग्राम पंचायतों के उचित कीमत की दुकानों के अभिकर्ताओं के चयन का सामान्य तरीका ग्राम पंचायत के सदस्यों के बहुसंख्यक मत के आधार पर होता है । किसी अभिकर्ता के चयन के लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में सदस्यों का मत लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है । लाटरी द्वारा या अन्यथा किसी अन्य रीति द्वारा किसी अधिकारी की पसन्द सामान्यतया उचित कीमत की दुकानों के अभिकर्ताओं के चयन के लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए बहुसंख्यक विचार पर अध्यारोही प्रभाव नहीं रख सकती । तारीख 17 अगस्त, 2002 के सरकारी आदेश के अनुसार किसी ग्राम पंचायत की उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के चयन की सामान्य प्रक्रिया ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव पर आधारित होती है । ऐसा केवल दुर्लभ परिस्थितियों और सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप होता कि कोई उचित कीमत की दुकान का अभिकर्ता लाटरी द्वारा नियुक्त कर दिया जाए । यदि अभिलेख पर इस बाबत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि प्रत्यर्थी सं. 7 का नाम ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव द्वारा उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया था, तो तहसील स्तरीय समिति द्वारा उसके चयन का अनुमोदन और परिणामस्वरूप उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी नियुक्ति पूर्णतया विधिमान्य है । वर्तमान मामले में, ऐसा केवल मानवीय त्रुटि के कारण हुआ कि लाटरी द्वारा उचित कीमत की दुकानों के अभिकर्ताओं के चयन के लिए तैयार की गई सूची में ग्राम पंचायत अमाई पार का नाम भी सम्मिलित था जहां उचित कीमत की दुकान का अभिकर्ता तारीख 31 अगस्त, 2016 को ग्राम पंचायत द्वारा अपनी खुली बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार पहले ही नियुक्त किया जा चुका था । उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय प्रत्यर्थी सं. 7 के उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं पाता । यह रिट याचिका पूर्णतया भ्रमपूर्ण है और इसलिए खारिज की जाती है । (पैरा 8, 9 और 10)

आरंभिक रिट अधिकारिता : 2016 की सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 61176.

संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत रिट याचिका ।

याची की ओर से सर्वश्री सुधीर दीक्षित और अजय कुमार उपाध्याय

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री अतुल कुमार और धर्म देव चौहान, मुख्य स्थायी काउंसेल

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी – याची के विद्वान् काउंसेल, राज्य प्रत्यर्थियों के विद्वान् स्थायी काउंसेल और प्रत्यर्थी सं. 7 के विद्वान् काउंसेल को सुना । प्रत्यर्थी सं. 6 की ओर से दुबारा पुकार कराए जाने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

निवेदन

2. याची के विद्वान् काउंसेल का निवेदन है कि जब एक बार तारीख 8 अगस्त, 2016 को लाटरी द्वारा उचित कीमत दुकान के निपटारे के लिए विज्ञापन प्रकाशित कर दिया गया, तो ग्राम पंचायत द्वारा उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के चयन के लिए खुली बैठक की पश्चात्वर्ती कार्यवाही और प्रत्यर्थी सं. 4 और 5 द्वारा उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के निष्पक्ष चयन का अनुमोदन पूर्णतया बिना अधिकारिता और बिना विधि के प्राधिकार के है । राज्य प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन नहीं है कि तारीख 8 अगस्त, 2016 का विज्ञापन अवैध था और इस प्रकार जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा तारीख 4 अक्तूबर, 2016 की बैठक में लाटरी द्वारा याची के चयन को प्रभावी किया जाना चाहिए । इसलिए, याची ग्राम पंचायत अमाई पार, विकास खंड कुदराह, तहसील सदर, जिला बस्ती में उचित कीमत की दुकान के आबंटन का हकदार है । दो सामानांतरण कार्यवाहियों द्वारा अर्थात् जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा और प्रश्नगत ग्राम पंचायत की बैठक द्वारा उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता का चयन नहीं किया जा सकता ।

3. विद्वान् स्थायी काउंसेल ने निवेदन किया कि ग्राम पंचायत अमाई पार की बैठक विधिमान्य ढंग से जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक के पूर्व आयोजित की गई थी । जिला स्तरीय से समिति ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसरण में तारीख 31 अगस्त, 2016 को निर्णय लिया जिसके द्वारा प्रतिवादी सं. 7 को ग्राम पंचायत अमाई पार की उचित कीमत, मूल्य

की दुकान के अभिकर्ता के रूप में नियुक्त कर दिया गया । अनवधानतावश प्रश्नगत ग्राम पंचायत का नाम जिले की ग्राम पंचायतों की अस्थिरीकृत उचित कीमत की दुकानों की सूची से हटाया नहीं जा सका और जब यह त्रुटि संज्ञान में आई तो उसको दुरुस्त कर दिया गया । उसने निवेदन किया कि सामान्यतः उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता का चयन खुली बैठक में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के अनुसरण में किया जा सकता था । किसी ग्राम पंचायत द्वारा खुली बैठक में उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के चयन का प्रस्ताव लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है जो सदैव किसी व्यक्तिगत अधिकारी की पसंद के ऊपर अभिभावी होगी ।

चर्चा और निष्कर्ष

4. मैंने, पक्षों के विद्वान् काउंसेल के निवेदनों पर सतर्कतापूर्वक विचार किया ।

5. संक्षेप में, वर्तमान मामले के तथ्य ये हैं कि जिला बस्ती में बड़ी संख्या में उचित कीमत की दुकानें परिसीमन के कारण नई ग्राम पंचायत के सृजन के कारण रिक्त पड़ी थीं । आवश्यक वस्तुओं के वितरण को सुकर बनाए जाने के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा उचित कीमत की दुकानों के अभिकर्ताओं के चयन की प्रक्रिया को शासनादेश सं. 17 अगस्त, 2002 द्वारा उपबंधित किया गया है जो इस प्रकार है :–

"प्रेषक,

श्री खंजन लाल,

प्रमुख सचिव,

उ. प्र. शासन ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी

   उत्तर प्रदेश ।

2. समस्त, जिलापूर्ति अधिकारी,

   उत्तर प्रदेश ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 17 अगस्त, 2002

विषय :– सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र

की उचित कीमत की दुकानों के आबंटन में वर्तमान आरक्षण व्यवस्था कार्यान्वित किए जाने हेतु आबंटन प्रारम्भ किए जाने हेतु नीति-निर्देश ।

महोदय,

(1) उपरोक्त के संबंध में शासनादेश संख्या-112/29-6-2002-162 सा./2001, दिनांक 10 जनवरी, 2001 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा राशन की दुकानों/पेटी डीजल डीलर्स की नियुक्ति/आबंटन को स्थगित रखने के निर्देश दिए गए थे ।

(2) इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 919/सत्रह-वि-1-2(क)-3-2002, दिनांक 6 जून, 2002 को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या-2227/29-6-2001-162सा./2001, दिनांक 9 अक्तूबर, 2001 को अतिक्रमित करते हुए उचित कीमत की दुकानों के आबंटन/चयन हेतु निम्न आरक्षण व्यवस्था तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित/लागू की जाती है –

1. अनुसूचित जाति - 21 प्रतिशत
2. अनुसूचित जनजाति - 02 प्रतिशत
3. अन्य पिछड़े वर्ग - 27 प्रतिशत

(3) उपर्युक्तानुसार आरक्षित श्रेणियों में निम्नलिखित होरिजेन्टल आरक्षण भी अनुमन्य होगा –

(क) सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी की महिलाओं को 20 प्रतिशत ।

(ख) सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के लड़ाई में मारे गए सैनिक के परिवार के सदस्य, लड़ाई में घायल हुए सैनिक के परिवार के सदस्य, भूतपूर्व सैनिक 8 प्रतिशत ।

(ग) सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनकी पत्नी को 5 प्रतिशत ।

(घ) सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के विकलांग व्यक्तियों को 2 प्रतिशत ।

इस शासनादेश के अनुसार वर्तमान में रिक्त दुकानों में आरक्षण के प्रतिशत का ध्यान रखा जाएगा किन्तु उक्त प्रतिशत को पूर्ण करने

के लिए वर्तमान में चल रही दुकानों को निरस्त नहीं किया जाएगा। यदि कोई दुकान किसी कारणवश निरस्त होती है तब उस पर नई नियुक्ति के समय इस शासनादेश के अनुसार आरक्षण पूर्ण करने की कार्यवाही की जाएगी –

(1) विकास खण्ड को एक यूनिट मानते हुए तहसील में आरक्षण की व्यवस्था की गणना की जाएगी। प्रत्येक विकास खण्ड में कुल स्वीकृत दुकानों में प्रस्तर संख्या 2 एवं 3 के अनुसार आरक्षण की गणना तथा चिह्नीकरण किया जाएगा।

(2) जनसंख्या के अवरोही क्रम (डिसंडिग आर्डर) के अनुसार जिस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम प्रधानों के पदों में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है, उसी प्रकार आरक्षण की व्यवस्था दुकानों के चिह्नांकन में लागू की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों में आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु यही मुख्य आधार होगा।

(3) वर्तमान में कार्यरत दुकानों की यथास्थिति बनाए रखते हुए जितनी रिक्तियां हैं उनमें आरक्षण की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

(क) कुल स्वीकृत दुकानों के सापेक्ष आरक्षण 50 प्रतिशत तक ही किया जाएगा।

(ख) भविष्य में आरक्षित श्रेणी के अन्तर्गत चिह्नित दुकानें जैसे-जैसे रिक्त होती जाएगी, उनका आबंटन उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को किया जाएगा।

(4) इस संबंध में दिनांक 3.7.90 के शासनादेश संख्या 3967/29-खाद्य-6 में दी गई शर्तें भी प्रभावी होंगी और यदि उपर्युक्त शासनादेश की शर्तें तथा वर्तमान शासनादेश की किसी शर्त/प्रतिबन्ध में विरोधाभास हो तो वर्तमान शासनादेश की शर्तें एवं प्रतिबन्ध प्रभावी होंगे।

(5) ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकानों के आबंटन हेतु नियमानुसार गठित तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा।

1. उप जिलाधिकारी - अध्यक्ष
2. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी - सदस्य
3. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी - सदस्य

जाति का एक-एक अधिकारी जो जिलाधिकारी द्वारा नामित किया जाए (यदि उपर्युक्त अधिकारियों में से कोई इस वर्ग का हो तो अलग से नामांकन करने की आवश्यकता नहीं होगी)

4. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी -सदस्य/संयोजक

(6) इस शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्तानुसार विकास खण्ड की वर्गवार कुल रिक्त दुकानों की संख्या निर्धारित तथा चिह्नांकित की जाएगी तथा होरिजेन्टल आरक्षण के अन्तर्गत महिला, लड़ाई में मारे गए सैनिक परिवार के सदस्य/घायल सैनिक अथवा उसके परिवार के सदस्य, भूतपूर्व सैनिक, स्वतन्त्रता सेनानी उनकी पत्नी तथा विकलांग व्यक्तियों के आरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का चिह्नांकन निर्धारित प्रतिशत एक लाटरी पद्धति के आधार पर ही किया जाएगा । प्रस्तर-3 के "क" "ख" "ग" "घ" हेतु प्रत्येक के लिए क्रमवार एक-एक पर्ची तब तक निकाली जाएगी जब तक निर्धारित आरक्षण पूर्ण नहीं हो जाता ।

(7) ग्राम सभाओं के उपर्युक्तानुसार चिह्नांकन के पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र में राशन दुकानों का चयन ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव पास करके किया जाएगा । तथा नामों का पैनल उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को नियुक्ति हेतु किया जाएगा । यदि अभ्यर्थियों की संख्या तीन से कम है तो पैनल में दो अथवा एक नाम भी भेजा जा सकता है । ग्रामीण क्षेत्रों में यथासम्भव प्रत्येक ग्राम सभा में एक राशन की दुकान होगी और यदि ग्राम सभा में चार हजार यूनिट से अधिक हों तो एक से अधिक दुकान नियुक्त किए जाने पर विचार किया जा सकता है ।

(8) किसी भी आरक्षित श्रेणी की स्थिति उसी श्रेणी के अभ्यर्थियों से ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी परन्तु किसी भी दशा में उक्त रिक्त अनारक्षित नहीं की जाएगी ।

(9) अनारक्षित ग्राम सभाओं हेतु किसी भी वर्ग का अभ्यर्थी निर्धारित औपचारिकताओं को पूर्ण करके आवेदन कर सकता है ।

(10) ग्रामीण क्षेत्र में राशन की दुकानों का चयन निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताओं एवं शर्तों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा ।

(क) अभ्यर्थी के खातों में कम से कम 40 हजार रुपया उपलब्ध हो ताकि वह अपनी दुकान को आबंटित एक माह की

सामग्री का एक बार में उठान करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हो ।

(ख) सामान्य ख्याति अच्छी हो ।

(ग) शिक्षित हो ताकि वह दुकान का हिसाब किताब सही रूप से रख सके ।

(घ) अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामले पंजीकृत न हों और न ही वह किसी आपराधिक मामले में दण्डित किया गया हो ।

(ङ) अभ्यर्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो और परिवार में किसी अन्य सदस्य के नाम कोई दुकान आबंटित न हो ।

(च) दुकानदार स्थानीय निवासी हो ।

(छ) अभ्यर्थी द्वारा 100/- रुपए की अर्नेस्ट मनी का चेक ड्राफ्ट जिलापूर्ति अधिकारी के पक्ष में जमा किया जाएगा । उपरोक्त अर्नेस्ट मनी दुकानों के आबंटन की स्थिति में प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जाएगी ।

(ज) दुकानों की नियुक्ति की स्थिति में अभ्यर्थी को 5,000/- रुपए की प्रतिभूति जमा करनी होगी तथा 100/- रुपए का नानजुडिशियल स्टाम्प पेपर लगाना होगा । यह प्रतिभूति केवल नए नियुक्ति होने वाले दुकान के अभ्यर्थियों से ली जाएगी । जिनकी दुकान पूर्व से ही नियुक्त है और संचालित है उनसे नए दर पर प्रतिभूति नहीं जमा करवाई जाएगी ।

(झ) यदि दुकानदार अच्छी ख्याति का हो तो उसकी मृत्यु के उपरान्त दुकान का आबंटन उसके आश्रित को करने पर विचार किया जा सकता है । आश्रित का तात्पर्य पत्नी, पुत्र तथा अविवाहित पुत्री से है ।

(11) ग्रामीण क्षेत्र में जहां ग्राम सभा प्रस्ताव नहीं पारित करती है अथवा जहां-जहां प्रस्ताव में विवाद उत्पन्न हो जाता है जनहित में ऐसे ग्राम सभा के लिए जिलाधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह शासनादेशों के निर्देशों के अनुसार उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर दुकान के आबंटन का निर्देश दे सकते हैं ।

(12) जिलापूर्ति अधिकारी को यह अधिकार होगा कि ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों का निरीक्षण तथा नियमितता पाए जाने पर दुकानदारों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही कर सकते हैं ।

(13) विवरण में अनियमितता पाए जाने पर राशन की दुकान नजदीकी ग्राम सभा की दुकानदार से सम्बद्ध की जाएगी । जिस पूर्व ग्राम सभा में दुकान कार्यशील थी उसी ग्राम सभा के प्रधान पर नियत स्थल/तिथि को सम्बद्ध दुकानदार द्वारा खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल का मासिक वितरण सुनिश्चित कराया जाएगा । दोनों ग्राम सभाओं में आवश्यक सामग्री का वितरण करने हेतु नियत दिवसों में सम्बन्धित उप जिलाधिकारी को समायोजन की अनुमति देने का अधिकार होगा ।

(14) शासनादेश तारीख 9 अक्तूबर, 2001 के परिपालन में अनारक्षित वर्ग हेतु यदि चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई थी तो उन रिक्तियों को चयन/आबंटन की प्रक्रिया में पुनः सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(15) चूंकि शासन स्तर पर उपलब्ध सूचनानुसार प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में वर्तमान में उचित कीमत की दुकान रिक्त चल रही है जिससे उपभोक्ताओं को सही समय पर खाद्यान्न एवं अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराने में कठिनाई हो रही है, अतएव जनहित में इन रिक्तियों को शीघ्र भरा जाना नितान्त आवश्यक है ।

भवदीय

ह.अ.

(खंजन लाल)

प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ. प्र.
3. समस्त सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, उ. प्र.

4. समस्त सहायक आयुक्त (खाद्य), उ. प्र.

5. समस्त उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, उ. प्र.

आज्ञा से -

ह. अ.

(नरेन्द्र कुमार चौधरी)

विशेष सचिव ।"

6. पूर्वोक्त शासनादेश का अनुसरण तारीख 27 दिसम्बर, 2004 के एक अन्य शासनादेश द्वारा किया गया था जिसको तारीख 28 जुलाई, 2008 के शासनादेश द्वारा दोहराया गया, जो निम्नलिखित है :–

"संख्या-2572/29-6-08-162सा/01

प्रेषक,

जैकब थामस,

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

2. समस्त जिलापूर्ति अधिकारी,

उत्तर प्रदेश ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 28 जुलाई, 2008

विषय – सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की रिक्त उचित कीमत दुकानों को भरे जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-सी.एम.60/29-6-07-162सा/01, दिनांक 10 अगस्त, 2007 एवं तत्सम्बन्धी अनुस्मारक पत्र संख्या-2314/29-6-08-162सा/01, तारीख 10 जुलाई, 2008 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके अन्तर्गत ग्रामीण तथा

नगरीय क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आरक्षित वर्ग की रिक्त दुकानों को, समयबद्ध तरीके से भरने के निर्देश दिए गए हैं ।

2. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आए हैं कि प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्राम पंचायतों द्वारा दुकान के भरने हेतु प्रस्ताव पारित न करने के कारण दुकानों की रिक्तियां पूर्ण नहीं हो पा रही हैं । इस प्रकार की कठिनाई के निराकरण हेतु शासनादेश संख्या-4463/29-6-07-300सा/03टीसी, दिनांक 27 दिसम्बर, 2004 द्वारा रिक्तियों को भरने के सम्बन्ध में समस्त शासनादेशों को संशोधित करते हुए यह प्रक्रिया निर्धारित की गई कि **यदि निर्धारित समय में उचित कीमत दुकानों का निलम्बन/निरस्तीकरण के उपरान्त सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा दुकान की नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो जिलापूर्ति अधिकारियों को अधिकृत किया जाता है कि वे स्वयं शासनादेश में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार रिक्त उचित कीमत दुकान की रिक्ति के संबंध में कार्यवाही पूर्ण कराकर ग्राम पंचायत हेतु दुकान नियुक्त करके अनुबन्ध पत्र भरा लें, परन्तु इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित किया जाना होगा कि सम्बन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा समयान्तर्गत नई दुकान की नियुक्ति नहीं की गई और निर्धारित समय बीत गया है ।** उक्त शासनादेश अभी भी प्रभावी है ।

3. अतः अनुरोध है कि उक्त शासनादेश के प्रकाश में रिक्त दुकानों को भरने की कार्यवाही करते हुए शासन द्वारा निर्धारित अवधि तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय
ह.
(जैकब थामस)
प्रमुख सचिव

संख्या तथा दिनांक तदैव :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. आयुक्त खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

3. समस्त उपायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

4. गार्ड बुक ।

आज्ञा से -

ह.

(चन्द्र प्रकाश)

विशेष सचिव ।"

7. तारीख 17 अगस्त, 2002 के सरकारी आदेश में स्पष्टतः ग्राम पंचायत में खुली बैठक में प्रस्ताव पारित किए जाने के द्वारा गांवों में उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के निष्कर्ष चयन के लिए उपबंधित किया गया है । लोक हित में इस सामान्य नियम का एक सीमित अपवाद उपरोक्त सरकारी आदेश के पैरा 11 में उपबंधित किया गया है जो जिला मजिस्ट्रेट को उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता में सरकारी आदेश, जिसके अधीन ग्राम पंचायत या तो कोई प्रस्ताव पारित नहीं करती या जहां विवाद उत्पन्न होता है प्रस्ताव पारित करती है, के अनुसार गठित समिति की सिफारिश पर उचित कीमत की दुकान के आबंटन के लिए निर्देशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता है । जिला मजिस्ट्रेट या उप जिला अधिकारी की अध्यक्षता के अधीन गठित समिति को इन दो परिस्थितियों के अतिरिक्त 1947 के उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के नियम 46, 46क और 46ख को सम्मिलित करते हुए कानूनी उपबंधों के अनुसार खुली बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित किए बिना किसी ग्राम पंचायत में उचित कीमत की दुकान के आबंटन का कोई अधिकार नहीं । विधिक स्थिति, जैसा कि ऊपर वर्णित है, को स्पष्ट करने के पश्चात् मैं प्रत्यर्थी सं. 7 की नियुक्ति की विधिमान्यता का परीक्षण करने के लिए अग्रसर होता हूं ।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि जिला स्तरीय चयन समिति ने मामले पर विचार किया और इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए कि उन ग्राम पंचायतों के लिए अभिकर्ताओं के आवेदन लाटरी से अपवर्जित कर दिए जाएंगे जहां ग्राम पंचायतों द्वारा अपनी खुली बैठकों में चयन किए हैं, तारीख 8 अगस्त, 2016 के विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित किए । कुल 229 उचित कीमत की दुकानें रिक्त थीं । खंड विकास अधिकारी ने 84 उचित कीमत की दुकानों के विवरण उपलब्ध कराए थे जिनकी बाबत ग्राम पंचायतों ने खुली बैठकों में उचित कीमत की दुकानों के लिए अभिकर्ताओं का चयन किया था ।

अतः 145 ग्राम पंचायतें लाटरी द्वारा अभिकर्ताओं के चयन के लिए विचारित किए जाने योग्य थीं । 15 उचित कीमत की दुकानों के लिए मात्र एक आवेदन प्राप्त किया गया था और इस प्रकार उन 15 उचित कीमत की दुकानों के लिए लाटरी की आवश्यकता नहीं थी । 8 ग्राम पंचायतों की उचित कीमत की दुकानों के लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं किया गया था । अतः विभिन्न जिला पंचायतों में 122 उचित कीमत की दुकानें तारीख 8 अगस्त, 2016 के विज्ञापन के अनुसरण में जिला स्तरीय समिति द्वारा लाटरी के माध्यम से अभिकर्ताओं के चयन के लिए विचारित किए जाने योग्य थीं, जिनमें प्रश्नगत ग्राम पंचायत अर्थात् ग्राम पंचायत अमाई पार भी सम्मिलित थी जहां तारीख 8 अगस्त, 2016 को खुली बैठक हुई थी और उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी सं. 7 के नाम का प्रस्ताव पारित किया गया था । ग्राम पंचायत के प्रस्ताव का अनुमोदन तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया गया था और नियुक्ति पत्र बस्ती के उपखंड मजिस्ट्रेट सदर द्वारा जारी किया गया था । ऐसा प्रतीत होता है कि अनवधानतावश ग्राम पंचायत अमाई पार की उचित कीमत की दुकान लाटरी द्वारा उचित कीमत की दुकानों की अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए जिला स्तरीय समिति के विचारण के लिए ग्राम पंचायत की सूची से अपवर्जित नहीं की जा सकी थी । इन परिस्थितियों में जब यह त्रुटि प्राधिकारियों के संज्ञान में आई तो उसको दुरुस्त किया गया और प्रत्यर्थी सं. 7 की नियुक्ति, जो जिला पंचायत द्वारा खुली बैठक में उसके चयन के आधार पर की गई थी, को जारी रखा गया जो किसी अवैधता से ग्रसित नहीं है ।

9. याची के विद्वान् काउंसेल का निवेदन यह है कि यदि एक बार याची का चयन जिला स्तरीय समिति द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2016 के विज्ञापन के अनुसरण में तारीख 4 अक्तूबर, 2016 की अपनी बैठक में कर लिया गया है, को प्रत्यर्थी सं. 7 का चयन पूर्णतः विधि और अधिकारिता के प्राधिकार के बिना है और उसमें कोई सार नहीं है । ग्राम पंचायतों को भारत के संविधान के अन्तर्गत संवैधानिक हैसियत प्रदान की गई है । ग्राम पंचायतों के उचित कीमत की दुकानों के अभिकर्ताओं के चयन का सामान्य तरीका ग्राम पंचायत के सदस्यों के बहुसंख्यक मत के आधार पर होता है । किसी अभिकर्ता के चयन के लिए ग्राम पंचायत की खुली बैठक में सदस्यों का मत लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है । लाटरी द्वारा या अन्यथा किसी अन्य रीति द्वारा किसी अधिकारी की पसन्द सामान्यतया उचित कीमत की दुकानों के अभिकर्ताओं के चयन के लिए ग्राम पंचायत

की खुली बैठक में ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए बहुसंख्यक विचार पर अध्यारोही प्रभाव नहीं रख सकती । तारीख 17 अगस्त, 2002 के सरकारी आदेश के अनुसार किसी ग्राम पंचायत की उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के चयन की सामान्य प्रक्रिया ग्राम पंचायत की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव पर आधारित होती है । ऐसा केवल दुर्लभ परिस्थितियों और सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप होता कि कोई उचित कीमत की दुकान का अभिकर्ता लाटरी द्वारा नियुक्त कर दिया जाए । यदि अभिलेख पर इस बाबत पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि प्रत्यर्थी सं. 7 का नाम ग्राम पंचायत की खुली बैठक में प्रस्ताव द्वारा उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया गया था, जो तहसील स्तरीय समिति द्वारा उसके चयन का अनुमोदन और परिणामस्वरूप उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी नियुक्ति पूर्णतया विधिमान्य है । वर्तमान मामले में, ऐसा केवल मानवीय त्रुटि के कारण हुआ कि लाटरी द्वारा उचित कीमत की दुकानों के अभिकर्ताओं के चयन के लिए तैयार की गई सूची में ग्राम पंचायत अमाई पार का नाम भी सम्मिलित था जहां उचित कीमत की दुकान का अभिकर्ता तारीख 31 अगस्त, 2016 को ग्राम पंचायत द्वारा अपनी खुली बैठक में पारित प्रस्ताव के अनुसार पहले ही नियुक्त किया जा चुका था ।

10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं प्रत्यर्थी सं. 7 के उचित कीमत की दुकान के अभिकर्ता के रूप में नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं पाता । यह रिट याचिका पूर्णतया भ्रमपूर्ण है और इसलिए खारिज की जाती है ।

11. परिणामस्वरूप रिट याचिका विफल होती है और तद्द्वारा खारिज की जाती है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

अवि.

मीनू पाठक (श्रीमती)

बनाम

पुनरीक्षण प्राधिकारी/उप-आयुक्त स्टाम्प और अन्य

तारीख 17 अप्रैल, 2017

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी

संविधान, 1950 – अनुच्छेद 226 [सपठित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 3, 10, 33/47क, 29, 48 और 56] – रिट याचिका – संशोधन विलेख – प्रभार्य स्टाम्प शुल्क – आक्षेप – प्रश्नगत संशोधन विलेख में विधिक अधिकार और हित निहित नहीं होना – किसी विधिक अधिकार का भंग नहीं होना – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि प्रश्नगत संशोधन विलेख पर पर्याप्त तौर पर स्टाम्प शुल्क लगा हुआ है तो इसे आक्षेपित करने वाले व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि उसका प्रश्नगत संशोधन विलेख में हित निहित है और इससे उसका कोई विधिक अधिकार भंग हुआ है अर्थात् उसे व्यथित व्यक्ति होना चाहिए ।

वर्तमान मामले में, तथ्य ये हैं कि श्री आनन्द पाठक और श्रीमती अनुराधा पाठक (प्रत्यर्थी सं. 3 और 4) ने श्रीमती आशा पाठक (प्रत्यर्थी सं. 5) के पक्ष में तारीख 5 मार्च, 2012 को एक विक्रय-विलेख निष्पादित किया है । प्रत्यर्थी सं. 3, 4 और 5 के अनुसार, उक्त विक्रय-विलेख में असावधानी से ग्राम नागवा, परगना, तहसील और जिला बलिया में स्थित 0.016 हेक्टेयर क्षेत्र में से खसरा भूखंड संख्या 477 माप 0.013 हेक्टेयर और खसरा भूखंड संख्या 480, माप 0.004 हेक्टेयर के बजाय खसरा भूखंड संख्या 1916, माप 0.016 हेक्टेयर उल्लिखित हो गया है । इस प्रकार, तारीख 5 मार्च, 2012 के पूर्वोक्त विक्रय-विलेख के अधीन कुल भूमि 0.016 हेक्टेयर का विक्रय किया गया था । सीमाएं सही तौर पर विक्रय-विलेख में दर्शित की गई हैं किन्तु खसरा भूखंड संख्या 1916 का भूलवश खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 के बजाय उल्लेख हो गया है । तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 ने पृथक् भूखंड जिनमें खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 सम्मिलित हैं, के संबंध में तारीख 1/2 जून, 2013 को याची के पक्ष में तारीख 3 जून, 2013 का एक अन्य विक्रय-विलेख निष्पादित किया ।

चूंकि, प्रत्यर्थी सं. 3, 4 और 5 के अनुसार, तारीख 5 मार्च, 2012 के विक्रय-विलेख में खसरा भूखंडों का उल्लेख करने में भूल हुई है और इस प्रकार, तारीख 8 अगस्त, 2013 का संशोधन विलेख प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा पूर्ववर्ती निष्पादित तारीख 5 मार्च, 2012 के विक्रय-विलेख में सुधार किया गया था जिसके द्वारा खसरा भूखंड संख्या 477 और 480, जिनके क्षेत्र उपर्युक्त उल्लिखित हैं, को खसरा भूखंड संख्या 1916 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है । प्रत्यर्थी सं. 5 ने प्रश्नगत ग्राम में स्थित खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 माप 0.016 हेक्टेयर भूमि के संबंध में याची और प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 के विरुद्ध स्थायी व्यादेश के लिए तारीख 23 अगस्त, 2013 को 2013 की मूल वाद संख्या 480 भी फाइल की है । इसी बीच में, उप-रजिस्ट्रार, बलिया ने न्यायालय शुल्क 16,220/- रुपए और रजिस्ट्रीकरण शुल्क 8,060/- रुपए में अभिकथित कमी का उल्लेख करते हुए, अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर) को तारीख 26 अगस्त, 2013 को एक निर्देश पारित किया, इस आधार पर कि तारीख 8 अगस्त, 2013 के विलेख पर विक्रय-विलेख के रूप में ड्यूटी प्रभारित किया जाना चाहिए और न कि संशोधन विलेख के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिए । परिणामतः, अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा 2013 का स्टाम्प मामला संख्या 82 (राज्य बनाम आशा पाठक) रजिस्ट्रीकृत हुआ और तारीख 8 अगस्त, 2013 के लिखत के संबंध में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 33/47क के अधीन नोटिसें प्रत्यर्थी सं. 5 को जारी की गईं । प्रत्यर्थी सं. 5 ने तारीख 30 सितम्बर, 2013 को उत्तर प्रस्तुत किया जिसे अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और 2013 के स्टाम्प मामला संख्या 82 में तारीख 30 जुलाई, 2014 को आदेश पारित किया था । तारीख 30 जुलाई, 2014 के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध याची ने आयुक्त, आजमगढ़ खंड, आजमगढ़ के न्यायालय में 2014 की पुनरीक्षण आवेदन संख्या 21/बी/सी/ 2014150000717 फाइल की । अधिनियम, 1899 की धारा 56 के अधीन याची की पूर्वोक्त पुनरीक्षण आवेदन को उप-आयुक्त (स्टाम्प), आजमगढ़ खंड, आजमगढ़ ने तारीख 4 नवम्बर, 2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया था । अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख में पर्याप्त शुल्क होना अभिनिर्धारित करते हुए, पारित तारीख 30 जुलाई, 2014 के आदेश और पूर्वोक्त पुनरीक्षण में उप-आयुक्त (स्टाम्प),

आजमगढ़ खंड, आजमगढ़ द्वारा पारित तारीख 4 नवम्बर, 2016 के आदेश से व्यथित होकर याची ने वर्तमान रिट याचिका फाइल की है । न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका को खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – निःसंदेह, प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 विवादित खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 तथा खसरा भूखंड संख्या 1916 के स्वामी हैं । उन्होंने तारीख 5 मार्च, 2012 के लिखत विक्रय-विलेख द्वारा प्रत्यर्थी सं. 5 को 0.016 हेक्टेयर भूमि का विक्रय किया था । पूर्वोक्त विक्रय-विलेख में दर्शित विक्रय भूमि की सीमाएं भी अविवादित हैं । याची द्वारा विवाद्यक तारीख 15 मार्च, 2012 के लिखत विक्रय-विलेख के विक्रीत भूखंड के वर्णन में संशोधन करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 5 के पक्ष में प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा निष्पादित तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क की पर्याप्तता के संबंध में उद्‌भूत किए गए हैं । न्यायनिर्णयन करने वाले प्राधिकारी के साथ ही पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी ने तथ्य का यह समवर्ती निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा तारीख 5 मार्च, 2012 के लिखत विक्रय-विलेख द्वारा प्रत्यर्थी सं. 5 को विक्रीत संपत्ति की सीमाओं में संशोधन विलेख द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और इस प्रकार, तारीख 5 मार्च, 2012 के मूल विक्रय-विलेख में तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख द्वारा कोई आधारभूत परिवर्तन किया जाना ईप्सित नहीं है । संशोधन विलेख, मूल विक्रय-विलेख के खसरा भूखंड संख्याओं में सुधार के लिए निष्पादित किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने वाले प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नगत संशोधन विलेख द्वारा किसी आधारभूत परिवर्तन की ईप्सा करने के अभाव में, स्टाम्प शुल्क में कोई कमी नहीं है । तथ्य के इस निष्कर्ष में कोई अनुचितता नहीं है । इन परिस्थितियों के अधीन, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख में पर्याप्त तौर पर स्टाम्प शुल्क लगाया गया है । क्योंकि तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख से प्रत्यर्थी सं. 5 के पक्ष में कोई नया अधिकार सृजित नहीं होता है । चूंकि तारीख 8 अगस्त, 2013 का विलेख, एक संशोधन विलेख है जिसे तारीख 5 मार्च, 2013 के मूल विलेख में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करने के लिए निष्पादित किया गया था और इस प्रकार, इस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1ख की धारा 34क के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा और इस पर मात्र 10/- रुपए का स्टाम्प शुल्क देय होगा ।

प्रत्यर्थी सं. 5, तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख पर 100/- रुपए का स्टाम्प शुल्क संदत्त कर चुका है और इस प्रकार, संशोधन विलेख पर पर्याप्त रूप से स्टाम्प शुल्क लगा हुआ है । अधिनियम, 1899 की धारा 3 एक प्रभार्य धारा है जिसका शीर्षक "शुल्क से प्रभार्य लिखत" है । यह उपबंध करता है कि अधिनियम, 1899 की तीनों अनुसूचियों अर्थात् अनुसूची 1, 1क और 1ख में वर्णित लिखतें, इस धारा में दी गई परिस्थितियों में, शुल्क से प्रभार्य होंगी । इस प्रकार, इस प्रभार्य धारा के मूल परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मात्र एक लिखत ही शुल्क से प्रभार्य है दूसरे शब्दों में, स्टाम्प शुल्क एक लिखत पर शुल्क है न कि संव्यवहार पर शुल्क है । इस प्रकार, पूर्वोक्त कानूनी उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को कतिपय लिखतों पर राज्य के राजस्व को उद्भूत करने के लिए एक राज्य वित्तीय उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया है । यह एक कर संविधि है जो अधिनियम, 1899 की धारा 3 में यथाउपबंधित लिखतों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने के लिए उपबंध करता है । स्टाम्प शुल्क का संदाय, अधिनियम, 1899 की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है और इस प्रकार, संदाय, यथाविहित स्टाम्प के साधनों द्वारा ऐसे लिखतों पर उपदर्शित किया जाता है । अधिनियम, 1899 की धारा 29 उस व्यक्ति के बारे में वर्णन करती है जिस पर स्टाम्प शुल्क देय होगा । धारा 48 यह उपबंध करती है कि इस अध्याय के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां कलक्टर द्वारा उस व्यक्ति की, जिस द्वारा वे देय हैं, जंगम सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेंगी । अधिनियम, 1899 की स्कीम के परिशीलन से, विशिष्टतया पूर्वोक्त उल्लिखित उपबंधों से, यह स्पष्ट होता है कि स्टाम्प शुल्क एक कर है जो लिखत पर प्रभार्य है और अधिनियम, 1899 के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा देय है । अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क लिखतों की परीक्षा और परिबद्ध करने तथा स्टाम्प शुल्क और शास्ति में कमी की मांग/वसूली के बारे में उपबंध करता है । इन उपबंधों के अधीन दायित्व उस व्यक्ति पर ही सृजित किया जा सकता है जो लिखत के निष्पादन में पक्षकार है । प्रत्यर्थी सं. 5 के विरुद्ध कार्यवाहियां, प्रश्नगत संशोधन विलेख के संबंध में, अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क के अधीन आरम्भ की गई थीं । याची न तो उक्त कार्यवाहियों में पक्षकार

था न ही किसी स्टाम्प शुल्क की मांग उससे किए जाने की ईप्सा की गई थी । इन परिस्थितियों में, जब अधिनियम, 1899 के अधीन कानूनी प्राधिकारियों ने प्रश्नगत संशोधन विलेख लिखत पर पर्याप्त रूप से स्टाम्प होना पाया है तो इससे स्टाम्प शुल्क की पर्याप्तता के बारे में, याची किसी भी प्रकार से प्रतिकूल तौर पर प्रभावित नहीं होता है । इन परिस्थितियों में, याची न तो एक व्यथित व्यक्ति है न ही उसे आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हुए, सुने जाने का अधिकार है । याची को प्रत्यर्थी सं. 5 के पक्षकथन की इस स्वीकृति के कारण कि प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा प्रत्यर्थी सं. 5 के पक्ष में निष्पादित तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख पर पर्याप्त तौर पर स्टाम्प लगा हुआ है, कोई क्षति कारित नहीं हुई है । अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क के अधीन कार्यवाहियां पूर्वोक्त संशोधन विलेख के संबंध में, प्रत्यर्थी सं. 5 के विरुद्ध आरम्भ की गई थीं । इन परिस्थितियों में, याची, न तो प्रत्यर्थी सं. 5 के विरुद्ध स्टाम्प शुल्क की मांग की पुष्टि से ग्रसित है अथवा न ही प्रत्यर्थी सं. 5 के इस पक्षकथन की स्वीकृति से ग्रसित है कि संशोधन विलेख पर पर्याप्त तौर पर स्टाम्प लगा हुआ है । यह सुस्थिर विधि है कि व्यक्ति, जो विधिक क्षति से ग्रसित है, मात्र वह ही अधिनियम, कार्रवाई, आदेश इत्यादि को चुनौती दे सकता है । संविधान, 1950 का अनुच्छेद 226 कानूनी या विधिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए कायम रखे जाने योग्य होता है या याची द्वारा यह शिकायत कि प्राधिकारियों की ओर से कानूनी कर्तव्यों को भंग किया गया है । ऐसे व्यक्ति को यह दर्शित करना चाहिए कि उसका स्वयं उस विधि की दृष्टि में जो आम जनता के परे समुचित तौर पर लागू होती है, में अत्यधिक विशेष या विशिष्ट हित निहित है । इसलिए, यह न्यायिक तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होने चाहिए जिसके प्रवर्तन के लिए रिट अधिकारिता प्रतिस्थापित की जा सकती है । न्यायालय, व्यक्ति की प्रार्थना पर अपनी रिट अधिकारिता के माध्यम से लोक निकायों द्वारा कानूनी कर्तव्यों का पालन प्रवर्तित करा सकता है परन्तु, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय का यह समाधान करना चाहिए कि ऐसा पालन कराने के लिए उसके पास विधिक अधिकार है । उक्त अधिकार का अस्तित्व में होना रिट अधिकारिता का अवलंब लेने के लिए पूर्व शर्त है । विधिक अधिकार, विधि से उद्‌भूत होने वाले हक का प्रकथन है । वस्तुतः, यह विधि के नियम द्वारा व्यक्ति को प्रदत्त लाभ या फायदा है । रिट याचिका, मात्र व्यथित व्यक्ति द्वारा ही कायम रखी जा सकती है । साधारण तौर पर, "व्यथित व्यक्ति" वह व्यक्ति होना चाहिए जो

विधिक शिकायत से ग्रसित है, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध विनिश्चय उद्घोषित किया गया है उससे उसे कुछ चीजों से दोषपूर्ण तरीके से वंचित किया गया है या कुछ चीजों से दोषपूर्ण तरीके से इनकार किया गया है या कुछ चीजों से उसके हक को दोषपूर्ण तरीके से प्रभावित किया गया है । मुझे यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है कि याची न तो अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क के अधीन 2013 की स्टाम्प मामला संख्या 82 में अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा पारित तारीख 30 जुलाई, 2014 के आदेश के साथ ही अधिनियम, 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण में, उप-आयुक्त (स्टाम्प), आजमगढ़ खंड, आजमगढ़ द्वारा पारित तारीख 4 नवम्बर, 2016 के आदेश से व्यथित है न ही याची को पूर्वोक्त दोनों आदेशों को चुनौती देने के लिए सुने जाने का अधिकार है जिसके द्वारा प्रश्नगत संशोधन विलेख को पर्याप्त रूप से स्टाम्प लगा हुआ अभिनिर्धारित किया गया था । (पैरा 8, 12, 17, 19, 20, 22, 23 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2013]	2013 (119) आर. डी. 745 : **विनीता अग्रवाल** बनाम **अपर आयुक्त (प्रशा.) और अन्य** ;	10
[2009]	2009 (108) आर. डी. 689 : **धरम राज** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	21
[2009]	(2009) 2 एस. सी. सी. 784 : **तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक शेयर होल्डर्स वेलफेयर एशोसिएशन** बनाम **एस. सी. सेकर** ;	23
[2008]	(2008) 10 एस. सी. सी. 766 : **कबूसीकी कैश तोशीबा** बनाम **तोशीबा अप्लाएंस कम्पनी** ;	23
[2006]	2006 की रिट-सिविल संख्या 5797 : **इलम चन्द** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	11
[2004]	2004 (96) आर. डी. 612 : **वसदेव सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य** ;	4,9

[2003]	(2003) 5 एस. सी. सी. 413 : **लक्ष्मी नारायण आर. भट्ट और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य ;**	23
[2002]	2002 ए. डब्ल्यू. सी. 413 : **संजय कुमार गुप्ता और अन्य** बनाम **मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली और अन्य ;**	23
[2000]	(2000) 7 एस. सी. सी. 552 : **एम. एस. जयराज** बनाम **उत्पाद-शुल्क आयुक्त, केरल ;**	23
[2000]	(2000) 2 एस. सी. सी. 465 : **अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड** बनाम **चन्दरीमा दास ;**	23
[1999]	ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 943 : **उत्कल विश्वविद्यालय** बनाम **नरसिंह चरण सारंगी और अन्य ;**	23
[1998]	(1998) 7 एस. सी. सी. 469 : **रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** बनाम **चन्द बिहारी कपूर ;**	23
[1996]	(1996) 5 एस. सी. सी. 460 : **राजेन्द्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य ;**	23
[1988]	जे. टी. 1988 (4) एस. सी. 613 : **केरल राज्य** बनाम **के. जी. एम. पिल्लई ;**	23
[1987]	ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 331 : **केरल राज्य** बनाम **ए. लक्ष्मीकुट्टी ;**	23
[1981]	ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 116 : **थम्मन्ना** बनाम **के. वीरा रेड्डी ;**	23
[1977]	ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1361 : **राजस्थान राज्य** बनाम **भारत संघ ;**	23
[1976]	ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 578 : **जयभाई मोतीभाई देसाई** बनाम **रोशन कुमार हाजी बशीर अहमद और अन्य ;**	23

[1974]	ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1719 : **शांति कुमार आर. चान्जी** बनाम **होम इंश्योरेंश कम्पनी आफ न्यूयार्क** ;	23
[1969]	(1969) 1 एस. सी. सी. 597 : **हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी** बनाम **मैसर्स दिलीप कंस्ट्रक्शन कम्पनी** ;	18
[1965]	ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1092 : **राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश** बनाम **राय साहेब सिद्धनाथ महरोत्रा** ;	18
[1962]	ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1044 : **कलकत्ता गैस कम्पनी प्रोपराईटरी लिमिटेड** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य** ।	23

आरम्भिक (सिविल रिट) अधिकारिता : 2017 की सिविल रिट याचिका सं. 6879.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

याची की ओर से	श्री रमेन्द्र अस्थाना, विद्वान् काउंसेल
प्रत्यर्थियों की ओर से	सर्वश्री आनन्द कुमार पांडे और भृत्रु जी सिंह, विद्वान् स्थायी अधिवक्ता

न्यायमूर्ति सूर्य प्रकाश केसरवानी – याची के विद्वान् काउंसेल श्री रमेन्द्र अस्थाना, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान् स्थायी काउंसेल और प्रत्यर्थी सं. 5 के श्री आनन्द कुमार पांडे और श्री बी. जे. सिंह को सुना ।

2. संक्षिप्त में, वर्तमान मामले के तथ्य यह हैं कि श्री आनन्द पाठक और श्रीमती अनुराधा पाठक (प्रत्यर्थी सं. 3 और 4) ने श्रीमती आशा पाठक (प्रत्यर्थी सं. 5) के पक्ष में तारीख 5 मार्च, 2012 को एक विक्रय-विलेख निष्पादित किया है । प्रत्यर्थी सं. 3, 4 और 5 के अनुसार, उक्त विक्रय-विलेख में असावधानी से ग्राम नागवा, परगना, तहसील और जिला बलिया में स्थित 0.016 हेक्टेयर क्षेत्र में से खसरा भूखंड संख्या 477 माप 0.013 हेक्टेयर और खसरा भूखंड संख्या 480, माप 0.004 हेक्टेयर के बजाय

खसरा भूखंड संख्या 1916, माप 0.016 हेक्टेयर उल्लिखित हो गया है । इस प्रकार, तारीख 5 मार्च, 2012 के पूर्वोक्त विक्रय-विलेख के अधीन कुल भूमि 0.016 हेक्टेयर का विक्रय किया गया था । सीमाएं सही तौर पर विक्रय-विलेख में दर्शित की गई हैं किन्तु खसरा भूखंड संख्या 1916 का भूलवश खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 के बजाय उल्लेख हो गया है । तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 ने पृथक् भूखंड जिनमें खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 सम्मिलित हैं, के संबंध में तारीख है 1/2 जून, 2013 को याची के पक्ष में तारीख 3 जून, 2013 का एक अन्य विक्रय-विलेख निष्पादित किया । चूंकि, प्रत्यर्थी सं. 3, 4 और 5 के अनुसार, तारीख 5 मार्च, 2012 के विक्रय-विलेख में खसरा भूखंडों का उल्लेख करने में भूल हुई है और इस प्रकार, तारीख 8 अगस्त, 2013 का संशोधन विलेख प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा पूर्ववर्ती निष्पादित तारीख 5 मार्च, 2012 के विक्रय-विलेख में सुधार किया गया था जिसके द्वारा खसरा भूखंड संख्या 477 और 480, जिनके क्षेत्र उपर्युक्त उल्लिखित हैं, को खसरा भूखंड संख्या 1916 के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया गया है । प्रत्यर्थी सं. 5 ने प्रश्नगत ग्राम में स्थित खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 माप 0.016 हेक्टेयर भूमि के संबंध में याची और प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 के विरुद्ध स्थायी व्यादेश के लिए तारीख 23 अगस्त, 2013 को 2013 की मूल वाद संख्या 480 भी फाइल की है । इसी बीच में, उप-रजिस्ट्रार, बलिया ने न्यायालय शुल्क 16,220/- रुपए और रजिस्ट्रीकरण शुल्क 8,060/- रुपए में अभिकथित कमी का उल्लेख करते हुए, अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर) को तारीख 26 अगस्त, 2013 को एक निर्देश पारित किया, इस आधार पर कि तारीख 8 अगस्त, 2013 के विलेख पर विक्रय-विलेख के रूप में ड्यूटी प्रभारित किया जाना चाहिए और न कि संशोधन विलेख के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिए । परिणामतः, अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा 2013 का स्टाम्प मामला संख्या 82 (राज्य बनाम आशा पाठक) रजिस्ट्रीकृत हुआ और तारीख 8 अगस्त, 2013 के लिखत के संबंध में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) की धारा 33/47क के अधीन नोटिसें प्रत्यर्थी सं. 5 को जारी की गईं । प्रत्यर्थी सं. 5 ने तारीख 30 सितम्बर, 2013 को उत्तर प्रस्तुत किया जिसे अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और 2013 के स्टाम्प मामला संख्या 82 में तारीख 30 जुलाई, 2014 को आदेश पारित करते हुए निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :—

"मैंने विपक्षी के विद्वान् अधिवक्ता तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व की बहस को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आराजी नम्बर 1916 की जो चौहद्दी वही दी गई है, वह वास्तव में आराजी नम्बर 477 एवं 480 की चौहद्दी है । तितिम्मा विलेख में न तो चौहद्दी में परिवर्तन है और न ही रकबा में अन्तर आ रहा है । एक मात्र अन्तर आराजी नम्बर का हो रहा है । आराजी नम्बर 477 एवं 480 की जो चौहद्दी तितिम्मा विलेख में अंकित किया गया है, वहीं चौहद्दी मूल विलेख में भी अंकित है । इस आधार पर तितिम्मा विलेख को नया विलेख माना जाना उचित नहीं है, जैसा कि तहसील बलिया की आख्या से भी स्पष्ट हो जाता है कि आराजी नम्बर 1916 की चौहद्दी जो दी गई है, वह चौहद्दी आराजी नम्बर 477 एवं 480 की है । चूंकि इस तितिम्मा विलेख में कोई नया मौलिक परिवर्तन नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में प्रश्नगत तितिम्मा पर किसी प्रकार की कोई स्टाम्प कमी नहीं बनती है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर तितिम्मा विलेख पर्याप्त यथाविधि स्टाम्पित घोषित किए जाने योग्य है ।"

3. तारीख 30 जुलाई, 2014 के पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध याची ने आयुक्त, आजमगढ़ खंड, आजमगढ़ के न्यायालय में 2014 की पुनरीक्षण आवेदन संख्या 21/बी/सी/2014150000717 फाइल की । अधिनियम, 1899 की धारा 56 के अधीन याची की पूर्वोक्त पुनरीक्षण आवेदन को उप-आयुक्त (स्टाम्प), आजमगढ़ खंड, आजमगढ़ ने तारीख 4 नवम्बर, 2016 के आक्षेपित आदेश द्वारा खारिज कर दिया था । अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख में पर्याप्त शुल्क होना अभिनिर्धारित करते हुए, पारित तारीख 30 जुलाई, 2014 के आदेश और पूर्वोक्त पुनरीक्षण में उप-आयुक्त (स्टाम्प), आजमगढ़ खंड, आजमगढ़ द्वारा पारित तारीख 4 नवम्बर, 2016 के आदेश से व्यथित होकर याची ने वर्तमान रिट याचिका फाइल की है ।

निवेदन

4. याची के विद्वान् काउंसेल श्री रमेन्द्र अस्थाना ने यह निवेदन किया कि यदि प्रत्यर्थी सं. 5 का संशोधन विलेख रजिस्ट्रीकृत किया जाता है तो याची का खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 का स्वामित्व समाप्त हो जाएगा जो तारीख 5 मार्च, 2012 के प्रत्यर्थी सं. 5 के विक्रय-विलेख में

समाविष्ट हो जाएगा जबकि वस्तुतः इन भूखंडों को प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा तारीख 3 जून, 2013 के एक पृथक् विक्रय-विलेख द्वारा याची को विक्रय किया जा चुका है । याची द्वारा प्रत्यर्थी सं. 3, 4 और 5 के विरुद्ध 2015 की सिविल वाद संख्या 184 फाइल की गई है, इस बात की घोषणा करने की प्रार्थना करते हुए कि प्रश्नगत संशोधन विलेख को अवैध और अप्रभावी लिखत घोषित कर दिया जाए । उन्होंने यह निवेदन किया कि उक्त संशोधन विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी सं. 5 को विवादित खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 के क्षेत्र माप 0.016 हेक्टेयर में कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है । प्रत्यर्थी सं. 5 ने भी याची और प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 के विरुद्ध पूर्वोक्त दोनों खसरा भूखंडों के संबंध में, स्थायी व्यादेश के लिए सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ खंड), बलिया के न्यायालय में 2013 की वाद संख्या 460 फाइल की थी, जो अभी लम्बित है । उन्होंने यह निवेदन किया कि पूर्वोक्त संशोधन विलेख का रजिस्ट्रीकरण, विवादित भूमि के ऊपर याची के हक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और इसलिए, याची को पूर्वोक्त संशोधन विलेख का विरोध करने का अधिकार है । उन्होंने यह निवेदन किया कि प्रश्नगत संशोधन विलेख द्वारा मूल विक्रय-विलेख में किए गए सुधार पूर्णतया अवैध हैं । उन्होंने **वसदेव सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में खंड न्यायपीठ के निर्णय का भी अवलंब लिया है ।

5. विद्वान् स्थायी काउंसेल के साथ ही प्रत्यर्थी सं. 3, 4 और 5 के विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित आदेशों का समर्थन किया और यह निवेदन किया कि प्रश्नगत संशोधन विलेख के संबंध में स्टाम्प शुल्क का अवधारण, राज्य प्राधिकारियों और प्रत्यर्थी सं. 5 के बीच का मामला है और इस प्रकार, याची न तो व्यथित व्यक्ति है न ही उसे आक्षेपित आदेशों को चुनौती देने के लिए सुने जाने का अधिकार है । यह भी निवेदन किया कि अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क के अधीन कार्यवाहियां प्रत्यर्थी सं. 5 के विरुद्ध मांग स्टाम्प शुल्क के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा आरम्भ की गई थीं जो एक कर है और कार्यवाहियों को प्रत्यर्थी सं. 5 के पक्ष में यह अभिनिर्धारित करते हुए, निष्कर्ष निकाला गया था कि संशोधन विलेख में पर्याप्त स्टाम्प लगा हुआ है । याची के विरुद्ध न तो कोई मांग थी न ही याची 2013 की स्टाम्प मामला संख्या 82 की मूल कार्यवाहियों में पक्षकार है और इस प्रकार, याची एक व्यथित व्यक्ति नहीं

---

[1] 2004 (96) आर. डी. 612.

है । याची, आक्षेपित आदेशों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है और इस प्रकार, रिट याचिका कायम रखे जाने योग्य नहीं है । यह भी निवेदन किया गया है कि हक वाद, सिविल न्यायालय में लम्बित है जिसमें विवादित संपत्ति पर हक विनिश्चित किया जा सकता है ।

चर्चा और निष्कर्ष

6. मैंने, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के निवेदनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया और उनकी सहमति से, इस रिट याचिका की अंतिम तौर पर सुनवाई की गई ।

7. मामले के तथ्यों और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों के निवेदनों पर विचार करने के पश्चात्, विचार के लिए निम्नलिखित प्रश्न विरचित किए जाते हैं :–

(i) क्या प्राधिकारियों द्वारा संशोधन विलेख में पर्याप्त स्टाम्प होना अभिनिर्धारित करने का निष्कर्ष सही है ?

(ii) क्या याची, अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क के अधीन 2013 की स्टाम्प मामला संख्या 42 में अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा पारित तारीख 30 जुलाई, 2014 के आदेश के साथ ही अधिनियम, 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण में पारित तारीख 4 नवम्बर, 2016 के आदेश से व्यथित व्यक्ति है ?

(iii) क्या याची को संशोधन विलेख में पर्याप्त तौर पर स्टाम्प शुल्क होना अभिनिर्धारित करने वाले पूर्वोक्त दोनों आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हुए सुने जाने का अधिकार है ?

प्रश्न संख्या (i) क्या प्राधिकारियों द्वारा संशोधन विलेख में पर्याप्त स्टाम्प होना अभिनिर्धारित करने का निष्कर्ष सही है ?

8. निःसंदेह, प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 विवादित खसरा भूखंड संख्या 477 और 480 तथा खसरा भूखंड संख्या 1916 के स्वामी हैं । उन्होंने तारीख 5 मार्च, 2012 के लिखत विक्रय-विलेख द्वारा प्रत्यर्थी सं. 5 को 0.016 हेक्टेयर भूमि का विक्रय किया था । पूर्वोक्त विक्रय-विलेख में दर्शित विक्रय भूमि की सीमाएं भी अविवादित हैं । याची द्वारा विवाद्यक तारीख 15 मार्च, 2012 के लिखत विक्रय-विलेख के विक्रीत भूखंड के वर्णन में संशोधन करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 5 के पक्ष में प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा निष्पादित तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख पर देय स्टाम्प शुल्क की

पर्याप्तता के संबंध में उद्‌भूत किए गए हैं । न्यायनिर्णयन करने वाले प्राधिकारी के साथ ही पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी ने तथ्य का यह समवर्ती निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि प्रत्यर्थी सं. 3 और 4 द्वारा तारीख 5 मार्च, 2012 के लिखत विक्रय-विलेख द्वारा प्रत्यर्थी सं. 5 को विक्रीत संपत्ति की सीमाओं में संशोधन विलेख द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और इस प्रकार, तारीख 5 मार्च, 2012 के मूल विक्रय-विलेख में तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख द्वारा कोई आधारभूत परिवर्तन किया जाना ईप्सित नहीं है । संशोधन विलेख, मूल विक्रय-विलेख के खसरा भूखंड संख्याओं में सुधार के लिए निष्पादित किया गया है । इन तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालने वाले प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नगत संशोधन विलेख द्वारा किसी आधारभूत परिवर्तन की ईप्सा करने के अभाव में, स्टाम्प शुल्क में कोई कमी नहीं है । तथ्य के इस निष्कर्ष में कोई अनुचितता नहीं है । इन परिस्थितियों के अधीन, इस न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं है कि तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख में पर्याप्त तौर पर स्टाम्प शुल्क लगाया गया है ।

9. इसी प्रकार का संविवाद, लिपिकीय या अंकगणितीय त्रुटि में सुधार के संबंध में, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 13क के संदर्भ में, **वसदेव सिंह** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष विचार के लिए आया था और खंड न्यायपीठ ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

> "हमारा, यह भी मत है कि अंकगणितीय भूल को गणना की भूल के रूप में लिया जाता है और लिपिकीय भूल को लिखित या टंकण में भूल के रूप में लिया जाता है । भूल के लिए तथ्य या विधि के प्रश्न पर विस्तृत तर्कों की अपेक्षा को लिपिकीय या गणितीय भूल के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है । याची ने अधिकार के दावे की ईप्सा करते हुए यह प्रत्याख्यान किया है कि विनिश्चय में त्रुटि हुई है । ऐसी शिकायत अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन यथाअनुध्यात किए गए निर्देश प्राप्त करने के पश्चात् अधिनिर्णय को चुनौती देते हुए, कार्यवाहियों में ही उद्‌भूत किए जा सकते हैं और न कि अधिनियम, 1894 की धारा 13क के अधीन

[1] 2004 (96) आर. डी. 612.

कार्यवाहियों में किए जा सकते हैं । वर्तमान मामले में, यथा ईप्सित प्रतिकर की बढ़ोतरी के प्रश्न को, भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 18 के अधीन यथाअनुध्यात निर्देश किए जाने के पश्चात् समुचित कार्यवाहियों में ही अवधारित किए जा सकते हैं ।"

(रेखांकन जोर देने के लिए किया गया है)

10. **विनीता अग्रवाल** बनाम **अपर आयुक्त (प्रशा.) और अन्य**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय ने मूल विलेख में उल्लिखित भूखंड संख्या में सुधार करने के लिए संशोधन विलेख पर स्टाम्प शुल्क की पर्याप्तता के संबंध में, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के उपबंधों पर विचार किया और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया है :–

"7. पट्टा विलेख में भूलवश भूखंड संख्या का उल्लेख शुद्धतः लिपिकीय त्रुटि है जो पक्षकारों की असावधानी के कारण उद्‌भूत हुआ है, विनिर्दिष्टतः इलाहाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा । उक्त संशोधन विलेख, याची के पक्ष में कोई नए अधिकार सृजित नहीं करते हैं । उक्त दोनों दस्तावेजों द्वारा याची को मात्र भूखंड संख्या डी-393 में अधिकार प्रदत्त होता है और इसलिए, वह मात्र एक बार स्टाम्प शुल्क का संदाय करने के लिए दायी है ।

8. 2011 की रिट याचिका संख्या 20061, सी. एल. मेमोरियल गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कालेज बनाम उप-आयुक्त (प्रशा.) और एक अन्य विनिश्चय तारीख 16 मई, 2012 वाले मामले में, मैं पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुका हूं कि विक्रय-विलेख, जो पहले ही रजिस्ट्रीकृत हो चुका है, में उद्‌भूत कतिपय लिपिकीय त्रुटि में सुधार करने के लिए संशोधन विलेख पर नए विक्रय-विलेख के रूप में स्टाम्प शुल्क का संदाय करने के लिए दायी नहीं है और संशोधन विलेख के रूप में ही मात्र स्टाम्प शुल्क लगाना होगा ।

9. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, तारीख 7 फरवरी, 2006 का पूर्वोक्त विक्रय-विलेख एक संशोधन विलेख है और चूंकि यह लिपिकीय त्रुटि के कारण आवश्यक था इसलिए, इस पर भारतीय स्टाम्प शुल्क अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1ख की धारा 34क के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है और इस पर मात्र 10/- रुपए का स्टाम्प

[1] 2013 (119) आर. डी. 745.

शुल्क देय होगा । याची, उक्त विलेख पर पहले ही 100/- रुपए का स्टाम्प शुल्क संदत्त कर चुका है ।"

(रेखांकन जोर देने के लिए किया गया है)

11. **इलम चन्द** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय के एक अन्य न्यायपीठ के समक्ष इसी प्रकार का संविवाद उद्भूत हुआ था और उसमें निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया गया था :–

"यदि नक्शा, उपाबंध 9 सही है तो संपत्ति की अदला-बदली का प्रश्न ही नहीं उठता है । नक्शे में संपत्ति के दक्षिण ओर कोई सड़क दर्शित नहीं है । पूर्वी और पश्चिमी सीमाएं यथास्थिति में हैं, दोनों विलेख, दो विभिन्न संपत्तियों से संबंधित हो सकते हैं, यदि मात्र दक्षिण की ओर ही सड़क है । मूल विक्रय-विलेख में, सड़क दक्षिण की ओर दर्शित थी जबकि रिट याचिका के नक्शे, उपाबंध 9 के अनुसार, सड़क उत्तर में है । तथापि, अन्तरक की संपूर्ण संपत्ति के दक्षिण में कोई सड़क नहीं है, इसलिए, संपत्ति के अदला-बदली का प्रश्न ही नहीं उठता है । तारीख 1 फरवरी, 2002 के विलेख में सुधार के बिना इसे किसी संपत्ति से संबंधित नहीं किया जा सकता है । तद्नुसार, सीमाओं के वर्णन में टंकण त्रुटि में सुधार मात्र से ही उत्तरी और दक्षिणी सीमाओं में आपसी परिवर्तन किया जा सकता है ।

तद्नुसार, रिट याचिका मंजूर की जाती है । आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाते हैं । संशोधन विलेख, यदि रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं तो तुरन्त रजिस्ट्रीकृत किए जाएंगे । इस रिट याचिका में पारित अन्तरिम आदेश के अधीन याची द्वारा जमा रकम, इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से 4 माह के भीतर उसे वापस किए जाएंगे ।"

12. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, मैं इस याचिका में कोई सार नहीं पाता हूं, क्योंकि तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख से प्रत्यर्थी सं. 5 के पक्ष में कोई नया अधिकार सृजित नहीं होता है । चूंकि तारीख 8 अगस्त, 2013 का विलेख, एक संशोधन विलेख है जिसे तारीख 5 मार्च, 2013 के मूल विलेख में लिपिकीय त्रुटि में सुधार करने के लिए निष्पादित किया गया था और इस प्रकार, इस पर भारतीय स्टाम्प

---

[1] 2006 की रिट-सिविल संख्या 5797.

अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1ख की धारा 34क के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य होगा और इस पर मात्र 10/- रुपए का स्टाम्प शुल्क देय होगा । प्रत्यर्थी सं. 5, तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख पर 100/- रुपए का स्टाम्प शुल्क संदत्त कर चुका है और इस प्रकार, संशोधन विलेख पर पर्याप्त रूप से स्टाम्प शुल्क लगा हुआ है ।

13. तद्नुसार, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर दिया जाता है ।

प्रश्न संख्या (ii) क्या याची, अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क के अधीन 2013 की स्टाम्प मामला संख्या 42 में अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा पारित तारीख 30 जुलाई, 2014 के आदेश के साथ ही अधिनियम, 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण में पारित तारीख 4 नवम्बर, 2016 के आदेश से व्यथित व्यक्ति है ?

प्रश्न संख्या (iii) क्या याची को संशोधन विलेख में पर्याप्त तौर पर स्टाम्प शुल्क होना अभिनिर्धारित करने वाले पूर्वोक्त दोनों आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हुए सुने जाने का अधिकार है ?

14. पूर्वोक्त दोनों प्रश्नों की परीक्षा करने के पूर्व, मुझे, सर्वप्रथम अधिनियम, 1899 के अधीन स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने की प्रकृति के बारे में समुचित परीक्षा करनी होगी ।

15. ब्लैक्स ला डिक्शनरी, छठा संस्करण, 1990 में स्टाम्प शुल्क का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया गया है :–

> "पुराने इंग्लिश विधि में, चर्मपत्र और कागज पर अधिरोपित बकायों और उद्भूत स्टाम्प और राजा के शाश्वत राजस्व की शाखा गठित करना ।"

16. हाल्सबरी ला आफ इंग्लैंड, खण्ड 44(1) इंग्लैंड, पैरा 1010 में स्टाम्प शुल्क की प्रकृति और प्रभार को निम्नलिखित रूप में वर्णित किया गया है :–

> "स्टाम्प शुल्क, लिखतों पर प्रभार्य है और न कि संव्यवहारों पर । स्टाम्प शुल्क के लिए लिखत का दायित्व उसी समय उद्भूत होता है जब इसे निष्पादित किया जाता है और यह तत्समय प्रवृत्त विधि और परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो उस समय पर मौजूद होती हैं ।"

17. अधिनियम, 1899 की धारा 3 एक प्रभार्य धारा है जिसका

शीर्षक "शुल्क से प्रभार्य लिखत" है । यह उपबंध करता है कि अधिनियम, 1899 की तीनों अनुसूचियों अर्थात् अनुसूची 1, 1क और 1ख में वर्णित लिखतें, इस धारा में दी गई परिस्थितियों में, शुल्क से प्रभार्य होंगी । इस प्रकार, इस प्रभार्य धारा के मूल परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि मात्र एक लिखत ही शुल्क से प्रभार्य है दूसरे शब्दों में, स्टाम्प शुल्क एक लिखत पर शुल्क है न कि संव्यवहार पर शुल्क है । इस प्रकार, पूर्वोक्त कानूनी उपबंधों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 को कतिपय लिखतों पर राज्य के राजस्व को उद्भूत करने के लिए एक राज्य वित्तीय उपाय के रूप में अधिनियमित किया गया है । यह एक कर संविधि है जो अधिनियम, 1899 की धारा 3 में यथाउपबंधित लिखतों के निष्पादन पर स्टाम्प शुल्क अधिरोपित करने के लिए उपबंध करता है । स्टाम्प शुल्क का संदाय, अधिनियम, 1899 की धारा 10 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है और इस प्रकार, संदाय, यथाविहित स्टाम्प के साधनों द्वारा ऐसे लिखतों पर उपदर्शित किया जाता है ।

18. **राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश** बनाम **राय साहेब सिद्धनाथ महरोत्रा**[1] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय के सांविधानिक न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्टाम्प अधिनियम, 1899 एक कर संविधि है और इसका निर्वचन कठोरतः किया जाना चाहिए और यदि दो अर्थ समान रूप से संभाव्य हों तो विषय के पक्ष में अर्थान्वयन किया जाना चाहिए । **हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी** बनाम **मैसर्स दिलीप कंस्ट्रक्शन कम्पनी**[2] वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि स्टाम्प अधिनियम, 1899 एक राज्य वित्तीय उपाय है, जो कतिपय लिखतों पर राज्य के लिए राजस्व सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है । अधिनियम, 1899 के कठोर उपबंधों को राजस्व के हित में समझा जाता है ।

19. अधिनियम, 1899 की धारा 29 उस व्यक्ति के बारे में वर्णन करती है जिस पर स्टाम्प शुल्क देय होगा । धारा 48 यह उपबंध करती है कि इस अध्याय के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित सभी शुल्क, शास्तियां और अन्य राशियां कलक्टर द्वारा उस व्यक्ति की, जिस द्वारा वे देय हैं, जंगम सम्पत्ति के करस्थम् और विक्रय द्वारा या भू-राजस्व की

---

[1] ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1092.

[2] (1969) 1 एस. सी. सी. 597.

बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा वसूल की जा सकेंगी ।

20. अधिनियम, 1899 की स्कीम के परिशीलन से, विशिष्टतया पूर्वोक्त उल्लिखित उपबंधों से, यह स्पष्ट होता है कि स्टाम्प शुल्क एक कर है जो लिखत पर प्रभार्य है और अधिनियम, 1899 के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा देय है । अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क लिखतों की परीक्षा और परिबद्ध करने तथा स्टाम्प शुल्क और शास्ति में कमी की मांग/वसूली के बारे में उपबंध करता है । इन उपबंधों के अधीन दायित्व उस व्यक्ति पर ही सृजित किया जा सकता है जो लिखत के निष्पादन में पक्षकार है । प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरुद्ध कार्यवाहियां, प्रश्नगत संशोधन विलेख के संबंध में, अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क के अधीन आरम्भ की गई थीं । याची न तो उक्त कार्यवाहियों में पक्षकार था न ही किसी स्टाम्प शुल्क की मांग उससे किए जाने की ईप्सा की गई थी । इन परिस्थितियों में, जब अधिनियम, 1899 के अधीन कानूनी प्राधिकारियों ने प्रश्नगत संशोधन विलेख लिखत पर पर्याप्त रूप से स्टाम्प होना पाया है तो इससे स्टाम्प शुल्क की पर्याप्तता के बारे में, याची किसी भी प्रकार से प्रतिकूल तौर पर प्रभावित नहीं होता है । इन परिस्थितियों में, याची न तो एक व्यथित व्यक्ति है न ही उसे आक्षेपित आदेशों को चुनौती देते हुए, सुने जाने का अधिकार है ।

21. शब्द "व्यथित व्यक्ति" को अधिनियम, 1899 के अधीन परिभाषित नहीं किया गया है । **धरम राज** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले में, इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने इस प्रश्न पर विचार किया कि कौन व्यथित व्यक्ति हो सकता है और निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया :–

> "(12) हमारी राय के अनुसार, 'व्यथित व्यक्ति' का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो गलत तौर पर अपने हक से वंचित है, जिसे वह वैध तौर पर प्राप्त करने का हकदार होता है और इसमें किसी भी प्रकार की निराशा या वैयक्तिक असुविधा सम्मिलित नहीं है । 'व्यथित व्यक्ति' का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो क्षतिग्रस्त है या विधिक रूप से प्रतिकूल तौर पर प्रभावित है ।

[1] 2009 (108) आर. डी. 689.

(13) यह सुस्थिर विधि है कि व्यक्ति जो विधिक क्षति से ग्रसित है मात्र वह ही रिट याचिका फाइल करते हुए, अधिनियम/कार्रवाई/आदेश इत्यादि को चुनौती दे सकता है । संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका, कानूनी या विधिक अधिकार को प्रवर्तित कराने के लिए कायम रखे जाने योग्य होता है या जब याची द्वारा यह शिकायत की जाती है कि प्राधिकारियों की ओर से कानूनी कर्तव्यों का भंग किया गया है । इसलिए, यह न्यायिक तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होने चाहिए जिसके प्रवर्तन के लिए रिट अधिकारिता प्रतिस्थापित की जा सकती है । न्यायालय, व्यक्ति की प्रार्थना पर अपनी रिट अधिकारिता के माध्यम से लोक निकायों द्वारा कानूनी कर्तव्यों का पालन प्रवर्तित करा सकता है परन्तु, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय का यह समाधान करना चाहिए कि ऐसा पालन कराने के लिए उसके पास विधिक अधिकार है । उक्त अधिकार का अस्तित्व में होना रिट अधिकारिता का अवलंब लेने के लिए पूर्व शर्त है (उत्कल विश्वविद्यालय **बनाम** नरसिंह चरण सारंगी और अन्य (ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 943) और लक्ष्मी नारायण आर. भट्ट और अन्य **बनाम** महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य (2003) 5 एस. सी. सी. 413) ।

(14) विधिक अधिकार, विधि से उद्भूत होने वाले हक का प्रकथन है । वस्तुतः, यह विधि के नियम द्वारा व्यक्ति को प्रदत्त लाभ या फायदा है, (शांति कुमार आर. चान्जी **बनाम** होम इंश्योरेंस कम्पनी आफ न्यूयार्क (ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1719) और राजस्थान राज्य **बनाम** भारत संघ (ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1361) ।

(15) जयभाई मोतीभाई देसाई **बनाम** रोशन कुमार हाजी बशीर अहमद और अन्य (ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 578) वाले मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि मात्र वह व्यक्ति ही जो आदेश द्वारा व्यथित है, रिट याचिका कायम रख सकता है । अभिव्यक्ति 'व्यथित व्यक्ति' को स्पष्टीकृत करते हुए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ऐसे व्यक्ति को यह दर्शित करना चाहिए कि उसका स्वयं उस विधि की दृष्टि में जो आम जनता के परे समुचित तौर पर लागू होती है, में अत्यधिक विशेष या विशिष्ट हित निहित है । उक्त मामले में, सिनेमा हाल मालिक ने

शहर में परस्पर विरोधी सिनेमा हाल को स्थापित करने की मंजूरी को चुनौती देते हुए यह दलील दी थी कि इससे उसका एकाधिपत्य वाणिज्यिक हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा और प्रतियोगिता से उसे आर्थिक अपहानि और कारबार में नुकसान होगा । माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया –

> 'ऐसी अपहानि या हानि, विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह विधिक अधिकार या विधिक तौर पर संरक्षित हित की क्षति का परिणाम नहीं होता है, कारबार प्रतियोगिता विधिपूर्ण क्रियाकलाप कारित करती है । न्यायिक तौर पर, इस प्रकार की अपहानि को बिना क्षति के हानि कहा जाता है । यहां प्रयुक्त शब्द अपहानि को इसके सही भाव में, इसके लिए एक व्यक्ति को उत्तरदायी अभिनिर्धारित किए बिना एक अन्य व्यक्ति के साथ इस प्रकार की अपहानि को जानबूझकर करने से विधि में ग्रसित करना होता है, ऐसी अपहानि एक व्यक्ति द्वारा की जाती है जिससे सम्पूर्ण समाज प्रभावित होता है । उपर्युक्त चर्चा के प्रकाश में, यह प्रमाणिक तौर पर स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी के विधिक अधिकार से इनकार या वंचित नहीं किया जा सकता है । उसे किसी विधिक तौर पर संरक्षित हित से क्षति कारित नहीं की जा सकती है । वस्तुतः आक्षेपित आदेश को उसके विरुद्ध विनिश्चित के रूप में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, कम-से-कम इससे उसके हक में कुछ भी दोषपूर्ण तौर पर प्रभावित नहीं किया जा सकता है । वह विधिक दोष के अध्यधीन नहीं होता है । वह शिकायत से ग्रसित नहीं होता है । वह न्याय योग्य दावे के लिए विधिक आधार पर निर्भर नहीं होता है । इसलिए, वह अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर चुनौती देने के लिए 'व्यथित व्यक्ति' नहीं है ।'

(16) नार्दर्न प्लास्टिक लिमिटेड **बनाम** हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस् मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड और अन्य [(1997) 4 एस. सी. सी. 452] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने पुनः 'व्यथित व्यक्ति' और 'परस्पर विरोधी सरकारी उपक्रम को सुने जाने के अधिकार' के अर्थान्वयन पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि परस्पर विरोधी व्यापारी इस आधार पर रिट याचिका कायम

नहीं रख सकते हैं कि उनका कारबार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा ।

(17) हमारा मत यह है कि याची व्यथित व्यक्ति नहीं है, इस प्रकार, उसे उपखंड मजिस्ट्रेट, जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर द्वारा पारित तारीख 16 मार्च, 2009 के आदेश को चुनौती देते हुए, वर्तमान रिट याचिका फाइल करने के लिए सुने जाने का कोई अधिकार नहीं है, यह सुरेश सिंह **बनाम** आयुक्त, मुरादाबाद खंड (उपर्युक्त) वाले मामले में, इस न्यायालय के विनिश्चिय द्वारा भी समर्थित है, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उ. प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 95(छ) के अधीन किसी जांच में, शिकायतकर्ता, जो उप-प्रधान था, जांच में साक्षी हो सकता था किन्तु उसे राज्य प्राधिकारियों के आदेश के विरुद्ध रिट याचिका फाइल करने के लिए इस न्यायालय में सुने जाने का अधिकार नहीं था, इस कारण से कि उसका कोई भी वैयक्तिक अधिकार प्रभावित नहीं होता है ।

(18) इस प्रकार, याची को संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन वर्तमान रिट याचिका फाइल करने के लिए सुने जाने का अधिकार नहीं है । अन्यथा भी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, हम, संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन अपनी विवेकीय अधिकारिता का प्रयोग करना समुचित नहीं समझते हैं ।"

(रेखांकन जोर देने के लिए किया गया है)

22. याची को प्रत्यर्थी संख्या 5 के पक्षकथन की इस स्वीकृति के कारण कि प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 5 के पक्ष में निष्पादित तारीख 8 अगस्त, 2013 के संशोधन विलेख पर पर्याप्त तौर पर स्टाम्प लगा हुआ है, कोई क्षति कारित नहीं हुई है । अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क के अधीन कार्यवाहियां पूर्वोक्त संशोधन विलेख के संबंध में, प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरुद्ध आरम्भ की गई थीं । इन परिस्थितियों में, याची, न तो प्रत्यर्थी संख्या 5 के विरुद्ध स्टाम्प शुल्क की मांग की पुष्टि से ग्रसित है अथवा न ही प्रत्यर्थी संख्या 5 के इस पक्षकथन की स्वीकृति से ग्रसित है कि संशोधन विलेख पर पर्याप्त तौर पर स्टाम्प लगा हुआ है ।

23. यह सुस्थिर विधि है कि व्यक्ति, जो विधिक क्षति से ग्रसित है, मात्र वही अधिनियम, कार्रवाई, आदेश इत्यादि को चुनौती दे सकता है । संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका किसी कानूनी या विधिक अधिकार को प्रवर्तित किए जाने के लिए कायम रखे जाने योग्य होती है या तब कायम रखे जाने योग्य होती है यदि याची द्वारा यह शिकायत की गई है कि प्राधिकारियों की ओर से कानूनी कर्तव्यों को भंग किया गया है । ऐसे व्यक्ति को यह दर्शित करना चाहिए कि उसका स्वयं उस विधि की दृष्टि में जो आम जनता के परे समुचित तौर पर लागू होती है, में अत्यधिक विशेष या विशिष्ट हित निहित है । इसलिए, यह न्यायिक तौर पर प्रवर्तनीय अधिकार होने चाहिए जिसके प्रवर्तन के लिए रिट अधिकारिता प्रतिस्थापित की जा सकती है । न्यायालय, व्यक्ति की प्रार्थना पर अपनी रिट अधिकारिता के माध्यम से लोक निकायों द्वारा कानूनी कर्तव्यों का पालन प्रवर्तित करा सकता है परन्तु, ऐसे व्यक्ति को न्यायालय का यह समाधान करना चाहिए कि ऐसा पालन कराने के लिए उसके पास विधिक अधिकार है । उक्त अधिकार का अस्तित्व में होना रिट अधिकारिता का अवलंब लेने के लिए पूर्व शर्त है । विधिक अधिकार, विधि से उद्‌भूत होने वाले हक का प्रकथन है । वस्तुतः, यह विधि के नियम द्वारा व्यक्ति को प्रदत्त लाभ या फायदा है । रिट याचिका, मात्र व्यथित व्यक्ति द्वारा ही कायम रखी जा सकती है । साधारण तौर पर, "व्यथित व्यक्ति" वह व्यक्ति होना चाहिए जो विधिक शिकायत से ग्रसित है, एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध विनिश्चय उद्‌घोषित किया गया है उससे उसे कुछ चीजों से दोषपूर्ण तरीके से वंचित किया गया है या कुछ चीजों से दोषपूर्ण तरीके से इनकार किया गया है या कुछ चीजों से उसके हक को दोषपूर्ण तरीके से प्रभावित किया गया है । इन सुस्थिर विधिक सिद्धांतों के संबंध में, माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित विनिश्चयों का उल्लेख कर सकते हैं । **कलकत्ता गैस कम्पनी प्रोपराईटरी लिमिटेड** बनाम **पश्चिमी बंगाल राज्य**[1], **केरल राज्य** बनाम **ए. लक्ष्मीकुट्टी**[2], **रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक** बनाम **चन्द बिहारी कपूर**[3], **केरल राज्य** बनाम **के. जी. एम. पिल्लई**[4], **राजेन्द्र सिंह** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[5], **उत्कल विश्वविद्यालय** बनाम **नरसिंह चरण**

---

[1] ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1044.

[2] ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 331.

[3] (1998) 7 एस. सी. सी. 469.

[4] जे. टी. 1988 (4) एस. सी. 613.

[5] (1996) 5 एस. सी. सी. 460.

सारंगी और अन्य[1], **लक्ष्मी नारायण आर. भट्ट और अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य**[2], **तमिलनाडु मरकेन्टाइल बैंक शेयर होल्डर्स वेलफेयर एशोसिएशन** बनाम **एस. सी. सेकर**[3], **शांति कुमार आर. चान्जी** बनाम **होम इंश्योरेंश कम्पनी आफ न्यूयार्क**[4], **राजस्थान राज्य** बनाम **भारत संघ**[5], **जयभाई मोतीभाई देसाई** बनाम **रोशन कुमार हाजी बशीर अहमद और अन्य**[6], **थम्मन्ना** बनाम **के. वीरा रेड्डी**[7], **एम. एस. जयराज** बनाम **उत्पाद-शुल्क आयुक्त, केरल**[8], **अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड** बनाम **चन्दरीमा दास**[9], **कबूसीकी कैश तोशीबा** बनाम **तोशीबा अप्लाएंस कम्पनी**[10] और **संजय कुमार गुप्ता और अन्य** बनाम **मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली और अन्य**[11] वाले मामले में, इस न्यायालय के खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक कोई व्यक्ति वास्तविक विधिक क्षति से ग्रसित नहीं होता है तब तक उसे रिट न्यायालय में नहीं सुना जा सकता है । वह मात्र इस कारण से ही रिट याचिका कायम नहीं रख सकता है क्योंकि वह परिस्थितियों का फायदाग्राही हो सकता है ।

24. उपर्युक्त चर्चा और माननीय उच्चतम न्यायालय तथा इस न्यायालय की खंड न्यायपीठों द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह अभिनिर्धारित करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है कि याची न तो अधिनियम, 1899 की धारा 33/47क के अधीन 2013 की स्टाम्प मामला संख्या 82 में अपर जिला मजिस्ट्रेट (एफ/आर), बलिया द्वारा पारित तारीख 30 जुलाई, 2014 के आदेश के साथ ही अधिनियम, 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण में, उप-आयुक्त (स्टाम्प), आजमगढ़ खंड, आजमगढ़ द्वारा पारित तारीख 4 नवम्बर, 2016 के आदेश से व्यथित है न ही याची को पूर्वोक्त दोनों आदेशों को चुनौती देने के लिए सुने जाने का

---

[1] ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 943.
[2] (2003) 5 एस. सी. सी. 413.
[3] (2009) 2 एस. सी. सी. 784.
[4] ए. आई. आर. 1974 एस. सी. 1719.
[5] ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 1361.
[6] ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 578.
[7] ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 116.
[8] (2000) 7 एस. सी. सी. 552.
[9] (2000) 2 एस. सी. सी. 465.
[10] (2008) 10 एस. सी. सी. 766.
[11] 2002 ए. डब्ल्यू. सी. 413.

अधिकार है जिसके द्वारा प्रश्नगत संशोधन विलेख को पर्याप्त रूप से स्टाम्प लगा हुआ अभिनिर्धारित किया गया था । तद्नुसार, प्रश्न संख्या 2 और 3 का उत्तर दिया जाता है ।

25. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका खारिज की जाती है ।

रिट याचिका खारिज की गई ।

क.

(2018) 1 सि. नि. प. 39 **गुवाहाटी**

मनिन्द्र किशोर पाल

बनाम

बादल चन्द दास

तारीख 16 जनवरी, 2017

मुख्य न्यायमूर्ति टी. वेफी और न्यायमूर्ति एस. सी. दास

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) – धारा 138 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45] – चेक का अनादरण – हस्तलेख विशेषज्ञ – चेक पर किए गए हस्ताक्षर का विवाद – हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत किसी भी विवाद्यक पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बन सकता, यह साक्ष्य सामान्यतः कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है और इस साक्ष्य को स्वीकार करने के लिए कुछ अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधिक साक्ष्य होने चाहिए ।

संक्षेप में, वादी का पक्षकथन यह है कि वह पेशे से कारोबारी था और प्रतिवादी एक ठेकेदार था और वे दोनों एक दूसरे को जानते थे । तारीख 9 जनवरी, 2008 को प्रतिवादी ने वादी से 6,25,000/- रुपए का ऋण प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया जिससे कि वह संविदा के अन्तर्गत कार्य को निष्पादित कर सके और साथ ही उसने ऋण की रकम का पुनर्संदाय 6 माह की अवधि के भीतर करने का आश्वासन दिया । वादी

सहमत हो गया और उसने तारीख 10 जनवरी, 2008 को प्रतिवादी को 6,25,000/- रुपए की रकम का संदाय हरनाथ भट्टाचार्जी की उपस्थिति में कर दिया । फरवरी, 2008 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी ने पुनः वादी से 7,25,000/- रुपए की एक अन्य रकम ऋण के स्वरूप प्रदान करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया जिससे कि वह अपने सम्पूर्ण संविदा कार्य को पूर्ण कर सके और वादी ने उक्त रकम भी तारीख 28 फरवरी, 2008 को प्रतिवादी को साक्षियों की उपस्थिति में दे दी । तारीख 26 अगस्त, 2008 को प्रतिवादी ने एक धन की प्राप्ति गैर-न्यायिक स्टाम्प पर चित्तरंजन पाल और गोविन्द देब नाथ नामक साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित की जिसके द्वारा उसने अंतिम रकम के संदाय की तारीख अर्थात् 28 फरवरी, 2008 से 6 माह की अवधि के भीतर सम्पूर्ण रकम के पुनर्संदाय का वचन दिया । प्रतिवादी ने करार की शर्तों के अनुसार, रकम का पुनर्संदाय नहीं किया और इसलिए वादी 27 मार्च, 2009 को हरनाथ भट्टाचार्जी के साथ प्रतिवादी के घर गया और उससे रकम का पुनर्संदाय तुरन्त करने का अनुरोध किया । उसी तारीख को वादी ने एक चेक, जिसकी संख्या 0833874 थी और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की अम्बासा शाखा पर आहरित था, प्रतिवादी को हस्तगत कर दिया और यह चेक हरनाथ भट्टाचार्जी द्वारा भरा गया था और प्रतिवादी द्वारा हरनाथ भट्टाचार्जी और वादी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया था । वादी ने चेक को नकदीकरण के लिए अपने खाते में जमा कर दिया किन्तु चेक इस आधार पर अनादरित होकर वापस लौट आया कि चेक के "अदाता के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते" और "खाते में अधिशेष कम है" । वादी के बैंक ने उसको इस स्थिति के बारे में तारीख 21 मई, 2009 के ज्ञापन द्वारा सूचित किया । वादी ने तुरन्त ही चेक के अनादर का तथ्य वादी के संज्ञान में लाया किन्तु प्रतिवादी ने कोई उत्तर नहीं दिया । तत्पश्चात् वादी ने तारीख 9 जून, 2009 का मांग नोटिस जारी किया किन्तु फिर भी प्रतिवादी ने रकम का संदाय नहीं किया । तत्पश्चात्, वादी ने कमाल पुर के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन परिवाद फाइल किया और इस दांडिक कार्यवाही में प्रतिवादी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया । वादी ने अपील फाइल की और अपील भी खारिज हो गई । तत्पश्चात् वादी ने रकम की वसूली के लिए वाद संस्थित कराया । वादी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादी ने वादी को

वंचित करने के दृष्टिकोण से जानबूझकर एक चेक जारी किया जिस पर उसने उस रीति से भिन्न रीति में हस्ताक्षर किए जिस रीति में उसने बैंक को हस्ताक्षर उपलब्ध कराए थे और इस प्रकार उसने चेक कपटपूर्वक जारी किया । वादी ने यह भी अभिकथित किया है कि प्रतिवादी ने धन प्राप्ति की रसीद गवाहों के समक्ष जारी की थी और वह उस रकम का पुनर्संदाय करने के लिए बाध्य है । इस प्रकार, वादी ने 13,50,000/- रुपए की 10 प्रतिशत ब्याज और वाद की लागत सहित डिक्री पारित करने की प्रार्थना की । विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्य पर विचारोपरान्त सभी विवाद्यकों को वादी के पक्ष में निर्णीत किया और तद्नुसार, वाद को डिक्री कर दिया । इससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने वर्तमान अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्यों और साथ ही हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा दिए गए मत पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है । वादी का पक्षकथन यह है कि प्रतिवादी द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2008 को सम्पर्क किए जाने पर उसने तारीख 10 जनवरी, 2008 को 6,25,000/- रुपए और तारीख 28 फरवरी, 2008 को 7,25,000/- रुपए कुल 13,50,000/- रुपए की रकम उधार स्वरूप दी थी और वादी द्वारा रकम का संदाय हरनाथ भट्टाचार्जी (अभि. सा. 2) की उपस्थिति में किया गया था । वादी का यह पक्षकथन भी है कि प्रतिवादी ने रकम का पुनर्संदाय रकम की रसीद जारी किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर किए जाने का आश्वासन दिया था । वादी ने आगे दलील दी कि प्रतिवादी ने तारीख 26 अगस्त, 2008 को एक धन प्राप्ति रसीद (प्रदर्श-8) जारी की थी और इसको अभि. सा. 2 द्वारा लिखा गया था और प्रतिवादी द्वारा अभि. सा. 3 और 4 की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया था । यह स्वीकृत स्थिति है कि वादी ने एक दांडिक मामला अर्थात् 2009 का दांडिक मामला संख्या 1903 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन कमाल पुर के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संस्थित कराया था और निर्णय की प्रति को प्रदर्श-6 के रूप में साबित किया गया है जिसके आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रतिवादी को संदेह का लाभ देते हुए, दांडिक मामले से दोषमुक्त कर दिया गया है चूंकि विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार, वादी अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं कर सका था । यह भी स्वीकृत स्थिति है कि वादी ने अपर

सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में 2010 की दांडिक अपील संख्या 7 फाइल की थी और अपील भी विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 21 मई, 2011 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई थी और तद्द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को मान्य ठहराया गया था । दांडिक मामले में दोषमुक्ति का यह अर्थ नहीं है कि वादी को उसके द्वारा अभिकथित रूप से उधार दी गई रकम की वसूली के लिए सिविल का वाद संस्थित कराने का हक नहीं है । सिविल वाद को पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों और साक्ष्य के आधार पर दांडिक मामले के निर्णय से प्रभावित हुए बिना निर्णीत किया जाएगा । दांडिक अपराध के आरोप को दांडिक न्यायालय के समक्ष विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना होता है और मामले को साबित करने का भार वादी/अभियोजन पर होता है । इसके विपरीत, सिविल वाद पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए अभिवचनों और साक्ष्य के आधार पर संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णीत किया जाता है और मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना अपेक्षित नहीं होता । मामले को साबित करने का भार निश्चित रूप से वाद पर होता है । यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वादी ने वाद को साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन किया । विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक विचारोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी अपने वाद को समस्त संभाव्यताओं के आधार पर साबित कर पाने में सफल रहा है कि उसने दावाधीन रकम उधारस्वरूप दी थी और प्रदर्श-1 प्रतिवादी की चेक बुक से जारी किया गया चेक था और प्रदर्श-8 प्रतिवादी द्वारा जारी की गई धन प्राप्ति रसीद थी जिसके द्वारा रकम के पुनर्संदाय का आश्वासन दिया गया था । हस्तलेख विशेषज्ञ के अनुभव और अर्हता के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया । अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि हस्तलेख विशेषज्ञ की अर्हता और अनुभव समुचित थे, जहां तक इस विवाद्यक का संबंध है और वह हस्तलेख के संबंध में एक विशेषज्ञ था । इस न्यायालय ने हस्तलेख विशेषज्ञ को प्रतिवादी के प्रदर्श-8 पर उपस्थित हस्ताक्षर उसी के अन्य हस्ताक्षरों, जो उसके द्वारा स्वीकृत अन्य दस्तावेजों पर उपस्थित हैं, से मिलान किए जाने के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट किए थे और हस्तलेख विशेषज्ञ ने दस्तावेजों का परीक्षण किया और मत व्यक्त किया कि वे हस्ताक्षर मनिन्द्र किशोर पाल अर्थात् प्रतिवादी के थे जिसको प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विवादित नहीं किया गया है । प्रतिवादी ने

अपने लिखित कथन में अभिवाक् किया है कि उसने ऐसी कोई धनप्राप्ति रसीद निष्पादित नहीं की थी । इसलिए, उसने प्रदर्श-8 को निष्पादित किए जाने से पूर्णतया इनकार कर दिया था । इसका अर्थ यह है कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित नहीं किया था । प्रतिवादी का यह पक्षकथन नहीं है कि वादी ने उसके हस्ताक्षर के पूर्ववर्ती अवसर पर एक कोरे स्टाम्प पेपर पर प्राप्त कर लिए थे और उसी कोरे स्टाम्प पेपर का प्रयोग वादी द्वारा किया गया । प्रतिवादी की ओर से ऐसे किसी अभिवचन या साक्ष्य की अनुपस्थिति में मात्र हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत सम्पूर्ण दस्तावेज पर अविश्वास किए जाने का आधार नहीं हो सकता जबकि दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को दस्तावेज को लिखने वाले और अन्य साक्षियों द्वारा साबित किया गया है । न्यायालय द्वारा हस्तलेख विशेषज्ञ का मत विवादित लिखावट के संबंध में सही विनिश्चय पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ न्यायालय की सहायता के लिए अभिप्राप्त किया गया था । विशेषज्ञ मामले के तथ्यों का साक्षी नहीं होता । विशेषज्ञ का साक्ष्य मात्र सलाह की प्रकृति का होता है । विशेषज्ञ का यह कर्तव्य है कि वह न्यायाधीश के समक्ष अपनी कार्यवाही की गुणवत्ता को निर्णीत किए जाने के लिए समस्त आवश्यक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करे जिससे कि न्यायाधीश मामले के साक्ष्य द्वारा साबित तथ्यों की गुणवत्ता का प्रयोग करते हुए, अपना स्वतंत्र निर्णय अभिनिश्चित कर सके । साक्ष्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए या तो स्वीकार किया जा सकता है या उससे इनकार किया जा सकता है । किसी वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत मात्र किसी तथ्य को स्वीकार किए जाने या उसको अस्वीकार किए जाने का आधार नहीं बन सकता । किसी विशेषज्ञ की विश्वसनीयता उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री, जो उसके निष्कर्ष का आधार होते हैं, के संबंध में अभिकथित कारणों पर निर्भर होती है । विधि की यह सुस्थापित प्रतिपादना है कि (हस्तलेख विशेषज्ञ) द्वारा व्यक्त किया गया मत, साक्ष्य, जो सुसंगत होता है, स्वीकार किए जाने योग्य होता है यदि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित आन्तरिक या बाह्य साक्ष्य विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए मत का समर्थन करने वाले हों । न्यायालय की सुविचारित राय में, विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत, विशेष रूप से हस्तलेखन के संबंध में, अत्यधिक सावधानी के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए । विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किए गए मत साक्ष्य को ग्रहण किए जाने और उस पर विचार किए जाने के लिए

कुछ अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधिक साक्ष्य होने चाहिए । ऐसे किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत किसी भी विवाद्यक पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बन सकता । पुनः, हस्तलेख विशेषज्ञ का साक्ष्य सामान्यतः कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है और इसकी अविश्वनीयता का अनेकों बार उल्लेख भी किया गया है । अतः न्यायालयों को हस्तलेख विशेषज्ञ के साक्ष्य को अत्यधिक महत्व देते समय सावधान रहना चाहिए । हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की गई मताभिव्यक्ति कि प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नांकित दस्तावेज में हस्ताक्षर प्रतिवादी मनिन्द्र किशोर पाल के थे और इस तथ्य की पुष्टि वादी द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए अन्य साक्ष्य से होती है और हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट का कुछ भाग अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के पुष्टिकरण में प्रतीत होता है और इसको तुरन्त स्वीकार किया जा सकता है । हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए मत का अन्य भाग कि दस्तावेज से ...... लक्षण प्रकट होते हैं और इसलिए, यह दलील कि दस्तावेज बनाया गया दस्तावेज है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता चूंकि विशेषज्ञ के इस मत को समायोजित किए जाने के लिए कोई अभिवचन या समर्थनकारी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अतः न्यायालय यह अभिनिर्धारित करता है कि विचारण न्यायालय ने प्रदर्श-8 का अवलंब लेकर ठीक किया । यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी को उसके खाता संख्या 6800 के संबंध में बैंक द्वारा चेक बुक जारी की गई थी और प्रदर्श-1 इसी चेक बुक का एक चेक है । प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि वह इस बात को स्पष्ट करता कि प्रदर्श-1 वादी के हाथ में कैसे चला गया । यह स्वीकृत है कि वह चेक अनादरित हो गया था । यद्यपि दांडिक मामला असफल हो गया फिर भी चेक को अन्य सामान्तर कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता था अर्थात् सिविल वाद के प्रयोजनार्थ और समस्त संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी ने इस चेक को बैंक में दिए अपने हस्ताक्षरों से भिन्नता करते हुए, वादी के साथ धोखा करने के आशय के साथ अपनी चेक बुक से जारी किया था और वह चेक अनादरित हो गया । इससे वादी का वाद साबित हो जाता है कि वादी ने उस रकम का ऋण प्रतिवादी को दिया था जिसका दावा उसके द्वारा किया गया है । अन्यथा प्रतिवादी के समक्ष ऐसा कोई कारण नहीं था कि वह अपनी चेक बुक से वादी के पक्ष में इस प्रकार का कोई चेक जारी करता । विचारण न्यायालय ने प्रदर्श-1 अर्थात् चेक के संबंध में सही मताभिव्यक्ति की है । (पैरा 23, 27, 28, 36, 37, 38, 43, 44 और 48)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2015] (2015) 7 एस. सी. सी. 178 :
तोमासो ब्रूनो और एक अन्य बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य ;** 20

[2009] (2009) 9 एस. सी. सी. 221 (पृष्ठ 249) :
मलय कुमार गांगुली बनाम **सुकुमार मुखर्जी और अन्य ।** 39

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2012 की नियमित प्रथम अपील सं. 17.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 96 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सर्वश्री एस. देब (जयेष्ठ अधिवक्ता) और पी. राय बर्मन

प्रत्यर्थियों की ओर से श्री एस. एम. चक्रवर्ती (वरिष्ठ अधिवक्ता) और सुश्री पी. सेन

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. सी. दास ने दिया ।

न्या. दास – सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 96 के अधीन यह अपील कैलाश शहर, उत्तरी त्रिपुरा (जिसको अब "ऊनाकोटि" कहा जाता है), के विद्वान् सिविल न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड द्वारा 2011 के धन वाद संख्या 1 में तारीख 15 सितम्बर, 2012 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है ।

2. अपीलार्थी की ओर से विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री एस. देब, जिनकी सहायता विद्वान् काउंसेल श्री पी. राय बर्मन द्वारा की गई और प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एस. एम. चक्रवर्ती, जिनकी सहायता विद्वान् काउंसेल सुश्री पी. सेन द्वारा की गई, को सुना ।

3. प्रत्यर्थी ने वादी के रूप में (जिसको इसमें इसके पश्चात् "वादी" के रूप में उल्लिखित किया गया है) अपीलार्थी को प्रतिवादी के रूप में दर्शित करते हुए उसके विरुद्ध 2011 का धन वाद संख्या 1 13,50,000/- रुपए की रकम की ब्याज सहित डिक्री प्राप्त करने की ईप्सा करते हुए संस्थित किया ।

4. संक्षेप में, वादी का पक्षकथन यह है कि वह पेशे से कारोबारी था और प्रतिवादी एक ठेकेदार था और वे दोनों एक दूसरे को जानते थे ।

तारीख 9 जनवरी, 2008 को प्रतिवादी ने वादी से 6,25,000/- रुपए का ऋण प्राप्त करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया जिससे कि वह संविदा के अन्तर्गत कार्य को निष्पादित कर सके और साथ ही उसने ऋण की रकम का पुनर्संदाय 6 माह की अवधि के भीतर करने का आश्वासन दिया । वाद सहमत हो गया और उसने तारीख 10 जनवरी, 2008 को प्रतिवादी को 6,25,000/- रुपए की रकम का संदाय हरनाथ भट्‌टाचार्जी की उपस्थिति में कर दिया । फरवरी, 2008 के प्रथम सप्ताह में प्रतिवादी ने पुनः वादी से 7,25,000/- रुपए की एक अन्य रकम ऋण के स्वरूप प्रदान करने के लिए सम्पर्क स्थापित किया जिससे कि वह अपने सम्पूर्ण संविदा कार्य को पूर्ण कर सके और वादी ने उक्त रकम भी तारीख 28 फरवरी, 2008 को प्रतिवादी को साक्षियों की उपस्थिति में दे दी ।

5. तारीख 26 अगस्त, 2008 को प्रतिवादी ने एक धन की प्राप्ति गैर-न्यायिक स्टाम्प पर चित्तरंजन पाल और गोविन्द देब नाथ नामक साक्षियों की उपस्थिति में निष्पादित की जिसके द्वारा उसने अंतिम रकम के संदाय की तारीख अर्थात् 28 फरवरी, 2008 से 6 माह की अवधि के भीतर सम्पूर्ण रकम के पुनर्संदाय का वचन दिया । प्रतिवादी ने करार की शर्तों के अनुसार, रकम का पुनर्संदाय नहीं किया और इसलिए वादी 27 मार्च, 2009 को हरनाथ भट्‌टाचार्जी के साथ प्रतिवादी के घर गया और उससे रकम का पुनर्संदाय तुरन्त करने का अनुरोध किया । उसी तारीख को वादी ने एक चेक, जिसकी संख्या 0833874 थी और त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की अम्बासा शाखा पर आहरित था, प्रतिवादी को हस्तगत कर दिया और यह चेक हरनाथ भट्‌टाचार्जी द्वारा भरा गया था और प्रतिवादी द्वारा हरनाथ भट्‌टाचार्जी और वादी की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया था । वादी ने चेक को नकदीकरण के लिए अपने खाते में जमा कर दिया किन्तु चेक इस आधार पर अनादरित होकर वापस लौट आया कि चेक के "अदाता के हस्ताक्षर मेल नहीं खाते" और "खाते में अधिशेष कम है" । वादी के बैंक ने उसको इस स्थिति के बारे में तारीख 21 मई, 2009 के ज्ञापन द्वारा सूचित किया ।

6. वादी ने तुरन्त ही चेक के अनादर का तथ्य वादी के संज्ञान में लाया किन्तु प्रतिवादी ने कोई उत्तर नहीं दिया । तत्पश्चात् वादी ने तारीख 9 जून, 2009 का मांग नोटिस जारी किया किन्तु फिर भी प्रतिवादी ने रकम का संदाय नहीं किया । तत्पश्चात्, वादी ने कमाल पुर के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष परक्राम्य लिखत अधिनियम की

धारा 138 के अधीन परिवाद फाइल किया और इस दांडिक कार्यवाही में प्रतिवादी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया । वादी ने अपील फाइल की और अपील भी खारिज हो गई । तत्पश्चात् वादी ने रकम की वसूली के लिए वाद संस्थित कराया ।

7. वादी द्वारा यह अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादी ने वादी को वंचित करने के दृष्टिकोण से जानबूझकर एक चेक जारी किया जिस पर उसने उस रीति से भिन्न रीति में हस्ताक्षर किए जिस रीति में उसने बैंक को हस्ताक्षर उपलब्ध कराए थे और इस प्रकार उसने चेक कपटपूर्वक जारी किया । वादी ने यह भी अभिकथित किया है कि प्रतिवादी ने धन प्राप्ति की रसीद गवाहों के समक्ष जारी की थी और वह उस रकम का पुनर्संदाय करने के लिए बाध्य है । इस प्रकार, वादी ने 13,50,000/- रुपए की 10 प्रतिशत ब्याज और वाद की लागत सहित डिक्री पारित करने की प्रार्थना की ।

8. प्रतिवादी ने वादपत्र में किए गए समस्त प्रकथनों से इनकार करते हुए, लिखित कथन फाइल करने के द्वारा वाद का प्रतिवाद किया । प्रतिवादी द्वारा यह दलील दी गई कि उसने वादी से तारीख 9 जनवरी, 2008 को 6,25,000/- रुपए का ऋण प्राप्त करने के लिए सम्पर्क नहीं किया था और उसने प्रतिवादी से तारीख 10 जनवरी, 2008 को ऐसी कोई रकम प्राप्त नहीं की और 6 माह के भीतर पुनर्संदाय करने का कभी कोई आश्वासन नहीं दिया और उसने वादी से फरवरी, 2008 के प्रथम सप्ताह में 7,25,000/- रुपए की एक अन्य रकम प्राप्त करने के लिए कभी सम्पर्क नहीं किया और तारीख 28 फरवरी, 2008 को ऐसी कोई रकम प्राप्त नहीं की और उसने साक्षियों की उपस्थिति में तारीख 26 अगस्त, 2008 को धन प्राप्ति की कोई रसीद कभी निष्पादित नहीं की । प्रतिवादी ने यह दलील भी दी कि उसने तारीख 27 मार्च, 2009 को 13,50,000/- रुपए की रकम का कोई चेक नहीं जारी किया और वादी दांडिक न्यायालय में इस कथन को साबित कर पाने में विफल रहा है । दांडिक न्यायालय ने चेक जारी किए जाने के प्रकथन के आधार पर याची द्वारा फाइल किए गए परिवाद का न्यायनिर्णयन करते हुए प्रतिवादी को दांडिक मामले के आरोप से दोषमुक्त कर दिया था और इस निर्णय की पुष्टि अपील न्यायालय द्वारा कर दी गई थी । चूंकि दांडिक न्यायालय ने पहले ही प्रतिवादी को दांडिक मामले के आरोप से दोषमुक्त कर दिया है, वादी का वाद उसी वाद कारण के आधार पर पोषणीय नहीं हो सकता और वादी का वाद पूर्व निर्णय के सिद्धांत द्वारा बाधित है । उसने वादी से कोई रकम ऋण के रूप में प्राप्त

नहीं की थी और तारीख 26 अगस्त, 2008 की धन प्राप्ति रसीद और तारीख 27 मार्च, 2009 का चेक निष्पादित नहीं किया था और उस पर लगाए गए आरोप असत्य हैं । अतः, प्रतिवादी ने वाद को लागत सहित खारिज किए जाने की प्रार्थना की ।

9. विचारण न्यायालय ने पक्षों के अभिकथनों पर विचारोपरान्त तारीख 13 जनवरी, 2011 के आदेश द्वारा निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :–

"(i) वादी का वाद पोषणीय है अथवा नहीं ?

(ii) क्या वाद के लिए कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ ?

(iii) क्या वाद परिसीमा विधि द्वारा बाधित है ?

(iv) क्या प्रतिवादी ने 13,50,000/- रुपए का ऋण 2 किस्तों में धन प्राप्त रसीद निष्पादित करके इस शर्त के साथ लिया था कि ऋण की रकम वादी को तारीख 26 अगस्त, 2008 से 6 माह के भीतर वापस लौटा दी जाएगी ?

(v) क्या प्रतिवादी ने वादी को धन प्राप्ति रसीद की शर्तों के अनुसार, उपरोक्त ऋण की राशि का पुनर्संदाय नहीं किया ?

(vi) क्या वादी उस डिक्री को प्राप्त करने का हकदार है जिसके लिए उसने याचना की है ?

(vii) कोई अन्य अनुतोष ।"

10. विचारण के अनुक्रम के दौरान वादी ने अपना परीक्षण अभि. सा. 1 के रूप में कराया और साथ ही उसने तीन अन्य साक्षियों का परीक्षण कराया, जिनके नाम हैं :–

1. अभि. सा. 2 हरनाथ भट्टाचार्जी

2. अभि. सा. 2 चितरंजन पाल

3. अभि. सा. 4 गोविन्द देब नाथ

वादी ने अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों को भी साबित किया ।

प्रदर्श 1/1 चेक सं. 0833874, तारीख 27-3-09 (प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित)

प्रदर्श 2 तारीख 19-5-09 की रसीद द्वारा जमा किया गया चेक (प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित)

प्रदर्श 3 तारीख 21-5-09 का चेक वापसी मेमो (प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित)

प्रदर्श 4 तारीख 9-6-09 के अधिवक्ता के नोटिस की प्रति (प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित)

प्रदर्श 5 डाक रजिस्टर्ड रसीद और पावती (प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित)

प्रदर्श 6 2009 के दांडिक पुनरीक्षण सं. 1903 में तारीख 6-10-10 के निर्णय की सत्यापित प्रति

प्रदर्श 7 2010 की दांडिक अपील सं. 7 में तारीख 21-5-11 को पारित निर्णय की सत्यापित प्रति

प्रदर्श 8/1 धन प्राप्ति रसीद (प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित) ।

11. प्रतिवादी ने अपना परीक्षण प्रतिरक्षा साक्षी 1 के रूप में कराया और अपने पक्षकथन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों को साबित किया :–

"प्रदर्श कई दस्तावेज-2010 की दांडिक अपील सं. 7 में पारित निर्णय की सत्यापित प्रति"

12. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्य पर विचारोपरान्त सभी विवाद्यकों को वादी के पक्ष में निर्णीत किया और तद्नुसार, वाद को डिक्री कर दिया ।

13. इससे व्यथित होकर प्रतिवादी ने वर्तमान अपील फाइल की ।

14. तारीख 8 दिसम्बर, 2015 को जब यह अपील विचारार्थ प्रस्तुत हुई तो इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"8 दिसम्बर, 2015

यह नियमित प्रथम अपील तारीख 15 सितम्बर, 2012 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध निर्देशित है जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने वाद को 13,50,000/- रुपए की रकम की बाबत वादी के पक्ष में और प्रतिवाद-अपीलार्थी के विरुद्ध ब्याज और लागत सहित डिक्री कर दिया । इस आदेश को दृष्टि में रखते हुए, जिसको हम

पारित कर रहे है, यह आवश्यक नहीं है कि विस्तारपूर्वक तथ्य उल्लिखित किए जाएं ।

वादी का पक्षकथन यह था कि प्रतिवादी ने उससे तारीख 9 जनवरी, 2008 को 6,25,000/- रुपए का ऋण प्राप्त करने के बाबत अपने मित्र हरनाथ भट्टाचार्जी के माध्यम से सम्पर्क किया । वादी का पक्षकथन यह है कि यह रकम इस शर्त के साथ उधार दी गई थी कि इसका पुनर्संदाय 6 माह की अवधि के भीतर कर दिया जाएगा । तत्पश्चात्, फरवरी, 2008 के अंतिम सप्ताह में प्रतिवादी ने वादी से 7,25,000/- रुपए की एक अन्य रकम उधार लेने के लिए पुनः सम्पर्क किया । इस रकम का पुनर्संदाय 6 माह के भीतर अर्थात् तारीख 28 अगस्त, 2008 तक कर दिया जाना था । तारीख 26 अगस्त, 2008 को एक लिखित दस्तावेज तैयार किया गया जिसके द्वारा प्रतिवादी ने अभिकथित रूप से स्वीकार किया कि उसके ऊपर वादी की 13,50,000/- रुपए की राशि बकाया है और वह उस रकम का पुनर्संदाय 6 माह के भीतर कर देगा । प्रतिवादी द्वारा एक मुख्य दलील दी गई जो यह है कि इस रसीद का उल्लेख वादी द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138क के अधीन फाइल की गई कार्यवाही में नहीं किया गया है और अपीलार्थी-प्रतिवादी के अनुसार यह रसीद उसके द्वारा कभी भी निष्पादित नहीं की गई थी ।

हमारा स्पष्टतः विचार है कि यही रसीद मामले का आधार है । यदि इस रसीद पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं तो इस साक्ष्य में उसको यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसके हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर किस प्रकार से हुए ।

आदेश 41, नियम 27 उपबंधित करता है कि अपील न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी दस्तावेज या किसी साक्षी को परीक्षण किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत किए जाने की अपेक्षा कर सकता है ताकि वह निर्णय करने में समर्थ होने के लिए या किसी सारवान् हेतुक के लिए करे ।

जैसा कि हमने ऊपर अभिनिर्धारित किया है, यह रसीद अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है और यह अभिनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि क्या इस दस्तावेज पर प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं या नहीं । इस न्यायालय के समक्ष फाइल किए गए लिखित कथन और

साथ ही अपीलों के आधार, वकालतनामा और साक्ष्य पर प्रतिवादी के जो हस्ताक्षर मौजूद हैं, जो स्वीकृत हैं । अतः, उसके स्वीकृत हस्ताक्षरों को दस्तावेज प्रदर्श 8 पर हस्ताक्षरों के साथ मिलान किए जाने के लिए पर्याप्त सामग्री अभिलेख पर मौजूद है ।

अतः हम निर्देशित करते हैं कि दस्तावेज प्रदर्श 8 त्रिपुरा राज्य के अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के हस्तलेख विशेषज्ञ को भेजा जाएगा और इस दस्तावेज, प्रदर्श 8 में उच्च न्यायालय में श्री मनिन्द्र किशोर पाल के अभिकथित हस्ताक्षर को घेरे, घेरा 'ए' में दर्शित किया गया है और त्रिपुरा राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के हस्तलेख विशेषज्ञ न्यायालय फाइल पर लिखित कथन के पृष्ठ 2 पर प्रतिवादी के स्वीकृत हस्ताक्षर के साथ मिलान करेंगे । उसके हस्ताक्षर पृष्ठ 11 पर उपलब्ध हैं और उनके घेरे में दर्शित किया गया है जो घेरा 'ख', ग, घ, ङ , च, छ, ज, झ, ...। अपीलार्थी-प्रतिवादी के स्वीकृत हस्ताक्षर साक्ष्य में फाइल किए गए उसके शपथपत्र के पृष्ठ 6 पर उपलब्ध हैं जिनको .... द्वारा घेरे में दर्शित किया गया ।

स्वीकृत हस्ताक्षर वकालतनामा पर भी उपलब्ध हैं घेरा .... में दर्शित किया गया ।

न्यायिक रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि वे इन सभी दस्तावेजों की फोटोकापी कराएं, उनको प्रमाणित करें और मूल अभिलेख में रखें और मूल दस्तावेजों को मूल प्रदर्श 8 के साथ त्रिपुरा राज्य की अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के हस्तलेख विशेषज्ञ को भेजें, जो इस बाबत राय देंगे कि क्या विचारण न्यायालय के समक्ष दस्तावेज प्रदर्श 8 पर घेरा क में दर्शित किए गए हस्ताक्षर उसी व्यक्ति द्वारा किए गए थे जिसने अभिवचनों, शपथपत्रों और वकालतनामा में हस्ताक्षर ...... से ...... किए थे ।

सभी आवश्यक कार्य 15 (पन्द्रह) दिनों में किए जाएं । त्रिपुरा राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा रिपोर्ट तारीख 15 फरवरी, 2016 तक प्रस्तुत की जाए और मामले को इस न्यायालय के समक्ष तारीख 1 मार्च, 2016 को प्रस्तुत किया जाए ।

हम यह स्पष्ट कर रहे हैं कि हम इस रिपोर्ट के विरुद्ध किसी भी आक्षेप पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि त्रिपुरा राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के हस्तलेख विशेषज्ञ न्यायालय की ओर से दस्तावेजों की

जांच कर रहे हैं । हम उसके विरुद्ध किसी आक्षेप पर विचार नहीं करेगें ।

परीक्षणकर्ता अपने शुल्क का विल भेज सकते हैं और उस विल के संदाय के संबंध में आदेश अपील के अंतिम निष्तारण के समय पारित किया जाएगा ।"

(जोर देने के लिए रेखांकन किया गया ।)

15. इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के मतावलम्बन में त्रिपुरा राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के हस्तलेख विशेषज्ञ ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी और उस रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् इस न्यायालय ने तारीख 1 मार्च, 2016 को निम्नलिखित आदेश पारित किया :–

"1 मार्च, 2016

हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है । हस्तलेख विशेषज्ञ ने मत व्यक्त किया है कि 'क' द्वारा चिह्नांकित हस्ताक्षर अपीलार्थी मनिन्द्र किशोर पाल के स्वीकृत हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं । उनके अनुसार, दस्तावेज प्रदर्श 8 में मनिन्द्र किशोर पाल के 'क' द्वारा चिह्नांकित हस्ताक्षर प्राप्ति के मुख्य भाग में प्रविष्टि किए जाने के पहले से विद्यमान थे ।

हम इस मामले में, हस्तलेख विशेषज्ञ से कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करना चाहेंगे ।

तारीख 6 अप्रैल, 2016 को सूचीबद्ध हों ।

महारजिस्ट्रार हस्तलेख विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उक्त तारीख पर पूर्वाह्न 10.30 बजे उपस्थित होने के लिए संसूचित करेंगे । मामले को न्यायालय की कार्यसूची में सबसे ऊपर सूचीबद्ध किया जाएगा चूंकि हमने हस्तलेख विशेषज्ञ को बुलाया है और हम उसको अधिक देर तक रोकना नहीं चाहेंगे ।"

16. उपरोक्त आदेश के मतालम्बन में तारीख 6 अप्रैल, 2016 को हस्तलेख विशेषज्ञ अर्थात् वी. जी. एस. भटनागर इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उनका परीक्षण और प्रतिपरीक्षण मुख्य साक्षी के रूप में किया गया । हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को प्रदर्श सी-1 के रूप में चिह्नांकित किया गया और उसके मत को प्रदर्श सी-2 के रूप में चिह्नांकित किया गया और सभी संलग्नकों को सामूहिक रूप से प्रदर्श सी-3 के रूप में चिह्नांकित किया गया ।

17. हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट, जिसको प्रदर्श सी-1 के रूप में चिह्नांकित किया गया था, इस प्रकार है :-

"राज्य अपराध विज्ञान प्रयोगशाला

त्रिपुरा सरकार

नरसिंहगढ़ : अगरतला

मत

सं. डी. ओ. सी. /54/15 रजिस्ट्रार (न्यायिक) त्रिपुरा उच्च न्यायालय, अगरतला

आर. एफ. ए. सं. 17 सन् 2012

मेरे द्वारा इस मामले के दस्तावेजों का सावधानीपूर्वक और सम्पूर्णता में परीक्षण अगरतला की राज्य अपराध प्रयोगशाला में उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से किया गया ।

2. लाल रंग से घेरे गए हस्ताक्षरों, जिनको मोहर द्वारा संलग्नक .... से .... द्वारा चिह्नांकित किया गया है, का गहनतापूर्वक मिलान किए जाने पर हस्तलेखन में समरूपताएं प्रकट होती हैं जिनसे यह दर्शित होता है कि उनको एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा गया था ।

3. वह व्यक्ति जिसने लाल रंग से घेरे में लिए गए हस्ताक्षर को लिखा था और जिनको प्रदर्श बी से एस के रूप में चिह्नांकित किया गया और मनिन्द्र किशोर पाल के हस्ताक्षर, के रूप में तात्पर्यित किया गया ने ही लाल रंग से घेरे गए वे हस्ताक्षर भी लिखे थे जिनको मोहर द्वारा प्रदर्श संख्या ए के रूप में चिह्नांकित किया गया ।

4. उन हस्ताक्षरों का परीक्षण, जिनको प्रदर्श संख्या 'क' के रूप में चिह्नांकित किया गया है और साथ ही रसीद (प्रदर्श संख्या 8) में ए-1 द्वारा चिह्नांकित लेखांश तिथि व समय की अशुद्धता के लक्षणों को प्रकट करने वाला है जो यह उपदर्शित करता है कि रसीद (प्रदर्श संख्या 8) असली दस्तावेज नहीं है बल्कि एक बनाया गया दस्तावेज है ।

नमूना मोहर

तारीख : 21 जनवरी, 2016

हस्ताक्षर अपठनीय
(वी. जी. एस. भटनागर) एमएससी
सलाहकार और दस्तावेज परीक्षक
एस. एफ. एस. एल., नरसिंहगढ़, अगरतला ।

प्रति हस्ताक्षरित
हस्ताक्षर अपठनीय
(डा. एच. के. प्रतिहारी)
निदेशक
एस. एफ. एस. एल., नरसिंहगढ़, अगरतला ।"

18. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री देब ने निवेदन किया कि हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को (अभिलेख पर) स्वीकार कर लिया गया है और उस रिपोर्ट के अनुसार प्रदर्श-8 एक असली दस्तावेज नहीं था । हस्तलेख विशेषज्ञ ने स्पष्ट रूप से मत व्यक्त किया कि यह एक बनाया गया दस्तावेज था । इस न्यायालय के समक्ष मुख्य साक्षी के रूप में अपने परीक्षण के समय उसके समक्ष कारण समनुदेशित किए गए कि उसने यह मत क्यों व्यक्त किया था कि यह एक बनाया गया दस्तावेज है और उसके द्वारा व्यक्त किए गए मत को किसी भी प्रकार से विवादित नहीं किया जा सका और इसलिए, वादी दस्तावेज (प्रदर्श-8) का लाभ अपने मामले को साबित करने के प्रयोजनार्थ नहीं ले सकता ।

विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री देब द्वारा यह दलील भी दी गई कि वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन उस चेक के संबंध में, जिसको प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नांकित किया गया था, दांडिक अभियोजन भी संस्थित कराया था और वादी दांडिक न्यायालय के समक्ष यह साबित कर पाने में विफल रहा था कि चेक प्रतिवादी द्वारा जारी किया गया था और इसलिए, उस चेक के आधार पर वादी का वर्तमान वाद नहीं चल सकता ।

विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री देब के अनुसार, वादी का सम्पूर्ण पक्षकथन प्रदर्श-1 और प्रदर्श-8 पर आधारित था । जबकि दोनों दस्तावेज संदेहास्पद थे, विचारण न्यायालय को उन दस्तावेजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था और वाद को खारिज कर देना चाहिए था ।

विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री देब द्वारा आगे दलील दी गई कि वादपत्र

के अनुसार 6,25,000/- रुपए की रकम तारीख 10 जनवरी, 2008 को उधार स्वरूप दी गई थी और 7,25,000/- रुपए की एक अन्य रकम तारीख 28 फरवरी, 2008 को उधार स्वरूप दी गई थी किन्तु उक्त अभिकथित रकमों का संदाय किए जाने की तारीख पर कोई भी दस्तावेज निष्पादित नहीं किया गया था । प्रदर्श-8 को एक संदेहास्पद दस्तावेज प्रतीत किया गया था चूंकि इस दस्तावेज को तारीख 26 अगस्त, 2008 को इस वायदे के साथ निष्पादित किया गया था कि रकम का संदाय तारीख 28 फरवरी, 2008 से 6 माह के भीतर कर दिया जाना चाहिए । इस दस्तावेज की अन्तर्वस्तु स्वयमेव संदेहास्पद थी और निश्चित रूप से यह एक बनाया गया दस्तावेज था, जैसी कि मताभिव्यक्ति हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की गई थी ।

श्री देब ने आगे निवेदन किया कि धन प्राप्ति रसीद प्रतिवादी द्वारा तारीख 26 अगस्त, 2008 को जारी की गई थी और चेक तारीख 27 मार्च, 2009 को जारी किया गया था । अतः धनराशि रसीद का स्थान पश्चात्‌वर्ती चेक ने ले लिया था और चूंकि वादी चेक के बाबत अपने मामले को पहले ही दांडिक न्यायालय के समक्ष साबित कर पाने में विफल रहा, वह अब प्रदर्श-8, अर्थात् तारीख 26 अगस्त, 2008 की धनराशि रसीद के आधार पर दावा नहीं कर सकता । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह निवेदन भी किया है कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष स्वयमेव ही विपरीत हैं और विधि की दृष्टि में मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं हैं । इस न्यायालय ने दस्तावेज पर विशेषज्ञ की राय लेकर ठीक कार्य किया और विशेषज्ञ की राय को ध्यान में रखते हुए वादी का वाद खारिज किए जाने योग्य है और अपील मंजूर किए जाने योग्य है तथा निर्णय और डिक्री अपास्त किए जाने योग्य है ।

19. इसके विपरीत, वादी की ओर से उपस्थित विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री चक्रवर्ती ने निवेदन किया कि इस न्यायालय द्वारा हस्तलेख विशेषज्ञ से विनिर्दिष्ट रूप से पूछा गया था क्या प्रदर्श-8 पर प्रतिवादी के अभिकथित हस्ताक्षर अभिलेख पर उपलब्ध उसके अन्य स्वीकृत हस्ताक्षरों से मेल खाते हैं । हस्तलेख विशेषज्ञ को अन्य कोई प्रश्न निर्दिष्ट नहीं किया गया था । अतः दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के संबंध में हस्तलेख विशेषज्ञ की राय अनप्रेक्षित राय थी और इस राय का अवलंब नहीं लिया जा सकता । उन्होंने यह दलील भी दी है कि हस्तलेख विशेषज्ञ की यह राय कि प्रदर्श-8

पर हस्ताक्षर प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं जो वादी के अभिकथनों और उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की पुष्टि करते हैं ।

20. अभि. सा. 2, 3 और 4 ने प्रदर्श-8 को साबित करते हुए कहा है कि इसको उनकी अनुपस्थिति में निष्पादित किया गया था और अभि. सा. 2 ने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे । अतः, दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु को उन साक्षियों द्वारा साबित किया गया था जिनका परीक्षण वादी द्वारा किया गया था और साथ ही हस्ताक्षर को उन साक्षियों द्वारा साबित किया गया था जिनकी पुष्टि हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की गई थी । हस्तलेख विशेषज्ञ की शेष राय अनपेक्षित थी और न्यायालय द्वारा बिना मांगे ही दे दी गई थी । हस्तलेख विशेषज्ञ से यह उम्मीद नहीं की जाती कि वह न्यायालय द्वारा मांगे बिना ही अपनी राय दे दे । श्री चक्रवर्ती के अनुसार, प्रतिवादी ने न तो अपने अभिवचनों में और न ही अपने साक्ष्य में कहीं पर यह अभिकथित किया है कि उसने किसी कोरे कागज पर हस्ताक्षर किए थे या उससे किसी अलिखित स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर कराए गए थे या ऐसे किसी कागज को वादी द्वारा चुराया गया था और तद्द्वारा दस्तावेज एक बनाया गया दस्तावेज है । ऐसे किसी अभिवचन या साक्ष्य की अनुपस्थिति में, सभी संभाव्यताओं में, वादी का साक्ष्य स्वीकार किए जाने योग्य है और बिना मांगी गई राय के संबंध में हस्तलेख विशेषज्ञ का आंशिक मत अमान्य किए जाने योग्य है । उन्होंने **तोमासो ब्रूनो और एक अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में, दिए गए निर्णय के पैरा 40 में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई मताभिव्यक्ति को निर्दिष्ट किया ।

21. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री चक्रवर्ती ने निवेदन किया कि प्रतिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि वह त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की अम्बासा शाखा में खाता संख्या 6800 का धारक था और बैंक ने उसके पक्ष में एक चेक बुक जारी की थी जिसमें चेक संख्या 0833874 समाविष्ट थी । प्रतिवादी ने न तो अपने अभिवचनों में न ही अपने साक्ष्य में ऐसा कुछ अभिकथित किया है कि प्रदर्श-1, जो कि चेक है, उसके कब्जे से चोरी हो गई थी या किसी भी प्रकार से वादी के पास पहुंच गई थी और वादी ने उसको बेईमानीपूर्वक रकम का दावा करने के प्रयोजनार्थ सृजित कर लिया ।

समस्त संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए, यह धारणा की जाती है

[1] (2015) 7 एस. सी. सी. 178.

कि वादी द्वारा चेक सम्यक् प्रक्रिया में जानबूझकर अपने हस्ताक्षरों में परिवर्तन करते हुए जारी की गई थी ताकि बैंक द्वारा उसका संदाय न किया जाए ।

22. श्री चक्रवर्ती के अनुसार, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन वाले मामले से अभियुक्त की दोषमुक्ति से सिविल वाद के परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और सिविल वाद अभिवचनों और साक्ष्य के आधार पर दांडिक मामले के तथ्यों का अनदेखा करते हुए निर्णीत किया जाएगा । यदि अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचन और साक्ष्य पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए तो वादी का पक्षकथन कि उसने प्रतिवादी को 13,50,000/- रुपए की रकम उधार दी थी और प्रतिवादी ने उसके पक्ष में धन प्राप्ति रसीद (प्रदर्श-8) जारी किया था और चेक (प्रदर्श-1) भी जारी किया था, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य, दोनों ही प्रकार से साबित हो गया है और इसलिए, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का न्यायतः अर्थान्वयन किया इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री बनाई रखी जानी चाहिए ।

23. हमने, अभिलेख पर उपलब्ध अभिवचनों और साक्ष्यों और साथ ही हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा दिए गए मत पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है । वादी का पक्षकथन यह है कि प्रतिवादी द्वारा तारीख 10 जनवरी, 2008 को सम्पर्क किए जाने पर उसने तारीख 10 जनवरी, 2008 को 6,25,000/- रुपए और तारीख 28 फरवरी, 2008 को 7,25,000, कुल 13,50,000/- रुपए की रकम उधार स्वरूप दी थी और वादी द्वारा रकम का संदाय हरनाथ भट्टाचार्जी (अभि. सा. 2) की उपस्थिति में किया गया था । वादी का यह पक्षकथन भी है कि प्रतिवादी ने रकम का पुनर्संदाय रकम की रसीद जारी किए जाने की तारीख से 6 माह के भीतर किए जाने का आश्वासन दिया था । वादी ने आगे दलील दी कि प्रतिवादी ने तारीख 26 अगस्त, 2008 को एक धन प्राप्ति रसीद (प्रदर्श-8) जारी की थी और इसको अभि. सा. 2 द्वारा लिखा गया था और प्रतिवादी द्वारा अभि. सा. 3 और 4 की उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया था ।

24. वादी ने आगे दलील दी कि प्रतिवादी ने करार के निबंधनों के अनुसार, रकम का संदाय नहीं किया और इसलिए, वादी तारीख 27 मार्च, 2009 को अभि. सा. 2 के साथ प्रतिवादी के घर गया और उससे रकम का संदाय किए जाने की बाबत सम्पर्क किया और प्रतिवादी ने उसी दिन

त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की अम्बासा शाखा पर आहरित 13,50,000/- रुपए की रकम का चेक जारी किया था । चेक अभि. सा. 2 द्वारा लिखा गया था और प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था जिसको वादी और अभि. सा. 2 के साक्ष्य द्वारा साबित किया गया है । वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सुस्पष्ट कथन किया है जिसको प्रतिपरीक्षा में या अन्यथा रूप से विवादित नहीं किया जा सका । वादी ने स्वीकार किया है कि उसने अपने दांडिक परिवाद अर्थात् 2009 के मामला सं. 1903 में उल्लेख किया है कि प्रतिवादी ने तारीख 26 अगस्त, 2008 को एक धनप्राप्ति रसीद जारी की थी । परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन संस्थित दांडिक परिवाद में धनप्राप्ति के तथ्य का उल्लेख न किए जाने को इस तथ्य पर अविश्वास किए जाने का आधार नहीं बनाया जा सकता कि प्रतिवादी द्वारा ऐसी कोई धनप्राप्ति रसीद जारी/ निष्पादित नहीं की गई थी । वादी का वाद अभिवचनों के संगत है और अभि. सा. 2, 3 और 4 के साक्ष्य द्वारा समर्थित है और दोनों ही दस्तावेज अर्थात् प्रदर्श-1 और प्रदर्श-8 को वादी और उसके साक्ष्यों द्वारा विधि अनुसार साबित किया गया ।

25. जैसा कि स्पष्ट है, अभि. सा. 2 स्वतंत्र साक्षी है । उसने स्पष्टतः अभिकथित किया है कि तारीख 10 जनवरी, 2008 को 6,25,000/- रुपए और तारीख 28 फरवरी, 2008 को 7,25,000/- रुपए का उधार वादी द्वारा प्रतिवादी को उसकी उपस्थिति में दिया गया था । उसने यह भी अभिकथित किया है कि प्रदर्श-8 उसके द्वारा लिखा गया था और इस दस्तावेज पर प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । उसने यह भी अभिकथित किया है कि तारीख 27 मार्च, 2009 को वह और वादी प्रतिवादी के घर गए और प्रतिवादी ने वादी के पक्ष में 13,50,000/- रुपए की रकम का चेक जारी किया और उस चेक को उसी ने लिखा था जिस पर प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और वह चेक अनादरित हो गया । उसने प्रदर्श-8 की अन्तर्वस्तु और दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों और चेक पर अपनी लिखत को साबित किया । उसके साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में संदेहास्पद नहीं किया जा सका । ऐसा दर्शित किए जाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि वह एक हितबद्ध साक्षी था और/या वादी का तैयार किया गया साक्षी था । अभिलेख पर ऐसे किसी भी साक्ष्य की अनुपस्थिति में विचारण न्यायालय ने हमारी सुविचारित राय में अभि. सा. 2 के साक्ष्य का न्यायतः अवलम्ब लिया ।

26. अभि. सा. 3 और 4 प्रदर्श-8 के साक्षी हैं । उन्होंने स्पष्टतः कथन किया है कि तारीख 26 अगस्त, 2008 को प्रदर्श-8 उनकी उपस्थिति में अभि. सा. 2 द्वारा लिखा गया था और प्रतिवादी ने उनकी उपस्थिति में अपने हस्ताक्षर किए थे । उनके साक्ष्य को प्रतिपरीक्षा में किसी भी प्रकार से संदेहास्पद नहीं किया गया है । प्रतिपरीक्षा में सिवाय सुझावों के ऐसा कुछ भी दर्शित नहीं किया गया है कि वे साक्षी किसी भी प्रकार से वादी की सहायता के प्रयोजनार्थ हितबद्ध थे या साक्षी प्रतिवादी के प्रतिकूल थे । प्रतिवादी ने न तो अभिवचनों में न ही साक्ष्य में ऐसा कोई बिन्दु उठाया है कि अभि. सा. 2, 3 और 4 हितबद्ध साक्षी थे और उसके प्रतिकूल थे और इसलिए, उन्होंने वादी के पक्ष में और उसके विरुद्ध शपथपूर्वक साक्ष्य दिया । वादी और उसके साक्षियों ने प्रदर्श-1 और प्रदर्श-8 को साबित किया है और विचारण न्यायालय ने उक्त दस्तावेजों, जिनकी पुष्टि अभियोजन साक्षियों के मौखिक साक्ष्य द्वारा की गई, का अवलंब लेते हुए वाद को डिक्री कर दिया ।

27. यह स्वीकृत स्थिति है कि वादी ने एक दांडिक मामला अर्थात् 2009 का दांडिक मामला संख्या 1903 परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन कमालपुर के उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संस्थित कराया था और निर्णय की प्रति को प्रदर्श-6 के रूप में साबित किया गया है जिसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रतिवादी को संदेह का लाभ देते हुए, दांडिक मामले से दोषमुक्त कर दिया गया है चूंकि विद्वान् उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के अनुसार, वादी अपने मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं कर सका था । यह भी स्वीकृत स्थिति है कि वादी ने अपर सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में 2010 की दांडिक अपील संख्या 7 फाइल की थी और अपील भी विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 21 मई, 2011 के निर्णय द्वारा खारिज कर दी गई थी और तद्द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को मान्य ठहराया गया था । दांडिक मामले में दोषमुक्ति का यह अर्थ नहीं है कि वादी को उसके द्वारा अभिकथित रूप से उधार दी गई रकम की वसूली के लिए सिविल का वाद संस्थित कराने का हक नहीं है । सिविल वाद को पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिवचनों और साक्ष्य के आधार पर दांडिक मामले के निर्णय से प्रभावित हुए बिना निर्णीत किया जाएगा ।

28. दांडिक अपराध के आरोप को दांडिक न्यायालय के समक्ष विधि

के सुस्थापित सिद्धांतों के अनुसार, युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना होता है और मामले को साबित करने का भार वादी/अभियोजन पर होता है । इसके विपरीत, सिविल वाद पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए अभिवचनों और साक्ष्य के आधार पर संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए निर्णीत किया जाता है और मामले को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित किया जाना अपेक्षित नहीं होता । मामले को साबित करने का भार निश्चित रूप से वाद पर होता है । यहां पर यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या वादी ने वाद को साबित करने के अपने दायित्व का निर्वहन किया । विचारण न्यायालय अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विस्तारपूर्वक विचारोपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वादी अपने वाद को समस्त संभाव्यताओं के आधार पर साबित कर पाने में सफल रहा है कि उसने दावाधीन रकम उधारस्वरूप दी थी और प्रदर्श-1 प्रतिवादी की चेक बुक से जारी किया गया चेक था और प्रदर्श-8 प्रतिवादी द्वारा जारी की गई धन प्राप्ति रसीद थी जिसके द्वारा रकम के पुनर्संदाय का आश्वासन दिया गया था ।

29. वादी ने प्रकथन किया कि प्रदर्श-8, जो कि धनप्राप्ति रसीद थी, तारीख 26 अगस्त, 2008 को प्रतिवादी द्वारा निष्पादित की गई थी और इसको अभि. सा. 2 द्वारा अभि. सा. 3 और 4 की उपस्थिति में लिखा गया था । वादी की यह दलील प्रदर्श-8 को साक्ष्य में प्रस्तुत किए जाने के द्वारा साबित की गई है और अभि. सा. 2, 3 और 4 के साक्ष्य को किसी भी प्रकार से संदेहास्पद नहीं किया गया है । प्रतिवादी का अभिवाक् यह था कि उसने न तो ऐसी कोई रकम कभी प्राप्त की और न ही इस प्रकार की कोई धनप्राप्ति रसीद कभी निष्पादित की । उसने अपने अभिवचनों या साक्ष्य में इस बात की कोई फुसफुसाहट भी नहीं की कि उसने कभी कोई अलिखित हस्ताक्षरित स्टाप पेपर वादी को हस्तगत किया था या वादी ने उसके हस्ताक्षर किसी कोरे स्टाप पेपर पर कपटपूर्वक प्राप्त कर लिए थे । चूंकि प्रदर्श-8 एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसका वादी ने अवलंब लिया है और जिससे प्रतिवादी ने इनकार किया है, इस न्यायालय ने दोनों पक्षों की सहमति से प्रदर्श-8 में उपस्थित प्रतिवादी के हस्ताक्षरों के संबंध में विशेषज्ञ का मत प्राप्त किया था ।

30. हस्तलेख विशेषज्ञ ने स्पष्टतः मत व्यक्त किया है कि प्रदर्श-8 पर उपस्थित प्रतिवादी के हस्ताक्षर उसके द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेजों पर स्वीकृत हस्ताक्षरों के सदृश हैं । इसलिए, वादी द्वारा अभिकथित मामला कि प्रदर्श-8 को प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया गया था, की पुष्टि हस्तलेख

विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए मत से हो जाती है ।

31. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री देब की दलील कि प्रदर्श-8 की अन्तर्वस्तु के संबंध में हस्तलेख विशेषज्ञ का मत प्रदर्श-8 को संदेहास्पद दस्तावेज बना देता है और इस दस्तावेज को विचारणार्थ स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए । क्या हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए मत के इस भाग को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं और क्या हस्तलेख विशेषज्ञ की इस मताभिव्यक्ति के आधार पर वादी का सम्पूर्ण मामला अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए, इस मामले में निर्णीत किए जाने हेतु अतिमहत्वपूर्ण बिन्दु है ।

32. यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रदर्श सी-1 के पैराग्राफ 4 में की गई मताभिव्यक्ति हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा न्यायालय की बिना किसी अपेक्षा के की गई थी । प्रदर्श-8 पर प्रतिवादी के हस्ताक्षर के संबंध में हस्तलेख विशेषज्ञ की मताभिव्यक्ति को प्रतिवादी द्वारा चुनौती नहीं दी गई है । इसलिए, इस बात की पुष्टि होती है कि प्रदर्श-8 में प्रतिवादी के हस्ताक्षर उसके असली हस्ताक्षर थे । अब प्रश्न यह है कि क्या प्रदर्श सी-1 के पैरा 4 में की गई मताभिव्यक्ति के आधार पर सम्पूर्ण दस्तावेज को अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए या नहीं ।

33. प्रदर्श सी-2 में हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए मत के पैरा 4 में निम्नलिखित कारण समनुदेशित किए गए हैं जिनको उसने इस न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कहा है :–

> "मैंने अपनी रिपोर्ट में अभिकथित किया है कि दस्तावेज पर मनिन्द्र किशोर पाल के आशयित हस्ताक्षर उसके द्वारा स्वीकृत दस्तावेजों पर हस्ताक्षरों के सदृश हैं । इसलिए, यह स्पष्ट है कि हस्ताक्षर मनिन्द्र किशोर पाल के ही हैं । तथापि, यह दस्तावेज असली दस्तावेज नहीं हैं क्योंकि जब उन हस्ताक्षरों, जिसको प्रदर्श-ए के रूप में चिह्नांकित किया गया है, की तुलना उस लिखावट के साथ की गई जिसको 'ए-1' के रूप में चिह्नांकित किया गया है, तो कालभ्रमित लक्षण प्रकट होते हैं और विडियो स्पेक्टक्रमी कोम्पेरेटर से तुलना किए जाने पर ये निष्कर्ष निकलता है कि लिखावट ए-1 उस हस्ताक्षर के ऊपर लिखी गई थी जिसको ए द्वारा चिह्नांकित किया गया है और जो पहले से विद्यमान थी । इससे यह उपदर्शित होता है कि हस्ताक्षर कोरे कागज पर लिए गए थे और तत्पश्चात् कोरे कागज

को लिखा गया था ।"

34. मत के इस भाग के संबंध में उसका (हस्तलेख विशेषज्ञ) प्रतिपरीक्षण वादी के विद्वान् काउंसेल द्वारा किया गया था और उसने प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित कथन किए थे :–

"मैं इस बात को स्वीकार या इनकार नहीं कर सकता कि क्या मनिन्द्र किशोर पाल उस समय उपस्थित था जब दस्तावेज को लिखा गया था ।

यह सत्य है कि प्रश्न संख्या 4 मुझको न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट नहीं की गई थी किन्तु मुझे किए गए निदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए इस विवाद्यक पर भी अपना मत व्यक्त कर दिया है ।

प्रश्न : जब यह प्रश्न आपको निर्दिष्ट नहीं किया गया था, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आपने इस दस्तावेज का वैज्ञानिक परीक्षण यह विनिर्धारित किए जाने के प्रयोजनार्थ नहीं किया है कि कौन सी लिखावट पूर्ववर्ती है और कौन सी पश्चात्वर्ती ।

उत्तर : यद्यपि यह प्रश्न मुझे निर्दिष्ट नहीं किया गया था, फिर भी मुझको भेजे गए निदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए मैंने यह उचित समझा कि न्यायालय को सूचित कर दिया जाए कि कौन सी लिखावट पूर्ववर्ती है और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने विडियो स्पेक्टक्रमी तुलना के अधीन परीक्षण संचालित किया ।"

35. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 विशेषज्ञ के मत पर विचार करती है, जो इस प्रकार है :–

"45. **विशेषज्ञों की रायें** – जब कि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुली चिह्नों की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में या हस्तलेख या अंगुली चिह्नों की अनन्यता विषयक प्रश्नों में, विशेष कुशल व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य हैं ।

ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं ।"

36. हस्तलेख विशेषज्ञ के अनुभव और अर्हता के संबंध में किसी भी पक्ष द्वारा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया । अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है

कि हस्तलेख विशेषज्ञ की अर्हता और अनुभव समुचित थे, जहां तक इस विवाद्यक का संबंध है और वह हस्तलेख के संबंध में एक विशेषज्ञ था । इस न्यायालय ने हस्तलेख विशेषज्ञ को प्रतिवादी के प्रदर्श-8 पर उपस्थित हस्ताक्षर उसी के अन्य हस्ताक्षरों, जो उसके द्वारा स्वीकृत अन्य दस्तावेजों पर उपस्थित हैं, से मिलान किए जाने के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट किए थे और हस्तलेख विशेषज्ञ ने दस्तावेजों का परीक्षण किया और मत व्यक्त किया कि वे हस्ताक्षर मनिन्द्र किशोर पाल अर्थात् प्रतिवादी के थे जिसको प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विवादित नहीं किया गया है ।

37. प्रतिवादी ने अपने लिखित कथन में अभिवाक् किया है कि उसने ऐसी कोई धनप्राप्ति रसीद निष्पादित नहीं की थी । इसलिए, उसने प्रदर्श-8 को निष्पादित किए जाने से पूर्णतया इनकार कर दिया था । इसका अर्थ यह है कि उसने ऐसा कोई दस्तावेज हस्ताक्षरित नहीं किया था । प्रतिवादी का यह पक्षकथन नहीं है कि वादी ने उसके हस्ताक्षर के पूर्ववर्ती अवसर पर एक कोरे स्टाम्प पेपर पर प्राप्त कर लिए थे और उसी कोरे स्टाम्प पेपर का प्रयोग वादी द्वारा किया गया । प्रतिवादी की ओर से ऐसे किसी अभिवचन या साक्ष्य की अनुपस्थिति में मात्र हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत सम्पूर्ण दस्तावेज पर अविश्वास किए जाने का आधार नहीं हो सकता जबकि दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को दस्तावेज को लिखने वाले और अन्य साक्षियों द्वारा साबित किया गया है ।

38. न्यायालय द्वारा हस्तलेख विशेषज्ञ का मत विवादित लिखावट के संबंध में सही विनिश्चय पर पहुंचने के प्रयोजनार्थ न्यायालय की सहायता के लिए अभिप्राप्त किया गया था । विशेषज्ञ मामले के तथ्यों का साक्षी नहीं होता । विशेषज्ञ का साक्ष्य मात्र सलाह की प्रकृति का होता है । विशेषज्ञ का यह कर्तव्य है कि वह न्यायाधीश के समक्ष अपनी कार्यवाही की गुणवत्ता को निर्णीत किए जाने के लिए समस्त आवश्यक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करे जिससे कि न्यायाधीश मामले के साक्ष्य द्वारा साबित तथ्यों की गुणवत्ता का प्रयोग करते हुए, अपना स्वतंत्र निर्णय अभिनिश्चित कर सके । साक्ष्य के वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य पर विचार करते हुए या तो स्वीकार किया जा सकता है या उससे इनकार किया जा सकता है । किसी वैज्ञानिक विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मात्र मत किसी तथ्य को स्वीकार किए जाने या उसको अस्वीकार किए जाने का आधार नहीं बन सकती । किसी विशेषज्ञ की विश्वसनीयता

उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष और उसके द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री, जो उसके निष्कर्ष का आधार होते हैं, के संबंध में अभिकथित कारणों पर निर्भर होती है ।

39. उच्चतम न्यायालय ने **मलय कुमार गांगुली** बनाम **सुकुमार मुखर्जी और अन्य**[1] वाले मामले में मताभिव्यक्ति की कि "न्यायालय विशेषज्ञ द्वारा दिए गए साक्ष्य, जो किसी सीमा तक परामर्शी प्रकृति का है, द्वारा बाध्य नहीं होता । न्यायालय को विशेषज्ञ के मत, जो दोनों पक्षों द्वारा पेश किया जा सकता है और उस बिन्दु, जिस पर वह शपथपूर्वक कथन करता है, पर निर्णयज विधियों पर विचारोपरान्त सावधानीपूर्वक अपना निष्कर्ष निकालना चाहिए ।"

40. हमारे समक्ष उपस्थित मामले में, रिपोर्ट के पैरा 4 में व्यक्त किया गया मत हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा अनपेक्षित रूप से दिया गया था । तथापि, ऐसी कोई विधि नहीं है कि वह (हस्तलेख विशेषज्ञ) अपना मत व्यक्त नहीं कर सकता । उसने इस कारण को समनुदेशित किया है कि उसने वीडियो स्पेक्ट्रम काम्पेरेटर के अधीन परीक्षण किया था । किन्तु उसने इस पहलू के संबंध में किसी प्राधिकार को निर्दिष्ट नहीं किया है । मत का वह भाग अत्यधिक तकनीकी प्रकृति का है । जब तक कि इसकी पुष्टि साक्ष्य की किसी अन्य बात द्वारा नहीं की जाती, विशेषज्ञ के ऐसे अनपेक्षित मत पर निर्भर रहना और वादी के सम्पूर्ण पक्षकथन पर संदेह करना अत्यधिक कठिन होगा ।

41. उच्चतम न्यायालय ने **तोमासो ब्रुनो** (उपरोक्त) वाले मामले में पैरा 40 में निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की है :–

> "न्यायालयों को सामान्यतः विशेषज्ञ के साक्ष्य पर स्वीकार्यता के अधिक से अधिक भाव के साथ विचार करना चाहिए, किन्तु यह भी समान रूप से सत्य है कि न्यायालय विशेषज्ञ की रिपोर्ट से आत्यंतिक रूप से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करते, विशेष रूप से तब जब कि वह रिपोर्ट औपचारिक है और मान्य ठहराए जाने योग्य नहीं । हम इस बात से सहमत हैं कि किसी विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए मत का उद्देश्य प्राथमिक रूप से किसी अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में न्यायालय की सहायता करना है किन्तु इस प्रकार की रिपोर्ट

[1] (2009) 9 एस. सी. सी. 221 (पृष्ठ 249).

निश्चायक नहीं होती । न्यायालय से अपेक्षा की जाती है कि वह रिपोर्ट का विश्लेषण करे, अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के सामंजस्य में उसको पढ़े तत्पश्चात् अपने विचार को अंतिम रूप प्रदान करे कि क्या वह रिपोर्ट भरोसा किए जाने योग्य है या नहीं । जैसी कि चर्चा की गई है, मृत्यु के कारण के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न किए गए हैं जैसा कि मृत्यु परीक्षा रिपोर्ट में अभिकथित है ।"

42. जैसा कि ऊपर पहले ही अभिकथित किया गया है, वादी ने अपने अभिवचनों और साक्ष्य में दलील देते हुए यह प्रकथन किया है कि प्रदर्श-8, जो प्रतिवादी द्वारा निष्पादित किया गया था, अभि. सा. 3 और 4 की उपस्थिति में अभि. सा. 2 द्वारा लिखा गया था और वादी और अन्य साक्षियों ने इस तथ्य को साबित किया है । प्रदर्श-8 में हस्ताक्षर की तुलना हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों में प्रतिवादी के स्वीकृत हस्ताक्षरों से की गई, और उनको सदृश पाया गया । हस्तलेख विशेषज्ञ की मताभिव्यक्ति का दूसरा भाग यह है कि दस्तावेज असली नहीं है और यह एक बनाया गया दस्तावेज इस आधार पर है कि हस्तलेख विशेषज्ञ ने परीक्षण किए जाने पर पाया कि दस्तावेजों में .... लक्षण हैं, जो कि हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा दिया गया तकनीकी मत है और तकनीकी मत को अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की किसी अन्य बात द्वारा पुष्ट नहीं किया गया है चूंकि प्रतिवादी ने कहीं भी यह अभिकथित नहीं किया है कि कोरे स्टाम्प पेपर पर उसके हस्ताक्षर अभिप्राप्त किए गए थे और उसी कोरे हस्ताक्षरित स्टाम्प पेपर पर दस्तावेज को तैयार किया गया था ।

43. विधि की यह सुस्थापित प्रतिपादना है कि (हस्तलेख विशेषज्ञ) द्वारा व्यक्त किया गया मत, साक्ष्य, जो सुसंगत होता है, स्वीकार किए जाने योग्य होता है यदि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित आन्तरिक या बाह्य साक्ष्य विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए मत का समर्थन करने वाले हों । हमारी सुविचारित राय में, विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत, विशेष रूप से हस्तलेखन के संबंध में, अत्यधिक सावधानी के साथ प्राप्त किया जाना चाहिए । विशेषज्ञ द्वारा प्रस्तुत किए गए मत साक्ष्य को ग्रहण किए जाने और उस पर विचार किए जाने के लिए कुछ अन्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधिक साक्ष्य होने चाहिए । ऐसे किसी साक्ष्य की अनुपस्थिति में विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किया गया मत किसी भी विवाद्यक पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने का आधार नहीं बन सकता । पुनः, हस्तलेख विशेषज्ञ का साक्ष्य

सामान्यतः कमजोर प्रकृति का साक्ष्य होता है और इसकी अविश्वनीयता का अनेकों बार उल्लेख भी किया गया है । अतः न्यायालयों को हस्तलेख विशेषज्ञ के साक्ष्य को अत्यधिक महत्व देते समय सावधान रहना चाहिए ।

44. हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा की गई मताभिव्यक्ति कि प्रदर्श-8 के रूप में चिह्नांकित दस्तावेज में हस्ताक्षर प्रतिवादी मनिन्द्र किशोर पाल के थे और इस तथ्य की पुष्टि वादी द्वारा अभिलेख पर पेश किए गए अन्य साक्ष्य से होती है और हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट का कुछ भाग अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य के पुष्टिकरण में प्रतीत होता है और इसको तुरन्त स्वीकार किया जा सकता है । हस्तलेख विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए मत का अन्य भाग कि दस्तावेज से .... लक्षण प्रकट होते हैं और इसलिए, यह दलील कि दस्तावेज बनाया गया दस्तावेज है, को स्वीकार नहीं किया जा सकता चूंकि विशेषज्ञ के इस मत को समायोजित किए जाने के लिए कोई अभिवचन या समर्थनकारी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है । अतः हम अभिनिर्धारित करते हैं कि विचारण न्यायालय ने प्रदर्श-8 का अवलंब लेकर ठीक किया ।

45. यह सत्य है कि वादी के अनुसार, 7,25,000/- रुपए का संदाय तारीख 28 फरवरी, 2008 को किया गया था किन्तु उस दिन किसी दस्तावेज को निष्पादित नहीं किया गया था । प्रदर्श-8 तारीख 26 अगस्त, 2008 को यह अभिकथित करते हुए निष्पादित किया गया था कि पुनर्संदाय तारीख 28 फरवरी, 2008 से 6 माह के भीतर कर दिया जाएगा । इससे यह भ्रम उत्पन्न होता है कि दस्तावेज को तारीख 26 अगस्त, 2008 को क्यों निष्पादित किया गया था । वादी ने अपने अभिवचनों या साक्ष्य में कहीं पर भी यह अभिकथित नहीं किया है कि इसको तारीख 26 अगस्त, 2008 को क्यों निष्पादित किया गया था । प्रतिवादी ने साधारण रूप से ऐसे किसी भी दस्तावेज के निष्पादन से इनकार किया है और उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथित किया है "यह एक तथ्य है कि मैं धनप्राप्ति रसीद (प्रदर्श-8/1) पर उपस्थित मनिन्द्र किशोर पाल के नाम में किए गए हस्ताक्षरों को अपने हस्ताक्षर के रूप में स्वीकार करने से इनकार नहीं करता हूं । प्रदर्श-8/1 पर उपस्थित मनिन्द्र किशोर पाल के नाम में किए गए हस्ताक्षर साक्षी को दिखाए गए और उसने अभिकथित किया कि वर्तमान में वह सुनिश्चित नहीं है कि उसने हस्ताक्षर किए थे अथवा नहीं ।"

46. अभि. सा. 2, 3 और 4 सभी स्वतंत्र साक्षी थे और उन्होंने तात्विक साक्ष्य के साथ प्रदर्श-8 को साबित किया है । यद्यपि वादी द्वारा

यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तारीख 26 अगस्त, 2008 को दस्तावेज क्यों निष्पादित किया गया था किन्तु चूंकि समस्त संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि इस दस्तावेज को प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, हमारी सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय ने इस दस्तावेज का न्यायतः अवलंब लिया ।

47. वादी का निश्चित रूप से यह मामला है कि वह और अभि. सा. 2 तारीख 27 मार्च, 2009 को प्रतिवादी के घर गए थे और प्रतिवादी ने 13,50,000/- रुपए की रकम का चेक संख्या 0833874, जो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की अम्बासा शाखा पर आहरित था, जारी किया था । चेक अनादरित हो गया था । प्रतिवादी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में निम्नलिखित कथन किया था :–

> "मेरा त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की अम्बासा शाखा में खाता संख्या 6800 है । बैंक द्वारा खाता संख्या 6800 के संबंध में चेक संख्या 0833874 को सम्मिलित करने वाली एक चेक बुक मेरे पक्ष में जारी की गई थी । मैं पिछले 20-25 वर्षों से कारबार में हूं और विशेष रूप से संविदा कार्य करता हूं । मेरे द्वारा चेक संख्या 0833874 का अधपन्ना प्रस्तुत नहीं किया गया है । यह एक तथ्य है कि मैं प्रयोग किए गए चेक के अधपन्ने पर चेक का विवरण लिखा करता था । मेरे लिखित कथन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि अभिकथित चेक संख्या सेविंग बैंक खाता 0833874 वादी के हाथ में कैसे चला गया ।"

48. यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी को उसके खाता संख्या 6800 के संबंध में बैंक द्वारा चेक बुक जारी की गई थी और प्रदर्श-1 इसी चेक बुक का एक चेक है । प्रतिवादी का यह कर्तव्य था कि वह इस बात को स्पष्ट करता कि प्रदर्श-1 वादी के हाथ में कैसे चला गया । यह स्वीकृत है कि वह चेक अनादरित हो गया था । यद्यपि दांडिक मामला असफल हो गया फिर भी चेक को अन्य समानांतर कार्यों के लिए प्रयोग किया जा सकता था अर्थात् सिविल वाद के प्रयोजनार्थ और समस्त संभाव्यताओं को ध्यान में रखते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रतिवादी ने इस चेक को बैंक में दिए अपने हस्ताक्षरों से भिन्नता करते हुए, वादी के साथ धोखा करने के आशय के साथ अपनी चेक बुक से जारी किया था और वह चेक अनादरित हो गई । इससे वादी का वाद साबित हो जाता है कि वादी ने उस रकम का ऋण प्रतिवादी को दिया था जिसका दावा उसके द्वारा किया गया है । अन्यथा प्रतिवादी के समक्ष ऐसा कोई

कारण नहीं था कि वह अपनी चेक बुक से वादी के पक्ष में इस प्रकार का कोई चेक जारी करता । विचारण न्यायालय ने प्रदर्श-1 अर्थात् चेक के संबंध में सही मताभिव्यक्ति की है ।

49. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी सुविचारित राय है कि विचारण न्यायालय में वादी के पक्ष में विवाद्यकों का निर्णय न्यायतः किया और वाद को न्यायतः डिक्री किया ।

50. इसलिए, अपील विफल होती है और लागत सहित खारिज की जाती है । निचले न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ वापस भेज दिया जाए ।

अपील खारिज की गई ।

अवि.

(2018) 1 सि. नि. प. 68 **राजस्थान**

जागो जनता सोसायटी

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

तारीख 31 मई, 2017

न्यायमूर्ति महेश चन्द्र शर्मा

राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं निर्यात का विनियमन) अधिनियम, 1985 – हिंगौनिया गौशाला के संबंध में याचिका फाइल किया जाना – गौशाला में गायों और बछड़ों की मृत्यु होना – प्रबंधन द्वारा लापरवाही का होना – प्रतिदिन 15-20 गायों की मृत्यु होना – गायों का उपचार न होना – हरे चारे की कमी होना – गायों का वध किया जाना – गायों का चोरी होना – जीवित गायों की दशा अत्यंत खराब होना – हिंगौनिया गौशाला को हरे कृष्णा ट्रस्ट द्वारा गोद लिए जाने से गायों की स्थिति पहले से अच्छी होना – न्यायालय ने राज्य सरकार और सभी संबंधित प्राधिकरणों को हिंगौनिया गौशाला की देखरेख करने का आदेश दिया है और राज्य सरकार से नेपाल की भांति गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने की सिफारिश करने का निर्देश दिया है ।

प्रार्थी की ओर अपनी रिट याचिका में मुख्य रूप से यह अंकन किया गया है कि उन्हें समाचारपत्र राजस्थान पत्रिका के तारीख 16 नवंबर, 2010 में प्रकाशित "ये गौशाला है या वधशाला" शीर्षक के समाचार से ज्ञात हुआ कि हिंगौनिया गौशाला का उद्देश्य विफल हो रहा है और उपचार की कमी एवं चारे की कमी के कारण लगभग 6000 गायें प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं । वहां गायों के उपचार के लिए केवल मात्र एक चिकित्सक उपलब्ध है एवं लगभग 15-20 गायें प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं । प्रार्थी ने हिंगौनिया गौशाला जाकर देखा तो गायों की दशा अत्यन्त ही खराब पाई एवं गायों की कोई देखरेख नहीं होना प्रकट किया । न्यायालय ने रिट याचिका का निपटारा किया है । याचिका मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने, अपने समक्ष जो स्थिति प्रकट हुई, उसे दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि राज्य सरकार को इस संबंध में सकारात्मक कदम उठाने हेतु निम्न बिन्दु अपेक्षित हैं – गायों, बछड़ों के संबंध में यह देखते हुए कि वह एक जीवित प्राणी है, निरीह है, हिन्दुओं की गाय में गहरी आस्था है, तथा इस बिन्दु को दृष्टि में रखते हुए कि नेपाल एक हिन्दूवादी राष्ट्र है और उनके नवीन संविधान द्वारा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है । साथ ही भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है और राष्ट्र की जीविका का प्रमुख साधन कृषि एवं पशुपालन है । साथ ही भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 एवं 51क(जी) को ध्यान में रखते हुए एवं गायों को विधि अस्तित्व दिलाने के लिए, उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे । इस हेतु मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं महाधिवक्ता राजस्थान को गायों के संरक्षण एवं संवर्धन एवं उनको राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए विधिक संरक्षक नियुक्त किया जाता है । ये अधिकारीगण गायों की उचित देखभाल, उनके संरक्षण, संवर्धन, विधिक अस्तित्व दिलाने व राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे । महाधिवक्ता राजस्थान व मुख्य सचिव राजस्थान गायों के हित, संरक्षण, संवर्धन व विधिक अस्तित्व दिलाने व राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए संबंधित समस्त विधिक कार्यवाहियों में राज्य सरकार की ओर से अपना समुचित पक्ष प्रस्तुत करेंगे और वे केन्द्र सरकार के संबंधित विभागों से सम्पर्क स्थापित करने के पश्चात् न्यायालय की भावना से उनको अवगत कराते हुए इस हेतु उचित कदम उठाएंगे ताकि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराया जा सके । राज्य सरकार के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के

महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक पद को धारित करने वाले अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं कि वे हिंगौनिया गौशाला में भ्रष्टाचार के बारे में व्यक्तिगत रूप से देखरेख करेंगे तथा हर तीन माह में रिपोर्ट तलब करेंगे तथा इस न्यायालय द्वारा तलब करने पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । यदि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी का भी आचरण भ्रष्ट है या कोई भ्रष्टाचार प्रकट होता है तो उसकी प्राथमिक जांच करने के उपरांत एफ. आई. आर. दर्ज करेंगे तथा इस बाबत संबंधित न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । उप जिलाधीश/गिरदावर, बस्सी ने अपनी रिपोर्ट में जो हिंगौनिया गौशाला की भूमि बताई है उस पर अतिक्रमण सरकारी या गैर-सरकारी नहीं हो उसके संबंध में राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि भूमि का चिरकाल तक वही उपयोग रखा जाए । जैसा कि इस बारे में निचले न्यायालय के उपरोक्त वर्णित आदेश दिए गए हैं । राज्य सरकार व नगर निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह हिंगौनिया गौशाला के चहुंमुखी विकास हेतु भविष्य में किसी प्रकार बजट में कमी नहीं आने देंगे तथा हिंगौनिया गौशाला हेतु निर्धारित बजट को हर माह की पन्द्रह तारीख तक रिलीज करवाएंगे । राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध एवं निर्यात का विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत गौवंशीय पशु का वध किए जाने के लिए जो सजा का प्रावधान किया गया है उसके संबंध में सक्षम सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि उसे बढ़ाया जाकर आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कराया जाए ताकि गौवंशीय पशु को बचाया जा सके । राज्य सरकार के गौ-पालन विभाग से अपेक्षा की जाती है कि हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर की रिपोर्ट के अनुसार बाउण्डरी वाल हेतु, नए शेडों के निर्माण हेतु, बाटा एवं चारा के संग्रहण हेतु, भण्डार गृह के निर्माण हेतु, बिजली, पानी एवं दूरभाष हेतु, बायो गैस प्लांट हेतु एवं हिंगौनिया गौशाला में गायों की वर्तमान संख्या एवं भविष्य में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समुचित वित्तीय प्रबंध करेंगे और भविष्य में आवश्यकतानुसार धनराशि उपलब्ध कराएंगे । राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि हिंगौनिया गौशाला में होने वाले खर्चे का दुरुपयोग नहीं हो इस हेतु समय-समय पर गौशाला में होने वाले खर्चे की मानीटरिंग हेतु व्यवस्था कराई जाएगी । हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर द्वारा हिंगौनिया गौशाला को गोद लेने के बाद सुधार हुआ है । अतः राज्य सरकार एवं नगर निगम से यह अपेक्षा की जाती है कि हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर द्वारा किए जा रहे चहुंमुखी विकास

को चिरकाल तक बानए रखने में अपना सहयोग करेंगे । यदि हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर द्वारा अतिक्रमण बाबत एवं अन्य प्रकार की कोई परेशानी आती है तो जे. डी. ए. कमिश्नर व नगर निगम के सी. ई. ओ. को इस बाबत लिखित आवेदन दें । जे. डी. ए. कमिश्नर व सी. ई. ओ. नगर निगम तुरंत इस आवेदन पर कार्यवाही करेंगे । अनुबंध में अंकित अनुसार हिंगौनिया गौशाला में हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर चैरिटेबल ट्रस्ट धर्मानुकूल कार्य जैसे वेद पाठशाला या इससे संबंधित कोई विद्यालय स्थापित करना चाहे या इससे संबंधित कोई कार्य करना चाहे जो अनुबंध में वर्णित है तो राज्य सरकार/जयपुर नगर निगम से अपेक्षा की जाती है कि वह इस हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे । वन विभाग के संबंधित अधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वह हिंगौनिया गौशाला में पांच हजार पेड़-पौधे प्रतिवर्ष लगवाएंगे तथा उनकी समुचित देखभाल करवाएंगे । राज्य सरकार से यह भी अपेक्षा की जाती है कि रेवेन्यू रिकार्ड में जो भी गलत इन्द्राज हुए हैं, वे सब निरस्त करवाए जाएंगे और गौशाला की भूमि का गौशाला के नाम से इन्द्राज करवाएंगे और अतिक्रमण रोकने के लिए सकारात्मक कदम उठाएंगे । साथ ही डी. पी. आर. के हिसाब से निर्माण कार्य करवाया जाएगा । सभी संबंधित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वे तारीख 16 मार्च, 2012 को सहमति के आधार पर पारित किए गए निर्णय की अक्षरशः पालना करेंगे । यदि तारीख 16 मार्च, 2012 को सहमति के आधार पर पारित किए गए निर्णय की पालना नहीं होती है तो इस हेतु यह न्यायालय श्री सज्जन राज सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री ललित शर्मा, श्री विजय सिंह पूनिया, राजस्थान हाईकोर्ट बार ऐसोसिएशन के अध्यक्ष एवं महासचिव पद को धारित करने वाले अधिवक्तागण की एक कमेटी का गठन किया जाता है ताकि चिरकाल तक इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना होती रहे । श्री सज्जन राज सुराना को इस कमेटी का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है साथ ही उपरोक्त वर्णित कमेटी से यह अपेक्षा की जाती है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना नहीं होने की अवस्था में यह कमेटी अवमानना याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र व सक्षम होगी । गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कराने के लिए यदि कोई व्यक्ति/संस्था चाहे तो वह जनहित याचिका प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगी । यदि कोई व्यक्ति हिंगौनिया गौशाला के संबंध में लापरवाह पाया जाए तो उसका दायित्व नियत किया जाए तथा राज्य सरकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उसके विरुद्ध समुचित

कदम उठाएं । जे. डी. ए. कमिश्नर, सी. ई. ओ. नगर निगम एवं यू. डी. ए. सेक्रेटरी संबंधित स्टाफ लेकर एक माह में कम से कम एक बार हिंगौनिया गौशाला जाकर निरीक्षण करेंगे एवं हरे कृष्णा मूवमेंट जयपुर चैरिटेबल ट्रस्ट के संबंधित व्यक्ति से मिलकर जो भी समस्याएं आती हैं उनका तुरन्त प्रभाव से निवारण करेंगे । कोर्ट कमिश्नर एवं अन्य अधिवक्तागण जो लगातार हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण कर रहे हैं यदि वे किसी भी प्रकार की कमी या अनियमितता पाते हैं तो वे संबंधित अधिकारी को लिखित में दें । संबंधित अधिकारी उसका निवारण किसी प्रकार से 15 दिन में करें । ऐसा न किए जाने पर कोर्ट कमिश्नर को यह अधिकार होगा कि वे इस न्यायालय के समक्ष चाराजोही के लिए अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करेंगे । अंधी गायों के आपरेशन हेतु तुरन्त कार्यवाही करें एवं यदि किसी भी प्रकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है तो हरे कृष्णा मूवमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर संबंधित अधिवक्ता या संबंधित अधिकारी को लिखित में दें जिसका निवारण 15 दिवस में किसी भी प्रकार से किया जाए । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रति समस्त संबंधित अधिवक्तागण को निःशुल्क प्रदान करें एवं संबंधित अधिकारीगण को प्रेषित करें । (पैरा 12 के उप पैरा 1 से 20 तक)

सिविल (रिट) अधिकारिता : 2010 की एकलपीठ सिविल रिट याचिका सं. 9500.

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका ।

प्रार्थियों की ओर से — सर्वश्री सज्जन राज सुराना ज्येष्ठ अधिवक्ता, पूनम चन्द्र भण्डारी, ललित शर्मा और विजय सिंह पूनिया, अधिवक्तागण

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री जी. एस. गिल, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजेन्द्र प्रसाद, अतिरिक्त महाधिवक्ता, बी. एन. सान्दू, अतिरिक्त महाधिवक्ता, वीरेन्द्र लोढ़ा ज्येष्ठ अधिवक्ता, एस. के. गुप्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता

न्यायमूर्ति महेश चन्द्र शर्मा – यह रिट याचिका प्रार्थी जागो जनता सोसायटी की ओर से इस न्यायालय के समक्ष तारीख 22 नवम्बर, 2010 को प्रस्तुत की गई, जिसके अन्तर्गत निम्न अनुतोष चाहा गया :–

(i) यह कि रिट द्वारा, प्रत्यर्थियों को हिंगौनिया गौशाला में और दूसरी गौशालाओं में गायों को सुरक्षित रखने और हरा चारे की व्यवस्था और मवेशियों का चारा तथा देखरेख रखने का आदेश या निर्देश दिया जाए कि किसी भी गाय की बीमारी के उपचार के बिना या भुखमरी के कारण मृत्यु नहीं होनी चाहिए ।

(ii) यह कि रिट द्वारा, प्रत्यर्थी 1 को प्रत्यर्थी 2 और 3 के विरुद्ध कार्रवाई करने का आदेश या निर्देश दिया जाए ।

(iii) यह कि रिट द्वारा, गौशाला के अभिलेख को पूरा रखने का आदेश या निर्देश का समन किया जाए ।

अन्य कोई दूसरा लाभप्रद आदेश जिसे माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों या परिस्थितियों में फिट या उचित समझे पारित किया जाए ।

2. प्रार्थी की ओर अपनी रिट याचिका में मुख्य रूप से यह अंकन किया गया है कि उन्हें समाचारपत्र राजस्थान पत्रिका के तारीख 16 नवंबर, 2010 में प्रकाशित "ये गौशाला है या वधशाला" शीर्षक के समाचार से ज्ञात हुआ कि हिंगौनिया गौशाला का उद्देश्य विफल हो रहा है और उपचार की कमी एवं चारे की कमी के कारण लगभग 6000 गायें प्रतिवर्ष मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं । वहां गायों के उपचार के लिए केवल मात्र एक चिकित्सक उपलब्ध है एवं लगभग 15-20 गायें प्रतिदिन मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं । प्रार्थी ने हिंगौनिया गौशाला जाकर देखा तो गायों की दशा अत्यन्त ही खराब पाई एवं गायों की कोई देखरेख नहीं होना प्रकट किया ।

3. इस न्यायालय की सहपीठ के आदेश तारीख 26 नवंबर, 2010 के द्वारा रिट याचिका के नोटिस विपक्षीगण को जारी किए गए । इसके उपरांत इस प्रकरण को तारीख 3 जून, 2011 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस रिट याचिका में प्रार्थी समिति ने प्रार्थना की है कि हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों के रख-रखाव की जिम्मेदारी प्रतिपक्षीगण की है और प्रतिपक्षीगण उक्त गौशाला में रह रही गायों की पूर्णरूप से हिफाजत नहीं कर रहे हैं । विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी

समिति श्री पूनम चन्द भण्डारी का कथन है कि गायों के शरीर पर जगह-जगह घाव पड़े हुए हैं जिन पर कौवे व अन्य पक्षी बैठकर उनके घावों से मांस खाते हैं । वहां पर गायों को खिलाने-पिलाने के लिए चारे पानी आदि की उचित व्यवस्था भी नहीं है । उनका यह भी कथन है कि राज्य के कई दान दाता लोग गायों के चारे पानी आदि के लिए लाखों रुपए दान देते हैं एवं राज्य सरकार एवं नगर परिषद से भी एतदर्थ पैसा मिलता है इन सबके बावजूद गौशाला में गायों के रख-रखाव आदि की समुचित व्यवस्था नहीं है । अतः प्रतिपक्षीगण को न्यायालय में व्यक्तिशः बुलवाकर उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण पूछा जाए एवं यदि न्यायालय उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो इस संबंध में पुलिस से अनुसंधान कराने की युक्तियुक्त आवश्यकता होगी । अतः एतदर्थ उपायुक्त पुलिस, जयपुर को भी निर्देश दिए जाएं ।

सुना गया । पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अनुशीलन किया गया ।

प्रथमदृष्ट्या उपायुक्त पुलिस, जयपुर को इस संबंध में निर्देश दिए जाने से पूर्व न्यायालय यह उचित समझता है कि श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर प्रतिपक्षी संख्या 2) एवं श्री जे. पी. गुप्ता, आयुक्त गौशाला, नगर परिषद्, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या 3) को व्यक्तिशः न्यायालय में बुलाकर उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए ।

अतः उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या 2) एवं श्री जे. पी. गुप्ता, आयुक्त गौशाला, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या 3) को सूचित करेंगे कि वह तारीख 6 जून, 2011 को प्रातः 7.30 बजे व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त परिप्रेक्ष्य में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें । साथ ही न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से उपस्थित श्री पीयूष कुमार, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता को भी निर्देश दिया जाता है कि वह भी श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या 2) एवं श्री जे. पी. गुप्ता, आयुक्त गौशाला, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या 3) को दूरभाष पर सूचित करेंगे कि वह तारीख 6 जून, 2011 को प्रातः 7.30 बजे व्यक्तिशः

न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त परिप्रेक्ष्य में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें ।"

4. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 7 जून, 2011 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"तारीख 3 जून, 2011 को प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पूनम चन्द भण्डारी की प्रार्थना पर इस न्यायालय ने इस तथ्य को गंभीरता से लेते हुए कि हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे-पानी, चिकित्सा, रख-रखाव आदि की व्यवस्था उचित नहीं है, श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या 2) एवं श्री जे. पी. गुप्ता, आयुक्त गौशाला, नगर परिषद, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या 3) को व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे । जो आज व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हैं ।

विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि प्रतिपक्षीगण हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों की पूर्णरूप से देखभाल कर रहे हैं और ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है जैसे आरोप प्रार्थी समिति द्वारा लगाए जा रहे हैं । विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी विद्वान् अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण के उक्त कथन से संतुष्ट नहीं है और उन्होंने न्यायालय से प्रार्थना की कि प्रकरण की वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएं कि वह जांच कर न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराए कि जो राशि राज्य सरकार द्वारा गौशालाओं में रह रही गायों की देखरेख, चारे पानी एवं उनकी चिकित्सा आदि हेतु आबंटित की जाती है उसका सही रूप से उपयोग-उपभोग हो रहा है अथवा नहीं ?

प्रकरण उक्त परिपेक्ष्य में अनुसंधान हेतु अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को देने एवं संबंधित अधिकारियों को एतदर्थ दिशा-निर्देश दिए जाने से पूर्व मैं आवश्यक समझता हूं कि हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों के बारे में वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त करने हेतु किसी कमिश्नर की नियुक्ति की जाए जो मौका मुआयना कर वस्तुस्थिति से इस न्यायालय को अवगत करा सके । अतः यह न्यायालय श्री सज्जन राज सुराना

अधिवक्ता से अपेक्षा करती है कि वह मौके पर जाकर वहां रह रही गायों के रख-रखाव, चिकित्सा, चारे-पानी आदि के बारे में जो व्यवस्था है एवं जो सुविधा अपेक्षित है के बारे में न्यायालय को अवगत कराएं । जब उनसे न्यायालय द्वारा पूछा गया कि उन्हें एतदर्थ कितनी राशि फीस के रूप में दिलवाई जाए तो उन्होंने कथन किया कि यह एक धार्मिक कार्य है जिसके लिए वह कोई राशि नहीं लेंगे एवं स्वेच्छा से निःशुल्क एतदर्थ अपनी सेवाएं देंगे । श्री सज्जन राज सुराना कल तारीख 8 जून, 2011 को सायं 5.00 बजे हिंगौनिया गौशाला जाकर मौका मुआयना करेंगे जिनके साथ प्रार्थी के अधिवक्ता श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री राजेन्द्र यादव, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता भी होंगे । उस समय प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 के प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित रहेंगे ।

वह अपनी रिपोर्ट 13 जून, 2011 या इससे पूर्व न्यायालय को देंगे जिसमें वहां रह रही गायों के चारे-पानी, रख-रखाव एवं चिकित्सा सुविधा की वस्तुस्थिति एवं उसमें आ रही बाधाओं एवं क्या सुविधाएं अपेक्षित हैं के बारे में न्यायालय को अवगत कराएंगे । वह अपनी रिपोर्ट की एक प्रति प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 को भी उपलब्ध कराएंगे जो उसकी पालना सुनिश्चित करेंगे एवं यदि उसमें कोई बाधा एवं तकनीकियां अवरोध उत्पन्न कर रही हो तो उनके संबंध में न्यायालय से दिशानिर्देश प्राप्त करेंगे ।

प्रकरण 17 जून, 2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । आगामी तारीख पेशियों पर प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 को व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है । यदि भविष्य में आवश्यकता हुई तो उन्हें तलब कर लिया जाएगा ।

उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह आज ही विशेष संदेश वाहक के साथ भेजकर इस आदेश की प्रति श्री सज्जन राज सुराना, अधिवक्ता को उपलब्ध कराएं ।"

5. इसके उपरांत इस न्यायालय की सहपीठ के आदेश तारीख 21 जून, 2011 के द्वारा इस प्रकरण को तारीख 29 जून, 2011 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

6. तारीख 29 जून, 2011 को इस न्यायालय के समक्ष कमिश्नर श्री सज्जन राज सुराना ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । आगामी तारीख के लिए

सचिव एवं निदेशक, पशुपालन विभाग को न्यायालय के समक्ष तलब किया गया । प्रकरण को तारीख 4 जुलाई, 2011 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया तारीख 4 जुलाई, 2011 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "प्रकरण तारीख 3 जून, 2011, 7 जून, 2011 एवं 29 जून, 2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था जिसमें इस न्यायालय द्वारा हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे-पानी, चिकित्सा, रखरखाव आदि की उचित व्यवस्था हेतु प्रथमदृष्ट्या प्रसंज्ञान लेकर श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या 2) एवं श्री जे. पी. गुप्ता आयुक्त गौशाला, नगर निगम, जयपुर (प्रतिपक्षी संख्या 3) को व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होने के आदेश दिए गए थे । जो इस न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित हुए तथा प्रकरण में तारीख 29 जून, 2011 को यह आदेश पारित किया कि प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग एवं निदेशक, पशुपालन विभाग आज व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे एवं हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों एवं अन्य पशुओं की समुचित व्यवस्था हेतु अपनी राय भी नगर निगम, जयपुर को देंगे । जो आज व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हैं, जिन्होंने कथन किया है कि उन्होंने एतदर्थ अपनी राय नगर निगम, जयपुर को लिखित में दे दी है ।"
>
> जागो जनता समिति की ओर से प्रस्तुत इस रिट याचिका में अंकित तथ्यों पर दृष्टिपात करते हुए न्यायालय द्वारा श्री सज्जन राज सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता को हिंगौनिया गौशाला की वस्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत कराने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया था जिन्होंने हिंगौनिया गौशाला का मौका मुआयना करने के उपरांत अपनी रिपोर्ट एवं फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किए हैं, जो अनुशीलन से ही गौशाला की हृदयविदारक स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिनपर दृष्टिपात करने के उपरांत न्यायालय हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे-पानी, चिकित्सा, रख-रखाव आदि की उचित व्यवस्था हेतु प्रकरण में निम्न दिशा-निर्देश देना उचित समझता है –
>
> > (1) श्री एम. पी. मीना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर, जो आज व्यक्तिशः न्यायालय में

उपस्थित है ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान द्वारा निगम को दी गई राय की एक माह की अवधि में अक्षरशः पालना कर देंगे ।

(2) प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक, पशुपालन विभाग, जो आज व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित है को निर्देश दिया जाता है कि प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत करते हुए उनके द्वारा जो हिंगौनिया गौशाला, जयपुर में पशु चिकित्सक एवं परिचायक लगाए (Compounder) हैं उन्हें वहीं पदस्थापित रखेंगे एवं उन्हें इस न्यायालय की बिना अनुमति के वहां से नहीं हटाएंगे वहां रही गायों/पशुओं को वांछित दवाइयां एवं चिकित्सा सुविधा नियमित रूप से उपलब्ध करवाई जाती रहेंगी ।

(3) नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला की नियमित रूप से सफाई कराएंगे जिससे वहां रही गायों/पशुओं में किसी प्रकार का कोई संक्रमण नहीं फैले ।

(4) नगर निगम को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से एक सप्ताह के भीतर हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों/पशुओं के नम्बर डाल देंगे आगामी तारीख पर इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराएंगे कि उनमें से कितनी गायें/पशु दूध देते हैं एवं कितने नहीं ? उक्त तथ्य शपथ-पत्र से समर्थित किया जाएगा ।

(5) श्री एम. पी. मीना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह एक माह की अवधि में हिंगौनिया गौशाला की 485 बीघा भूमि को समतल करा देंगे एवं उससे एक माह में उसमें 100 × 100 साइज के 25 शेड भी बना देंगे ।

(6) प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक, पशुपालन विभाग को निर्देश दिया जाता है कि वह नगर निगम, जयपुर को निर्देश देंगे कि वह स्वस्थ पशुओं को एवं अस्वस्थ पशुओं को पृथक्-पृथक् रखें ताकि एक दूसरे से उनमें संक्रमण नहीं फैले ।

(7) नगर निगम को निर्देश दिया जाता है कि जहां तक संभव हो वह गौशाला में रह रही गायों/पशुओं को हरा चारा

डालने का प्रयास करें तथा गौशाला में रह रही गायों/पशुओं तथा उनके बच्चों को जहां तक संभव हो एक साथ रखा जाए ताकि वह फीडिंग कर सके ।

(8) प्रमुख शासन सचिव एवं निदेशक, पशुपालना विभाग ने न्यायालय को आश्वस्त किया है कि वह हिंगौनिया गौशाला में उन्नत किस्म के सांड उपलब्ध करा देंगे ताकि वहां रह रही गायों में प्रजनन सुविधाजनक हो सके ।

(9) नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह हिंगौनिया गौशाला की 485 बीघा भूमि में बरसात के पानी के संचय हेतु जल संचयन प्रणाली विकसित करेंगे । उक्त भूमि में चारा उगाएंगे ताकि उसमें रह रही गायों/पशुओं को हरा चारा-पानी सुगमता से उपलब्ध हो सके ।

(10) नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह हिंगौनिया गौशाला की 485 बीमा भूमि में चारों ओर वृक्षारोपण करेगी ताकि गौशाला का वातावरण स्वच्छ हो एवं उसमें रह रही गायों/पशुओं को ग्रीष्म ऋतु में छाया मुहैया हो सके ।

उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण ने संयुक्त रूप से न्यायालय से अनुरोध किया कि हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे-पानी, चिकित्सा, रख-रखाव आदि तथा न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने हेतु एक समिति का गठन किया जाए ।

मुझे उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण का उक्त सुझाव न्यायोचित प्रतीत होता है । अतः प्रकरण में एक समिति गठित की जाती है जिसके प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग चेयरमैन होंगे तथा श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ. पी. मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, श्री सज्जन राज सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री पूनम चन्द भण्डारी, अधिवक्ता सदस्य होंगे । जो इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना को देखेंगे तथा उसकी मोनिटरिंग करेंगे एवं हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों/पशुओं के चारे-पानी, चिकित्सा, रख-रखाव आदि की समुचित व्यवस्था की भी देखरेख करेंगे एवं इस संबंध में अपनी रिपोर्ट आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष

प्रस्तुत करेंगे । रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व यदि समिति के सदस्य आवश्यक समझें तो एक मीटिंग कर इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की समीक्षा कर सकेंगे ।

श्री राजेश यादव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उनकी हाजिरी माफी चाही गई है । प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों/आधारों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उन्हें न्यायालय में व्यक्तिशः उपस्थित होने को नजर अन्दाज किया जाता है ।

कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह भविष्य में राज्य सरकार की ओर से दैनिक वाद सूची में श्री सुशील कुमार शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान का नाम दर्शाएंगे ।

प्रकरण तारीख 18 जुलाई, 2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । उक्त तिथि को समिति इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना की सुनिश्चितता के संबंध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी ।

उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति आज ही किसी विशेष संदेश वाहक के द्वारा समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को उपलब्ध कराएंगे ।"

7. तारीख 18 जुलाई, 2011 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया :—

"इस न्यायालय ने तारीख 4 जुलाई, 2011 को आदेश पारित किया था जिसमें हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों के चारे-पानी, चिकित्सा, रख-रखाव आदि की उचित व्यवस्था हेतु श्री जी. एस. सिंधु की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसका श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास को चेयरमैन तथा श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ. पी. मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, श्री सज्जन राज सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री पूनम चन्द भण्डारी, अधिवक्ता सदस्य नियुक्त किया था । श्री सज्जन राज सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने एक अन्तरिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसमें अभिकथित किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश

तारीख 4 जुलाई, 2011 की प्रतिपक्षीगण द्वारा पूर्ण रूप से द्रुत गति से पालना नहीं की जा रही है । इसके विपरीत श्रीमती नयना सर्राफ, अधिवक्ता प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि उन्होंने न्यायालय के आदेश की पालनार्थ उत्तर प्रस्तुत किया है ।

उभयपक्षों के विद्वान् अधिवक्तागण को सुनने के उपरांत न्यायालय इस तथ्य पर संतुष्ट नहीं है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश तारीख 4 जुलाई, 2011 की पालना सुनिश्चित की जा रही है अथवा नहीं ? यह न्यायालय उचित समझता है कि समिति के अध्यक्ष श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग, श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा श्री ओ. पी. मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग को आगामी तारीख पेशी पर व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष बुलवाया जाए ।

प्रकरण तारीख 4 अगस्त, 2011 को इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए उक्त तिथि को श्री जी. एस. सिंधु प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास विभाग राजस्थान, श्री अजीत सिंह अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग तथा श्री ओ. पी. मीना प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे जो उक्त तिथि को यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिपक्षीगण द्वारा इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश तारीख 4 जुलाई, 2011 की पालना सुनिश्चित की गई अथवा नहीं ?"

8. तारीख 4 अगस्त, 2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग, श्री अजीत सिंह अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ. पी. मीना प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग मय निदेशक के आज व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हैं । श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग ने सशपथ न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि वह इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश की क्रियान्विति छह मास की अवधि में पूर्ण कर देंगे, सिर्फ गायों के लिए शेड निर्माण को छोड़कर । उसमें अधिक समय लगने की संभावना है, जिसके लिए यदि आवश्यकता हुई तो समय विस्तार

हेतु न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर देंगे । उन्होंने न्यायालय को यह भी आश्वस्त किया कि इस दौरान वह समय-समय पर मौके पर व्यक्तिशः जाकर न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करते रहेंगे ताकि न्यायालय के आदेश की पालना सुनिश्चित की जा सके ।

श्री ओ. पी. मीना, प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग राजस्थान, जो कि आज व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हैं, को निर्देश दिया जाता है कि उन्होंने इस न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जिन पशु चिकित्सकों एवं परिचालकों को हिंगौनिया गौशाला में लगाया है, उन्हें वहीं नियमित रूप से कार्यरत रहने देंगे ।

श्री अजीत सिंह अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग राजस्थान ने कथन किया है कि वह नगर निगम, जयपुर के आज से दो वर्ष पूर्व तक के अभिलेख का परीक्षण करेंगे एवं यदि उसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता/गड़बड़ी पाई जाती है तो प्रकरण में प्राथमिकी पंजीबद्ध कर, प्रकरण में अनुसंधान कर, अनुसंधान की प्रगति की रिपोर्ट संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि हिंगौनिया गौशाला की पूरी भूमि को समतल करवाया जाना उचित नहीं होगा । उनका कथन है कि जितनी भूमि समतल कराए जाने योग्य है एवं जितनी भूमि की आवश्यकता हो उसे ही समतल करवाया जाना उचित होगा । इस संबंध में एतदर्थ गठित समिति आवश्यकतानुसार जितनी भूमि समतल करवाया जाना उचित एवं आवश्यक समझेगी उतनी ही समतल करवाए जा सकने योग्य भूमि को समतल करवाया जा सकेगा ।

विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना एवं श्री पूनम चन्द भण्डारी ने कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में अविलंब विद्युत व्यवस्था करवाई जाने के प्रतिपक्षीगण को निर्देश दिए जाएं ताकि रोगग्रस्त गाय, बछड़ों व अन्य मवेशियों के रात्रि को उपचार की समुचित व्यवस्था हो सके एवं उन्हें काल का ग्रास होने से बचाया जा सके । उनका यह भी कथन है कि हिंगौनिया गौशाला स्थित गैस प्लांट को चालू कराने, वहां बायोमैट्रिक मशीन लगवाई जाने तथा वहां रह रहे गाय व अन्य मवेशियों के चारे हेतु चारे काटने की मशीनों की

व्यवस्था के भी प्रतिपक्षीगण को निर्देश प्रदान किया जाए । इस संबंध में भी श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास विभाग ने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह अविलंब इस संबंध में प्रभावी कार्यवाही की ओर अग्रसर होंगे ।

राज्य सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह जहां तक संभव हो सके श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग, श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ. पी. मीना, प्रमुख शासन सचिव पशुपालन विभाग को छह मास तक उनके द्वारा वर्तमान में धारित पदों पर ही पदासीन रखेंगे ।

अन्त में राज्य सरकार को यह निर्देश दिया जाता है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसी भी सूरत में गायें बूचड़खाना नहीं पहुंचे ।

प्रकरण 30 अगस्त, 2011 को मध्याह्न 2.00 बजे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । उक्त तिथि को आज उपस्थित सभी अधिकारियों को व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, उनकी ओर से कोई भी उनका एक प्रतिनिधि अधिकारी व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर वस्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत करा सकेगा ।"

9. तारीख 30 अगस्त, 2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस प्रकरण में न्यायालय द्वारा क्रमशः तारीख 3 जून, 2011, 7 जून, 2011, 29 जून, 2011, 4 जुलाई, 2011, 18 जुलाई, 2011 व 4 अगस्त, 2011 को हिंगौनिया गौशाला की समस्याओं को दूर करने तथा वहां की वस्तुस्थिति की जानकारी के लिए आदेश पारित किय गए थे ताकि न्यायालय को गौशाला की सही वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त हो सके । श्री सज्जन राज सुराना ज्येष्ठ अधिवक्ता एवं श्री पूनम चन्द भण्डारी अधिवक्ता को श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग (UDH), श्री अजित सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ. पी. मीना, प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग की एतदर्थ गठित समिति में सम्मिलित किया गया था । न्यायालय ने अपने आदेश तारीख 4 जुलाई, 2011 में प्रतिपक्षीगण को दस दिशा-निर्देश दिए थे जिनकी पालना सुनिश्चित

कराने के लिए श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग, श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ. पी. मीना प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग ने उक्त तिथि को न्यायालय को आश्वस्त करते हुए कथन किया था कि न्यायालय द्वारा दिए गए उक्त दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाएगी । इस न्यायालय ने उस दिन अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग श्री अजीत सिंह को यह भी निर्देश दिए थे कि उनके द्वारा हिंगौनिया गौशाला के रख-रखाव के संबंध में नगर निगम, जयपुर में किसी प्रकार की कोई अनियमितता/गड़बड़ी पाई जाती है या निगम के किसी अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा किसी प्रकार का कोई संज्ञेय अथवा असंज्ञेय प्रकृति का अपराध किया जाना प्रथमदृष्ट्या उनके द्वारा पाया जाता है तो वह उसके विरुद्ध प्राथमिकी पंजीबद्ध कर अनुसंधान करेंगे तथा उसकी सूचना/प्रगति रिपोर्ट संबंधित दंडनायक को देंगे ।

श्री सज्जन राज सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यानपूर्वक आदेश में दिए गए दिशा-निर्देशों की ओर इंगित करते हुए कथन किया कि न तो राज्य सरकार न ही नगर निगम, जयपुर द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों की पालना की गई है । उनका कथन है कि इस न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देश की पालना में अभी तक गौशाला में समुचित प्रकाश, गायों की सुरक्षा, चिकित्सा, दवाइयां इत्यादि की कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई है । उनका कथन है कि जब प्रकरण पूर्व में न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुआ था और इस न्यायालय द्वारा श्री जी. एस. सिंधु, प्रमुख शासन सचिव, शहरी विकास विभाग, श्री अजीत सिंह, अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग, श्री ओ. पी. मीना प्रमुख शासन, पशुपालन विभाग को न्यायालय के समक्ष तलब किया गया था तो निगम ने द्रुत एवं तीव्र गति से गौशाला में विकास कार्य कराना आरंभ कर दिया था, किन्तु जब बाद में इस न्यायालय द्वारा आगामी तारीख पेशियों के लिए उनकी हाजरी माफ कर दी गई तो कार्य की प्रगति धीमी हो गई एवं कार्य में अड़चने/रुकावटें पैदा होने लग गई हैं । न्यायालय समय-समय पर ऐसे जो आदेश पारित करता है वह उत्प्रेरक की हैसियत अपना कार्य करते हुए पारित करता है ताकि राज्य सरकार के कार्य की प्रगति में और तीव्रता आ सके और राज्य सरकार उत्प्रेरक के आदेश की पालना बिना हिचकिचाए कर सके । यही उत्प्रेरक का कार्य होता है ।

इस पवित्र कार्य को पूर्णता दिलाने के लिए न्यायालय किसी अधिकारी को दंडित नहीं करना चाहता, किन्तु न्यायालय अपेक्षा करती है कि अधिकारीगण इस पवित्र कार्य को पूर्ण करने के लिए पवित्र भावना से पवित्र प्रक्रिया अपनाते हुए इसकी पूर्णता को अंजाम दे ।

न्यायालय इस बात से खुश है कि एतदर्थ न्यायालय द्वारा नियुक्त कमिश्नर ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना एवं श्री पूनम चन्द भण्डारी अधिवक्ता ने इस पावन एवं पवित्र कार्य के लिए न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कोई फीस लेने से इनकार कर दिया और वह सप्ताह में दो-तीन बार जाकर गौशाला में हो रहे कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं । उन्होंने समय-समय गौशाला में हो रही गायों की दुर्दशा के चित्र खींचकर भी न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किए हैं ।

न्यायालय प्रकरण में कोई शख्त कदम उठाने/कार्यवाही करने से पूर्व न्यायहित में प्रतिपक्षीगण/संबंधित अधिकारियों को एक अवसर और प्रदान करना उचित समझता है । इस प्रक्रम पर श्री एम. पी. मीना, कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष अभिकथित किया कि वह गौशाला के विद्युतीकरण के लिए प्रयासरत है एवं एतदर्थ जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर में राशि जमा कराने के लिए तैयार है, किन्तु मध्य में रेलवे लाइन पड़ती है अतः जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर की ओर से निगम को अवगत कराया गया है कि भारतीय रेलवे से एतदर्थ अनापत्ति प्राप्त की जाए । अनापत्ति प्राप्त कर ली जाती है तो विद्युत संबंध हेतु 14,000/- रुपए जमा कराने की मांग की गई है, अनापत्ति के अभाव में 33,000/- रुपए जमा कराने को कहा जा रहा है ।

चूंकि हिंगौनिया गौशाला के विद्युतीकरण का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है । अतः श्री शैलेष प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, जो भारतीय रेलवे के न्यायालय में प्रकरण देखते हैं, को निर्देश दिया जाता है कि आगामी तारीख पेशी पर डिवीजन रेलवे प्रबंधक, जयपुर को व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेंगे । इसी प्रकार श्री वीरेन्द्र लोढ़ा, जयेष्ठ अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह भी जयपुर विद्युत वितरण निगम, जयपुर के हिंगौनिया गौशाला, जयपुर से संबंधित अधीक्षण अभियन्ता को आगामी तारीख पेशी पर व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित रखेंगे ।

प्रकरण 2 सितम्बर, 2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । उक्त तिथि के उक्त अधिकारी एवं प्रतिपक्षीगण के संबंधित अधिकारी प्रातः 10.30 बजे व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे ।

उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेशिका में अंकित समस्त अधिवक्तागण को इस आदेश की प्रति आज ही अविलंब निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे ।

10. तारीख 2 सितम्बर, 2011 श्री महेन्द्र जैन, आयुक्त, नगर निगम को हिंगौनिया गौशाला में विद्युत कनेक्शन कराने के संबंध में श्री एस. के. सौंखिया, अधीक्षण अभियन्ता जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ बैठकर कार्यवाही कराने एवं आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए । प्रकरण को दिनांक 6 सितम्बर, 2011 को सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया गया ।

11. तारीख 6 सितम्बर, 2011 को श्री एम. पी. मीना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर ने इस न्यायालय के समक्ष प्रकट किया कि उन्होंने पन्द्रह लाख रुपए की राशि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जमा करा दी है एवं डिमांड आने पर शेष राशि वे दो दिन की अवधि में जमा करा देंगे । विद्वान् महाधिवक्ता श्री जी. एस. बापना ने कथन किया कि वे श्री एस. आर. सुराना ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री विजय सिंह पूनिया, श्री सुशील शर्मा, श्रीमती नयना सर्राफ, श्री शैलेष प्रकाश शर्मा, एवं श्री वीरेन्द्र लोढ़ा अधिवक्तागण के साथ हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण करने तारीख 11 सितम्बर, 2011 को प्रातः 10.00 बजे जाएंगे । प्रकरण को तारीख 14 सितम्बर, 2011 को सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया गया ।

12. तारीख 14 सितम्बर, 2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश के अनुरूप नगर निगम द्वारा 33 लाख रुपए जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जमा कराना बताया जाता है । जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारी श्री एस. के. सौंखिया आज उपस्थित हैं, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया कि आज से तीन दिवस की अवधि में विद्युत कनेक्शन लगाया जाकर विद्युत सप्लाई चालू कर दी

जाएगी । श्री अनिल कुमार सिंघल, अधिशासी अभियन्ता, जो कि वर्तमान में नगर निगम में कार्य कर रहे हैं, के संबंध में राज्य के महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे संबंधित अधिकारियों को सूचित करें कि वे श्री सिंघल को न्यायालय के आदेश के बिना वहां से नहीं हटाएं ।

समस्त अधिवक्तागण ने संयुक्त रूप से न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की कि गौशाला की भूमि को नपवा दिया जाए क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व उक्त भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं । इस हेतु श्री सुशील शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि वे कल तारीख 15 सितम्बर, 2011 को दोपहर 2.00 बजे उपखंड अधिकारी, बस्सी एवं पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होने हेतु सूचित करें । गौशाला के आयुक्त श्री अशोक स्वामी को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय को यह अवगत कराएं कि वहां कार्यरत कर्मचारी नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं या नहीं, इस हेतु वे उनकी उपस्थिति बायोमैट्रिक मशीन से दर्ज करें । उन्हें यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे अपने यहां एक रजिस्टर संधारित करें जिसमें यह इन्द्राज अंकित करें कि गौशाला में कुल कितनी गायें हैं, जिनमें से कितनी बीमार हैं, कितनी सही स्थिति में हैं, कितने बछड़े हैं कितने बैल इत्यादि हैं ।

इस प्रकारण को कल तारीख 15 सितम्बर, 2011 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । कल नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है, शेष अधिकारी उपस्थित रहें ।"

13. तारीख 15 सितम्बर, 2011 को एस. डी. ओ. बस्सी ने कथन किया कि वे आज से एक सप्ताह की अवधि में लगभग 486 बीघा भूमि की नपवाई करवाकर पत्थरगढ़ी करवाएंगे किन्तु सेटलमेंट विभाग को निर्देश दिए जाएं कि वे उन्हें ई. डी. एम. मशीन उपलब्ध कराए । एस. एच. ओ. कानोता ने कथन किया कि वे भूमि की नपाई व पत्थरगढ़ी के दौरान कानून व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे । विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा ने कथन किया कि भू-प्रबंध विभाग ई. डी. एम. मशीन उपलब्ध करवाएगा । उन्होंने कथन किया चीफ कंजरवेटर आफ फोरेस्ट को निर्देश दिए जाएं कि वे पौधे उपलब्ध कराएं । प्रकरण को तारीख 23 सितम्बर,

2011 को सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया गया ।

14. तारीख 20 सितम्बर, 2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह प्रकरण हालांकि तारीख 23 सितम्बर, 2011 के लिए नियत था लेकिन कल इस प्रकरण से संबंधित सभी अधिवक्ताओं ने इस न्यायालय से प्रार्थना की कि हिंगौनिया गौशाला में काम पर लगाई गई जे. सी. बी. मशीन निगम द्वारा बंद कर दी गई है तथा राजस्व अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण गौशाला की भूमि की नपाई भी नहीं हो सकी है तथा वहां पर कर्मचारी भी कम संख्या में काम करते पाए गए हैं । इसके अतिरिक्त अन्य अनियमितताओं की ओर भी न्यायालय का ध्यान आकर्षित करवाया । अतः प्रकरण को आज तारीख 20 सितम्बर, 2011 को सूचीबद्ध करवाया गया ।

आज श्री एम. पी. मीना कार्यवाही मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं, जिन्होंने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह आज से ही पूर्ववत जे. सी. बी. मशीनें हिंगौनिया गौशाला में कार्य पर लगा देंगे ।

इसी प्रकार श्री एस. एन. कुमावत अतिरिक्त महाधिवक्ता ने न्यायालय को आश्वस्त किया वह जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से जयपुर नगर निगम के तहसील एवं उपखंड अधिकारी बस्सी जिला जयपुर द्वारा चाहा गया राजस्व अभिलेख/प्रलेख उन्हें उपलब्ध करवा देंगे एवं एतदर्थ वह जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के अधिकारियों को सूचित कर देंगे ।

कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर श्री मीना ने न्यायालय को यह भी आश्वासन दिया कि जो कर्मचारी गौशाला में काम पर नहीं पाए गए हैं उनके वेतन से कटौती कर ली जाएगी तथा भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने दी जाएगी ।

प्रकरण 27 सितम्बर, 2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । उक्त तिथि को श्री एम. पी. मीना कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम जयपुर व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है ।"

15. तारीख 27 सितम्बर, 2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित

आदेश पारित किया गया :–

"यह प्रकरण तारीख 20 सितम्बर, 2011 को सूचीबद्ध हुआ था, तत्पश्चात् आज तारीख 27 सितम्बर, 2011 को सूचीबद्ध हुआ है । आज श्री राहुल कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक उपस्थित हैं, जिन्होंने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वे स्वयं तथा आज उनके साथ उपस्थित जिला वन अधिकारी जयपुर दक्षिण श्री टी. सी. शर्मा हिंगौनिया गौशाला में पेड़ पौधे लगवाएंगे । इस न्यायालय ने पूर्व में तारीख 15 सितम्बर, 2011 को श्री अक्षय सिंह जिला वन अधिकारी को विशेष रूप से इस हेतु लगाने का आदेश दिया था । इसमें श्री राहुल कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक को कोई आपत्ति नहीं है । श्री राहुल कुमार को निर्देश दिया जाता है कि श्री अक्षय सिंह को वर्तमान पद पर पदस्थापित रखते हुए हिंगौनिया गौशाला में पेड़ पौधे लगाने का अतिरिक्त कार्यभार भी उन्हें सौंपे एवं यह कार्य अपनी देखरेख में कराए । वे इस हेतु किसी अन्य अधिकारी को लगाना चाहे तो लगा सकेंगे । श्री राहुल कुमार ने कथन किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी श्री धर्मवीर सिंह भी 300 पेड़ पौधे मय ट्री गार्ड के बाड़ों के पास लगवाएंगे । इस हेतु श्री धर्मवीर सिंह स्वतंत्र रहेंगे । श्री राहुल कुमार का कथन है कि शेष स्थान पर वे स्वयं, श्री टी. सी. वर्मा एवं श्री अक्षय सिंह मिलकर दस हजार पेड़ पौधे आज से डेढ़ माह की अवधि में लगवाएंगे, उन्हें पानी देंगे एवं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे । इसके लिए वे तीन से पांच पशु रक्षक भी तैनात करेंगे ।

विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा ने कथन किया कि वर्तमान में उस जगह भूमि की नपाई का काम चल रहा है एवं भूमि की नपाई के बाद नगर निगम को संभला दी जाएगी । आज गौशाला कमिश्नर भी उपस्थित हैं, जिन्होंने कथन किया है कि कुल 485 बीमा भूमि में से 125 बीघा भूमि पर डण्डा नहीं बना हुआ है । इस हेतु श्री सुशील कुमार शर्मा को निर्देश दिया जाता है कि वे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री एम. पी. मीना को सूचित करें कि वे जिस भूमि पर डण्डा बना हुआ नहीं है उस पर डण्डा पन्द्रह दिवस की अवधि में बनवाना आरंभ करें । गौशाला आयुक्त ने अस्पताल, आपरेशन थियेटर व गार्डों की गुमटियां तीन माह में बनवाने का कथन किया है । इन सभी कार्यों हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री

सुशील कुमार शर्मा को जिम्मेदारी दी जाती है कि वे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस हेतु सूचित करके कार्य कराएं । इस प्रकरण को तारीख 20 अक्तूबर, 2011 को सूचीबद्ध किया जाए ।

उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक-एक प्रतिलिपि निःशुल्क पक्षकारान के सभी अधिवक्तागण को प्रदान करें । श्री एस. आर. सुराना ज्येष्ठ अधिवक्ता, सर्वश्री विजय सिंह पूनिया, ललित शर्मा एवं अनूप पारीक, अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा के नाम दैनिक वाद सूची में दर्शाए जाएं ।"

16. तारीख 20 अक्तूबर, 2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :-

"यह याचिका नवम्बर, 2010 में प्रस्तुत की गई है, तदुपरांत तारीख 26 नवम्बर, 2000, 3 जून, 2011, 7 जून, 2011, 21 जून, 2011, 29 जून, 2011, 4 जुलाई, 2011, 18 जुलाई, 2011, 4 अगस्त, 2011, 30 अगस्त, 2011, 2 सितम्बर, 2011, 6 सितम्बर, 2011, 14 सितम्बर, 2011, 15 सितम्बर, 2011 20 सितम्बर, 2011 एवं 27 सितम्बर, 2011 को इस न्यायालय ने हिंगौनिया गौशाला के उत्थान के लिए राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जिन्होंने इस न्यायालय के आदेशों/निर्देशों की पालना करने का पूर्ण प्रयत्न किया ।

श्री अशोक सिंह निदेशक विधि ने न्यायालय से प्रार्थना की कि जब न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की पूर्ण रूप से पालना कर दी गई है एवं भविष्य में भी हिंगौनिया गौशाला के उत्थान के लिए पारित किए जाने वाले आदेशों की पालना की जाएगी तो इस प्रकरण को दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर निस्तारित कर दिया जाए ।

चूंकि आज अधिवक्तागण ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया है एवं अधिवक्तागण इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हैं । अतः इस प्रकरण को तारीख 22 नवम्बर, 2011 को सायंकाल 4.00 बजे न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । संबंधित अधिकारीगण सुसंगत दस्तावेज शपथ-पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें । उक्त तिथि को आज उपस्थित समस्त अधिकारीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें । श्री अशोक सिंह को निदेश दिया जाता है कि वे

श्री आर. वेंकटरमन सचिव स्थानीय निकाय एवं श्री ताराचंद मीना निदेशक स्थानीय निकाय विभाग को आगामी तारीख पर इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रहने हेतु सूचित करें ।"

17. तारीख 22 अक्तूबर, 2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"डा. आर. वेंकटेश रमन, सचिव शहरी विकास विभाग, श्री एम. पी. मीना, कार्यवाहक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर, श्री अशोक कुमार निदेशक (विधि), नगर निगम, जयपुर, श्री चन्दगीराम झाझड़िया, उप जिलाधीश, बस्सी, डा. सरदार सिंह, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, श्री राहुल कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक मय श्री टी. सी. वर्मा, उप वन संरक्षक, श्री हिदायतुल्ला खान अमीन, नगर निगम, जयपुर, श्री अशोक स्वामी, गौशाला आयुक्त, नगर निगम, जयपुर व सत्यनारायण शर्मा, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हैं ।

यह रिट याचिका जागो जनता सोसायटी की ओर से प्रस्तुत की गई जिसमें तारीख 20 अक्तूबर, 2011 को सभी अधिकारीगण मौजूद थे । उक्त तिथि को श्री अशोक सिंह निदेशक (विधि) नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया था कि इस न्यायालय द्वारा दिए आदेशों की पूर्णरूप से पालना कर दी गई है एवं भविष्य में भी हिंगौनिया गौशाला के उत्थान के लिए न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों की पालना कर दी जाएगी अतः इस प्रकरण को उभय पक्षों की सहमति के आधार पर निर्णीत कर दिया जाए ।

आज भी सभी पक्षकारों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि हिंगौनिया गौशाला में मुख्य-मुख्य कार्य करीब-करीब पूर्ण हो चुके हैं केवल एनक्रोचमेंट हटाने, चारदीवारी बनाने, हरी घास व एलीफेंट घास लगाने, खेलिया बनाने एवं खेलियों तक पाइप लाइन से पानी पहुंचाने, मेडिकल स्टाफ के लिए सुविधाएं मुहैया कराने एवं वृक्षारोपण आदि कार्य शेष हैं । सभी अधिकारीगण ने उक्त कार्यों का यथासंभव एक माह की अवधि में पूर्ण करने का न्यायालय को विश्वास दिलाया ।

डा. आर. वेंकटेश रमन, सचिव शहरी विकास विभाग ने कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला के रखरखाव का काम नगर निगम, जयपुर का है । यदि इसमें नगर निगम किसी प्रकार की कोई आर्थिक

असुविधा महसूस करती है तो एतदर्थ राज्य सरकार को लिख सकती है । जिसे राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ।

प्रकरण तारीख 24 नवम्बर, 2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए उक्त तिथि को डा. आर वेंकटेश रमन, सचिव शहरी विकास विभाग को व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है ।"

18. तारीख 24 नवम्बर, 2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"श्री पी. के. देव, सचिव शहरी विकास विभाग, श्री एम. पी. मीना, कार्यवाहक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर, श्री अशोक कुमार निदेशक (विधि), नगर निगम, जयपुर श्री चन्दगीराम झाझड़िया, उप जिलाधीश, बस्सी व श्री अशोक स्वामी, गौशाला आयुक्त, नगर निगम, जयपुर व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हैं ।

सभी पक्षकार इस बिन्दु पर सहमत हैं कि इस रिट याचिका का निस्तारण आपसी सहमति के आधार पर किया जाए ताकि भविष्य में याचिका में समय-समय पर इसमें दिए गए दिशा-निर्देश काम आ सकें ।

श्री पी. के. देव, सचिव शहरी विकास विभाग को निर्देश दिया जाता है कि तारीख 29 नवम्बर, 2011 को हिंगौनिया गौशाला पर मध्याह्न 2.30 बजे व्यक्तिशः जाकर उसका निरीक्षण करेंगे । उस समय विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थी श्री सज्जन राज सुराना ज्येष्ठ अधिवक्ता व श्री पूनम चन्द भण्डारी अधिवक्ता व अन्य संबंधित अधिकारीगण भी उनके साथ उपस्थित रहेंगे तथा गौशाला की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत कराया जाएगा ।

तारीख 7 दिसम्बर, 2011 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए उक्त तिथि को श्री पी. के. देव, सचिव शहरी विकास विभाग को व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है ।"

19. तारीख 8 दिसम्बर, 2011 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर श्री अशोक कुमार निदेशक (विधि), नगर निगम जयपुर, श्री

चन्दगीराम झाझड़िया, उप जिलाधीश, बस्सी व श्री अशोक स्वामी, गौशाला आयुक्त, नगर निगम, जयपुर व अन्य संबंधित अधिकारीगण व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हैं ।

गत पेशी तारीख 24 नवम्बर, 2011 को न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार श्री पी. के. देव, प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास विभाग अपने संबंधित अधिकारियों के साथ तथा न्यायालय द्वारा प्रकरण में नियुक्त कमिश्नर ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना अन्य अधिवक्तागण श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री विजय सिंह पूनिया, श्री अनूप पारीक व श्री ललित शर्मा के साथ तथा अतिरिक्त राजकीय महाधिवक्ता श्री सुशील कुमार शर्मा एवं श्री एम. एस. कच्छवाहा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता हिंगौनिया गौशाला पर गए थे जहां उन्हें संबंधित अधिकारीगण मौजूद मिले । जिन्हें गौशाला के उत्थान के लिए निर्देश दिए गए । श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने उन्हें श्री पी. के. देव प्रमुख शासन सचिव शहरी विकास विभाग द्वारा हिंगौनिया गौशाला के उत्थान हेतु दिए गए निर्देशों की अक्षरशः पालना किए जाने का न्यायालय के समक्ष कथन किया । साथ ही कथन किया कि गौशाला की 577 बीघा भूमि की चारदीवारी का निर्माण शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा तथा जो 377 बीघा जमीन गौशाला को दिलवाई गई है उसमें आवश्यकतानुसार ट्यूबवेल खुदवाने तथा जो ट्यूबवेल पहले से खुदे हुए हैं उनके पानी का परीक्षण करवाने के उपरांत उसे गायों के उपयोग हेतु काम में लेने का भी न्यायालय के समक्ष कथन किया ।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने कथन किया कि जयपुर नगर निगम के वर्ष 2011-2012 के बजट अभिभाषण एवं आय-व्यय अनुमान की पृष्ठ संख्या-26 पर शहर में मूक पशुओं के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनकी समय पर सार संभाल नहीं होने पर उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है । आए दिन शहर के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु गड्ढे, कुंआ में गिरते रहते हैं । ऐसे पशुओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जा सके । इसके लिए जयपुर नगर निगम आकस्मिक चिकित्सा प्रणाली 108 की तर्ज पर शहर में दो वाहनों के माध्यम से 109 सेवा की निःशुल्क शुरूआत करना प्रस्तावित किया गया है जिसमें से वह आकस्मिक चिकित्सा प्रणाली 109 के अन्तर्गत एक वाहन सात दिन में लगा देंगे तथा दूसरा

वाहन वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व लगा दिया जाएगा । यह भी कथित किया है कि गौशाला में प्रस्तावित पशु चिकित्सालय का निर्माण भी शीघ्र पूर्ण करवा दिया जाएगा ।

उभय पक्ष की आपसी सहमति के आधार पर समस्त अधिवक्तागण, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता एवं संबंधित अधिकारीगण तारीख 24 नवम्बर, 2011 को मध्याह्न 2.00 बजे हिंगौनिया गौशाला पर उपस्थित होकर गौशाला की वस्तुस्थिति का निरीक्षण कर आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय को उससे अवगत कराएंगे ।

पक्षकारान के विद्वान् अधिवक्तागण की आपसी सहमति के आधार पर प्रकरण तारीख 6 जनवरी, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए ।"

20. तारीख 6 जनवरी, 2012 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश तारीख 8 दिसम्बर, 2011 की अनुपालना में आज यह याचिका न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हुई । ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना ने सरल एवं सूक्ष्म में न्यायालय से तीन प्रार्थना की हैं – प्रथम हिंगौनिया गौशाला की 377 बीघा भूमि, जो उन्होंने स्वयं के प्रयासों से मुक्त करवाकर गौशाला को दिलवाई है उस पर चारदीवारी बनवाने, द्वितीय उक्त भूमि पर हाथी घास व रजका घास लगवाने तृतीय रूग्ण पशुओं के उपचार हेतु 109 सेवा की शुरूआत अविलंब करवाने के, जिसके दूरभाष विभाग नम्बर, आबंटित नहीं कर रहा है, नगर निगम जयपुर को निर्देश दिए जाएं ।

श्रीमती नयना सर्राफ ने विद्वान् अधिवक्ता नगर निगम जयपुर ने कथन किया कि गौशाला को मुक्त होकर प्राप्त हुई भूमि की चारदीवारी निर्माण का कार्य 15 दिन की अवधि में प्रारम्भ कर दिया जाएगा । उक्त भूमि को कल से ट्रेक्टर व जेसीबी मशीनें लगाकर समतल करने व उस पर हाथी घास व रिजका घास लगाने का कार्य कल से प्रारम्भ कर दिया जाएगा और उक्त कार्य को एक माह की अवधि में पूर्ण कर देंगे ।

109 सेवा के दूरभाष नम्बर आबंटन हेतु दूरभाष विभाग को प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रति श्री तेजप्रकाश शर्मा, अधिवक्ता को दिलवाई गई जिन्होंने न्यायालय को आश्वस्त किया कि वह आगामी तारीख पेशी तारीख 13 जनवरी, 2012 तक 109 सेवा के दूरभाष नम्बर आबंटित करवा देंगे ।

अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा ने न्यायालय से प्रार्थना की कि हिंगौलिया गौशाला हेतु नए चिकित्सकों के पद राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत कर दिए गए हैं जिन पर नए चिकित्सक पदस्थापित करने एवं वहां वर्तमान में पदस्थापित चिकित्सकों को उनके संबंधित चिकित्सालय में पुनः भिजवाए जाने की अनुमति प्रदान की जाए । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह इस आशय का निदेश, पशुपालन विभाग, राजस्थान का शपथपत्र आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि किन-किन चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ को गौशाला में पदस्थापित किया जा रहा है तथा क्या क्या दवाइयां आदि भिजवाई जा रही हैं तदुपरांत एतदर्थ उचित आदेश न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाएंगे ।

न्यायालय के ध्यान में यह भी लाया गया है कि आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से हिंगौनिया गौशाला तक जाने वाली सड़क जीर्णक्षीण अवस्था में है जिसका जीर्णाद्वार अपेक्षित है ।

प्रकरण तारीख 13 जनवरी, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । उक्त तिथि को श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर कुलदीप रांका आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण तथा निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे ।"

21. तारीख 13 जनवरी, 2012 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश तारीख 6 जनवरी, 2012 की पालना में सूचीबद्ध हुआ है ।

श्री वी. एस. सूण्डा, निदेशक (अभियन्ता), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर प्राधिकरण की ओर से उपस्थित है जिन्होंने कथन किया है कि श्री कुलदीप रांका, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण

के पिता का स्वर्गवास हो गया है एवं आज उनका द्वादशा है अतः वह व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके हैं और उनकी हाजरी माफी का निवेदन किया । जिसके लिए प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है एवं उनकी हाजिरी माफ की जाती है । साथ ही उन्होंने यह भी कथन किया कि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर से संबंधित सड़क का निर्माण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा कर दिया गया है ।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने कथन किया है कि वह हिंगौनिया गौशाला को प्राप्त 377 बीघा भूमि को समतल कराने का कार्य तारीख 16 जनवरी, 2012 से प्रारंभ करा देंगे एवं आगामी तारीख पेशी पर उसकी प्रगति रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे ।

श्री राजेश शर्मा, निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर ने कथन किया कि क्या वह मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हिंगौनिया गौशाला में पदस्थापित चिकित्सकों को अन्यत्र पदस्थापित करना चाहें तो कर सकते हैं ? एवं उन्होंने इतनी सी स्वतंत्रता न्यायालय से चाही । इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि वह मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर हिंगौनिया गौशाला में पदस्थापित चिकित्सकों/स्टाफ को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित/पदस्थापित कर सकते हैं, किन्तु हिंगौनिया गौशाला में पदस्थापित चिकित्सीय स्टाफ की संख्या उतनी ही रहेगी जो वर्तमान में है, उसकी संख्या में कमी नहीं की जाएगी ।

109 सेवा से संबंधित विभाग से कोई उपस्थित नहीं है अतः श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त सेवा से संबंधित विभाग के अधिवक्ता से एतदर्थ सम्पर्क करेंगे एवं उन्हें आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के संबंध में भी सूचित करेंगे ।

प्रकरण तारीख 30 जनवरी, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । उक्त तिथि को श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर, श्री राजेश शर्मा, निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर व श्री वी. एस. सूण्डा निदेशक (अभियन्ता) जयपुर विकास प्राधिकरण को व्यक्तिशः न्यायालय में

उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है ।"

22. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 2 फरवरी, 2012 को सूचीबद्ध किया गया । तारीख 2 फरवरी, 2012 को इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश तारीख 13 जनवरी, 2012 की पालना में सूचीबद्ध हुआ है ।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि हिंगौनिया गौशाला को प्राप्त हुई 377 बीघा भूमि की चारदीवारी का निर्माण कार्य जारी है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा तथा यदि हिंगौनिया गौशाला की भूमि पर किसी प्रकार कोई अतिक्रमण किसी द्वारा किया गया है तो उसे अविलंब हटा दिया जाएगा । उन्होंने यह भी कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला की सम्पर्क सड़कों का कार्य जो होना शेष है उसे सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के संबंधित अधिकारियों से संपर्क करके शीघ्र पूर्ण करवा लिया जाएगा ।

पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर से श्री नरेन्द्र कुमार स्वामी उपस्थित है जिन्होंने कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में पशुओं की दवाइयों के रख-रखाव हेतु छह रेक एवं एक फ्रीज की आवश्यकता है जिसे गौशाला में अविलंब उपलब्ध करवाने का श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय को आश्वासन दिया । उन्होंने न्यायालय को आश्वस्त किया कि हिंगौनिया गौशाला में आवश्यक शेष कार्यों को त्वरित रूप से पूर्ण करने के लिए श्री एम. पी. मीना, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर को एतदर्थ विशेष रूप से नियुक्त कर दिया जाएगा जो एतदर्थ गठित समिति से सम्पर्क कर कार्यों की पूर्णता को त्वरित अंजाम देंगे ।

श्री एम. एम. कच्छवाहा, अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता ने वन विभाग की ओर से कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला की चार दीवारी के निर्माण का कार्य पूर्ण होते ही गौशाला में वृक्षारोपण हेतु गड्ढे खुदवाना शुरू कर दिया जाएगा ।

श्री तेज प्रकाश शर्मा अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि रूग्ण पशुओं के उपचार हेतु नगर निगम द्वारा शुरू किए जाने वाले वाहन को 1962 दूरभाष संख्या आबंटित कर दिया गया है जिससे प्रार्थी के अधिवक्तागण सर्वश्री सज्जन राज सुराना, श्री पूनम चन्द भण्डारी एवं श्री विजय सिंह पूनिया को अवगत करवा दिया गया है । उक्त दूरभाष नम्बर, टोल फ्री होगा ।"

23. तारीख 14 फरवरी, 2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश तारीख 2 फरवरी, 2012 की पालना में सूचीबद्ध हुआ है ।

विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता प्रार्थी श्री सज्जन राज सुराना का कथन है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश तारीख 2 फरवरी, 2012 की प्रतिपक्ष द्वारा अक्षरशः पालना नहीं की गई है ।

विद्वान् अधिवक्ता प्रतिपक्षी क्रम 2 व 3 श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया है कि वह व्यक्तिशः हिंगौनिया गौशाला जाकर मौका मुआयना कर वस्तुस्थिति से न्यायालय को अवगत करा देगी । एतदर्थ प्रकरण में नियुक्त कमिश्नर श्री सज्जन राज सुराना एवं श्रीमती सर्राफ ने तारीख 20 फरवरी, 2012 को प्रातः 8.00 बजे हिंगौनिया गौशाला निरीक्षण हेतु जाएंगे एवं वस्तु स्थिति से आगामी तारीख पेशी तारीख 21 फरवरी, 2012 को न्यायालय को अवगत कराएंगे ।

प्रकरण तारीख 21 फरवरी, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । उक्त तिथि को श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर एवं श्री एम. पी. मीना, अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर भी व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित रहेंगे ।"

24. तारीख 21 फरवरी, 2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश तारीख 14 फरवरी, 2012 की पालना में सूचीबद्ध हुआ है ।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि हिंगौनिया गौशाला

को प्राप्त हुई 377 बीघा अतिरिक्त भूमि, जो इस न्यायालय के अधिवक्तागण के अथक प्रयास से प्राप्त हुई है की चारदीवारी निर्माण एवं वहां स्थापित किए जाने वाले पशु चिकित्सालय हेतु उपकरणों तथा हिंगौनिया गौशाला में रह रही गायों के लिए हरी घास उगान हेतु उक्त भूमि में बीस कुंए बनाना आवश्यक है जिसके लिए वित्त विभाग से एतदर्थ विशेष बजट दिलवाया जाए ताकि प्रश्नगत भूमि पर पुनः अतिक्रमण न हो एवं वहां रह रही गायों की देखरेख सही तौर पर हो सके ।

इतना लिखवाने पर श्री विनोद पाण्डया, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त राजस्थान, जयपुर व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए जिन्होंने कथन किया कि यदि एतदर्थ नगर निगम, जयपुर की ओर से कोई प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार/वित्त विभाग को भेजा जाता है तो उस पर नियमानुसार विचार किया जाएगा एतदर्थ बजट आबंटन करने के संबंध में वह कोई कथन न्यायालय के समक्ष करने में सक्षम नहीं है । श्री सी. के. मैथ्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राजस्थान ही इस संबंध में कथन कर सकते हैं ।

वैसे तो इस न्यायालय को अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राजस्थान श्री सी. के. मैथ्यू को न्यायालय में बुलवाने में कोई प्रसन्नता नहीं होती किन्तु उनकी ओर से न्यायालय के समक्ष भेजे गए प्रतिनिधि श्री विनोद पाण्डया, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त राजस्थान, जयपुर के उक्त कथन को देखते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष बुलवाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है ।

प्रकरण कल तारीख 22 फरवरी, 2012 को प्रातः 10.30 बजे के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए उस समय श्री सी. के. मैथ्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेंगे ।"

25. तारीख 22 फरवरी, 2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"श्री सी. के. मैथ्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राजस्थान, श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर, श्री अशोक कुमार निदेशक (विधि), नगर निगम, जयपुर व श्री अशोक स्वामी, गौशाला आयुक्त, नगर निगम, जयपुर व श्री टी. सी. वर्मा,

जिला वन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण), जयपुर व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित हैं ।

आज यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा कल तारीख 21 फरवरी, 2012 को पारित आदेश की पालना में सूचीबद्ध हुआ है ।

श्री सी. के. मैथ्यू, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) राजस्थान, जो आज व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित है ने स्वीकार किया है कि नगर निगम, जयपुर की ओर से जो भी प्रस्ताव बजट आबंटन हेतु भिजवाया जाएगा उस पर विधि की अपेक्षित अपेक्षाओं के अनुरूप विचार करते हुए नियमानुसार निस्तारित किया जाएगा ।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर ने सशपथ न्यायालय के समक्ष कथन किया कि जयपुर नगर निगम को हिंगौनिया गौशाला पर अतिक्रमण से मुक्त होकर प्राप्त 377 बीघा भूमि की चारदीवारी के निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है जिससे निगम द्वारा पूर्ण करवा दिया जाएगा । तदुपरांत उक्त भूमि में कुंए खुदवाने तथा हिंगौनिया गौशाला में मेडिकल अप्रेटस का कार्य पूर्ण करवा दिया जाएगा ।

श्री टी. सी. वर्मा, जिला वन अधिकारी, जयपुर (दक्षिण), जयपुर व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित है जिन्होंने कथन किया है कि वह हिंगौनिया गौशाला की प्रश्नगत भूमि में गड्ढे खुदवाकर वृक्षारोपण करा देंगे एवं एक हजार वृक्ष माह फरवरी, 2012 में ही लगा देंगे । उन्होंने यह भी कथन किया कि गौशाला में वन विभाग की ओर से तीन कर्मचारी श्री मदन लाल, वनपाल, श्री हरदयाल व जगदीश बृजपाल को एतदर्थ लगा दिया गया है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह उक्त कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि तक गौशाला में ही नियुक्त रखेंगे तथा उन्हें वहां से नहीं हटाएंगे ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यह मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर के विवेकाधीन रहेगा कि वह श्री सिंघल, अभियन्ता, जो वर्तमान में निगम के अधीन हिंगौनिया गौशाला पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, की सेवाएं निरंतर रखें अथवा उन्हें कार्यमुक्त करें ।

प्रकरण तारीख 2 मार्च, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए ।”

26. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 6 मार्च, 2012 को सूचीबद्ध किया गया । उस दिन श्री लोकनाथ सोनी सी. ई. ओ. नगर निगम ने इस न्यायालय के समक्ष अण्डरटेकिंग दी कि हिंगौनिया गौशाला से संबंधित वर्ष 2011-12 के बजट को लेप्स नहीं किया जाएगा एवं बजट की राशि का उपयोग किया जाएगा । प्रकरण को तारीख 16 मार्च, 2012 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

27. तारीख 16 मार्च, 2012 को इस न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका को निस्तारित किया गया एवं निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "आज यह प्रकरण पूर्व में पारित आदेश तारीख 6 मार्च, 2012 के अनुसरण में इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है । श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर मय अन्य संबंधित अधिकारीगण गौशाला आयुक्त, उद्यान आयुक्त इत्यादि के उपस्थित है । श्री सोनी ने इस न्यायालय के समक्ष सशपथ कथन किया है कि वे हिंगौनिया गौशाला के चारों तरफ पत्थरों की चारदीवारी का निर्माण छह माह की अवधि में करवा देंगे, गौशाला की भूमि में स्थित पहाड़ या राजस्व अभिलेख में अंकित नालों को यथावत छोड़कर सम्पूर्ण भूमि को छह माह की अवधि में समतल करवा देंगे । उन्होंने यह भी कथन किया कि वर्तमान में हिंगौनिया गौशाला में 9 कुंए चालू हैं, इसके अतिरिक्त शेष खुदवाए जाने वाले 20 कुंओं में से 10 कुंए तीन माह की अवधि में खुदवा दिए जाएंगे एवं शेष 10 कुंए अगले तीन माह में खुदवा दिए जाएंगे, इस प्रकार कुंए खुदवाने का कार्य छह माह की अवधि में पूर्ण करवा दिया जाएगा । श्री सोनी का यह भी कथन है कि आवश्यकतानुसार खेलियों व पानी के टैंकों का भी निर्माण करा दिया जाएगा ।
>
> न्यायालय के समक्ष उपस्थित उद्यान आयुक्त श्री बद्रीप्रसाद शर्मा ने कथन किया है कि हिंगौनिया गौशाला के अन्दर व गौशाला की बाउण्ड्री वाल के बाहर जितने भी पेड़ लगाए गए हैं उनकी सुरक्षा, रख-रखाव एवं खाद पानी देने इत्यादि का कार्य समय समय पर कराएंगे एवं इस कार्य हेतु वे कम से कम दस व्यक्तियों को लगाएंगे एवं आवश्यक होने पर उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी । गौशाला के चारों तरफ परिक्रमा मार्ग छह माह की अवधि में पूर्ण कराएंगे एवं जिसमें आवश्यकतानुसार लाइट भी लगवाएंगे ।

न्यायालय के समक्ष उपस्थित जिला वन अधिकारी श्री पी. सी. वर्मा ने कथन किया कि वे 5000 पौधे लगवा चुके हैं एवं शेष 5000 पौधे माह अगस्त, 2012 तक लगवा देंगे, जिन समस्त पौधों के रख-रखाव की जिम्मेदारी वन विभाग की होगी ।

जयपुर विकास प्राधिकरण हिंगौनिया गौशाला तक आने जाने के लिए सड़क का निर्माण दो माह में पूर्ण कराएं । इस हेतु न्यायालय आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण श्री कुलदीप रांका को बुलाने के लिए तत्पर थी किन्तु मात्र इस हेतु उनके कार्य में व्यवधान करना उपयुक्त नहीं समझते हुए श्री लोकनाथ सोनी को निर्देश दिया जाता है कि वे उन्हें न्यायालय के आदेश से अवगत कराएं । इस पर श्री सोनी ने कथन किया कि वे न्यायालय के आदेश से आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को अवगत करा देंगे ।

थानाधिकारी, पुलिस थाना, कानोता श्री प्रमोद कुमार भी आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं । उन्होंने कथन किया कि वे रात्रि में एवं दिन में स्वयं गौशाला में गश्त करेंगे, इसकी रपट रोजनामचा में अंकित करेंगे एवं न्यायालय द्वारा तलब किए जाने पर रोजनामचा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

उपरोक्त वर्णित अधिकारीगण के द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रकार से कथन किए जाने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है । किन्तु इस न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा किए गए कथन के अनुरूप पालना देखने हेतु प्रकरण को तारीख 27 अप्रैल, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया कि आगामी तारीख को संबंधित अधिकारीगण को उपस्थिति से छूट प्रदान की जाए एवं न्यायालय आवश्यक समझे जाने पर वे उन्हे दूरभाष कर बुला लेंगी । श्रीमती नयना सर्राफ की उक्त अण्डरटेकिंग को देखते हुए संबंधित अधिकारीगण को व्यक्तिगत रूप से आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है ।

तारीख 27 अप्रैल, 2012 को श्री कुलदीप रांका, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह अण्डरटेकिंग दी कि वे हिंगौनिया गौशाला के चारों तरफ एवं हिंगौनिया गौशाला को जोड़ने वाली रोड आज से तीन माह की अवधि

में बनवा देंगे एवं इस हेतु वे सात दिन की अवधि में टेण्डर जारी करवा देंगे । वे इस हेतु अधिवक्तागण की टीम के साथ हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण करेंगे । प्रकरण को तारीख 14 मई, 2012 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।"

तारीख 14 मई, 2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पर किया गया :–

"आज यह प्रकरण पूर्व में पारित आदेश तारीख 27 अप्रैल, 2012 के अनुक्रम में इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है ।

मुख्य रूप से यह प्रकरण इस न्यायालय द्वारा पूर्व में सहमति के आधार पर पारित किए गए आदेश पालना देखने के लिए सूचीबद्ध हुआ है ।

उपस्थित विद्वान् अधिवक्तागण ने इस न्यायालय का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित कराया :–

1. हिंगौनिया गौशाला में बिजली कई बार आती है एवं कई बार नहीं आती है, जबकि नगर निगम ने इस हेतु नियमानुसार राशि जमा करवा रखी है ।

2. चारा उगाने के लिए 200 बीघा भूमि सुरक्षित रखी गई है लेकिन उस पर चारा नहीं उगाया गया है ।

3. इलेक्ट्रिसिटी, हाई मास्क लाइटें आपरेशन थियेटर व अन्य जगहों पर लगाने हेतु उपयुक्त तारों की आवश्यकता है । 162 के.वी. का जनरेटर लगवाने की प्रार्थना की गई है एवं विद्युत के जो पोल लगाए गए हैं वे मिट्टी में ही गाड़ दिए गए हैं, जिन्हें सही प्रकार से लगवाया जाए ।

4. रोड बनाने की प्रार्थना की गई है ।

5. यह भी प्रार्थना की गई है कि श्री ताराचन्द मीना, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग ने आज तक कोई रिपोर्ट संबंधित सचिवालय में नहीं दी है, जो भिजवाई जाए ।

6. उद्यान आयुक्त को निर्देश दिया जाए कि वे वहां युक्तियुक्त तरीके से व्यक्तियों को नियुक्त करें ।

श्री कुजीलाल मीना; अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को न्यायालय द्वारा बुलाया गया, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह कथन किया कि वे स्वयं हिंगौनिया गौशाला जाकर देखेंगे एवं किसी तकनीकी कारण से लाइट नहीं जाए, यह सुनिश्चित करेंगे। श्री ताराचन्द मीना, निदेशक स्वायत्त शासन विभाग को भी न्यायालय द्वारा बुलाया गया, जिन्होंने भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह कथन किया है कि उन्हें जैसे ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिलेगी उसे सचिवालय में संबंधित विभाग को एप्रूवल के लिए भेज देंगे एवं वे इस कार्य को व्यक्तिगत रूप से रुचि लेते हुए कराएंगे। चारा उगाने के लिए जो 200 बीघा भूमि सुरक्षित रखी गई है, उसके संबंध में श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, जयपुर ने कथन किया कि वे 50 बीघा भूमि पर चारा उगाने के लिए जोबनेर से बीज लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कथन किया कि इलेक्ट्रिसिटी, हाई मास्क लाइटें, आपरेशन थियेटर में उपयुक्त तार लगाने, 162 के.वी. का जनरेटर लगाने व बिजली के पोलों को लगवाने की कार्यवाही को एक माह अवधि में करा देंगे। आपरेशन थियेटर में उपयुक्त तार लगाने का कार्य संबंधित चिकित्सक के साथ बैठकर उनसे सलाह कर कार्य कराएंगे।

श्री एस. आर. सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि जहां पर रोड बन रहा है वहां पर बिजली व पेड़ लगाने के लिए वे आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण से प्रार्थना करेंगे। इस हेतु वे डा. पी. सी. जैन के साथ जाकर उन्हें न्यायालय की भावना से अवगत कराएंगे तथा उनसे सहमति प्राप्त करेंगे।

इस प्रकरण को तारीख 16 जुलाई, 2012 को सूचीबद्ध किया जाए। श्रीमती नयना सर्राफ ने प्रार्थना की कि उस दिन जिस भी अधिकारी की आवश्यकता होगी, वे बुलवा लेंगे।"

28. कमिश्नर रिपोर्ट पर पत्रावली को तारीख 5 जुलाई, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया। तारीख 5 जुलाई, 2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह याचिका जागो जनता सोसायटी द्वारा पेश की गई है। कमिश्नर रिपोर्ट पर आज यह पत्रावली न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध

की गई है ।

श्री लोकनाथ सोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगर निगम, जयपुर, श्री प्रदीप नथानी अधीक्षण अभियन्ता, श्री अशोक स्वामी गौशाला आयुक्त श्री बद्री प्रसाद शर्मा, गार्डन कमिश्नर एवं विजय पाल सिंह थानाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित है । सभी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय से यह प्रार्थना की है कि वे भविष्य में ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश में अवरोध पैदा करता हो । उनकी इस प्रार्थना को हम इस पवित्र कार्य के बीच में अवमानना याचिका ट्रीट नहीं करते हैं । फलस्वरूप उनकी क्षमा याचना को स्वीकार करते हुए निम्न निर्देश देता हूं –

1. जो 16 सिक्योरिटी गार्ड वहां पर लगे हुए थे एवं जिनको हटा लिया गया था वे आज शाम तक वापिस लगा दिए जाएंगे एवं वे तब तक लगे रहेंगे जब तक कि हिंगौनिया गौशाला इस सृष्टि पर रहेगी ।

2. विद्युत के बारे में यह कथन किया गया है कि वे तारीख 31 जुलाई, 2012 तक विद्युत से संबंधित कार्य को पूर्ण करा देंगे । यदि किसी कारण से कार्य पूरा करने में किसी प्रकार की कोई समय की आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए इस न्यायालय से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके समय मांग लिया जाएगा ।

3. 200 बीघा जमीन जो रामसिंहपुरा में है, उसमें तारीख 15 अगस्त, 2012 तक दो कुंए खुदवा देंगे तथा शेष कुंए इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशानुसार खुदवा दिए जाएंगे ।

4. टूटी हुई पाइप लाइन 15 दिवस में बदल दी जाएगी एवं तारीख 15 अगस्त, 2012 तक खराब हुई पूरी पाइप लाइन बदल दी जाएगी ।

5. तारीख 15 जुलाई, 2012 तक टूटी हुई दीवार ठीक करा देंगे ।

6. पुलिस के भारसाधक अधिकारी ने न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर यह क्षमा याचना की है कि वे गौशाला में इस

न्यायालय के पूर्व आदेशानुसार नहीं गए एवं न ही रोजनामचा में इस बाबत कोई रपट दर्ज की है । मैं इस पवित्र कार्य को दृष्टिगत रखते हुए, उक्त अधिकारी को क्षमा करता हूं तथा यह निर्देश देता हूं कि वे आज के बाद दिन में एक बार गौशाला जाएंगे तथा वहां उपरोक्त सभी कार्यों को देखेंगे, सुरक्षा व्यवस्था को देखेंगे तथा किसी प्रकार की परेशानी होंगी तो उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा रोजाना की रपट रोजनामचा में लिखेंगे ।

श्री दिनेश यादव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जो इस न्यायालय में उपस्थित है, को निर्देश दिया जाता है कि उक्त कार्यों के संबंध में कोई दिक्कत आती है तो उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे ।

पुलिस के भारसाधक अधिकारी के अलावा अन्य उपस्थित व्यक्तियों को अगली तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है ।

इस पत्रावली को तारीख 16 जुलाई, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए ।"

29. तारीख 16 जुलाई, 2012 को सभी पक्षकारों के विद्वान् अधिवक्तागण एवं संबंधित अधिकारियों ने कथन किया कि वे तारीख 23 जुलाई, 2012 को सायं 5.00 बजे हिंगौनिया गौशाला में जाकर स्थिति से न्यायालय को अवगत कराएंगे । पुलिस भारसाधक अधिकारी, पुलिस थाना कानोता को निर्देश दिया जाता है कि वे भी तारीख 23 जुलाई, 2012 को सायं 5.00 बजे हिंगौनिया गौशाला में उपस्थित रहेंगे । प्रकरण को तारीख 25 जुलाई, 2012 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया गया ।

30. तारीख 25 जुलाई, 2012 को श्री लोकनाथ सोनी, सी. ई. ओ. नगर निगम, जयपुर ने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वे तारीख 14 मई, 2012 के आदेश की पालना एक माह की अवधि में करा देंगे एवं सात कुंओं में से दो कुंओं को एक सप्ताह की अवधि में चालू करवा देंगे । प्रकरण को तारीख 27 अगस्त, 2012 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

31. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 23 अगस्त, 2012 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

*"Today the matter is listed before this Hon'ble court.

Mr. Sushil sharma, AAG and Mr. Dinesh Yadav, AAG undertake that they will go to Hingoniya Gaushala alongwith Mr. S.R. Surana, Sr. Advocate assisted by Mr. Abhishek Bhargava, Mr. Vijay Singh Poonia, Advocate and Poonam Chand Bhandari, Advocate on 25th August, 2012. They will reach at Gaushala at 5.00 pm on 25th of this month, in order to know the problems of Hingoniya Gaushala.

Thereafter as ordered be this Court on 25.7.2012, the case be listed on 27th August, 2012. on that day, all the concerned persons will indicate the problems of Hingoniya Gaushala and both the parties will also suggest the steps to be taken to resolve the problems.

Ms. Naina Sarraf, Advocate undertakes that she will show a copy of the contract entered into by the Contractor with the Municipal corporation, along-with relevant documents, on that day.

Mr. Sushil Sharma, AAG undertakes that he will ask the SDO concerned to remain present in the Court on 27th August, 2012

---

*हिन्दी में यह इस प्रकार है ।

"आज मामले को इस माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया है ।

श्री सुशील शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता और श्री दिनेश यादव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, ने वचन दिया है कि वे तारीख 25 अगस्त, 2012 को श्री सज्जन राज सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री अभिषेक भार्गव, श्री विजय सिंह पूनिया, अधिवक्ता और पूनम चन्द भण्डारी, अधिवक्ता के साथ हिंगौनिया गौशाला जाएंगे । वे इस माह की 25 तारीख को सायं 5.00 बजे हिंगौनिया गौशाला की समस्या जानने के लिए गौशाला में पहुंचेंगे ।

इस प्रकार जैसा कि इस न्यायालय ने 27 अगस्त, 2012 को सूचीबद्ध किए गए मामले का तारीख 25 जुलाई, 2012 को आदेश दिया था । उस दिन सभी संबंधित व्यक्तियों ने हिंगौनिया गौशाला की समस्या बताई और दोनों पक्षकारों ने समस्या के समाधान के लिए उचित कदम उठाने के सुझाव दिए ।

श्री नैना सर्राफ, अधिवक्ता वचन देती है कि वह उसी दिन नगर निगम सहित संविदाकर्ता के आने के साथ सुसंगत दस्तावेजों द्वारा संविदा की प्रति प्रस्तुत करेगी ।

श्री सुशील शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता यह वचन देता है कि वह हिंगौनिया गौशाला के राजस्व अभिलेख के साथ तारीख 27 अगस्त, 2012

along-with the revenue record of Hingoniya Gaushala.

Put up on 27th August, 2012."

32. तारीख 4 सितम्बर, 2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह प्रकरण तारीख 27 अगस्त, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना था, किन्तु उक्त तिथि को इस पीठ के नहीं बैठने के कारण उक्त तिथि को यह प्रकरण सूचीबद्ध नहीं हो सका फलस्वरूप कल प्रार्थीगण की ओर से ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना, श्री पूनम चन्द भण्डारी अधिवक्ता, व श्री ललित शर्मा, अधिवक्ता ने न्यायालय से प्रार्थना की कि बरसात के मौसम में गायों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए गौशाला में बरसात की वजह से हो रहे कीचड़ व मौसमी बीमारियों के फैलने की आशंका के दृष्टिगत प्रकरण को आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किए जाने की प्रार्थना की, ताकि संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश न्यायालय द्वारा दिए जा सकें । अतः प्रकरण आज इस न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया ।

आज श्री सुशील कुमार शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता राज्य सरकार की ओर से तथा श्री चन्दगीराम मीना, उप जिलाधीश, बस्सी जिला जयपुर, श्री अशोक स्वामी गौशाला, आयुक्त नगर निगम, जयपुर, श्री डी. के. जोशी पी. सी. एफ. वन विभाग की ओर से न्यायालय में उपस्थित हैं । श्री अशोक स्वामी, आयुक्त गौशाला ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वह दस दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर हिंगौनिया गौशाला से कीचड़ को साफ करवा देंगे, पशु चिकित्सा विभाग के संबंधित पशु चिकित्सालय से सम्पर्क कर गौशाला में दवाइयों का स्प्रे करवा देंगे ताकि गौशाला में संक्रामक रोग नहीं फैल सके तथा एतदर्थ संबंधित उपकरण संबंधित जगहों पर लगवा देंगे । उन्होंने यह भी कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला से गायों/पशुओं से प्राप्त गोबर एवं मूत्र के उपयोग व उपभोग के संबंध में वह एक कार्य योजना बनाकर आगामी तारीख पेशी पर उससे न्यायालय से अवगत करा देंगे ।

को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए संबंधित एस. डी. ओ. को पूछेंगे ।

तारीख 27 अगस्त, 2012 को प्रस्तुत किया गया ।"

आज न्यायालय के समक्ष उप जिलाधीश बस्सी, जिला जयपुर श्री चन्दगीराम मीना व्यक्तिशः उपस्थित हैं जिन्होंने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला की 577 बीघा जमीन है वह चिरकाल तक हिंगौनिया गौशाला के नाम ही रहेगी, जिसे हिंगौनिया गौशाला की गायों के उत्थान के लिए हिंगौनिया गौशाला के लिए ही रखा जाएगा जिसका संबंधित राजस्व अभिलेख में भी हिंगौनिया गौशाला के नाम ही इन्द्राज कर दिया जाएगा, जिसके राजस्व अभिलेख में इन्द्राज किए जाने की प्रमाणित छाया प्रति आगामी तारीख पेशी पर वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वह इस आशय का अपना स्वयं का शपथपत्र कि उक्त हिंगौनिया गौशाला की 577 बीघा गोचर भूमि का इन्द्राज संबंधित राजस्व अभिलेख में हिंगौनिया गौशाला के नाम कर दिया गया है जिसे चिरकाल तक हिंगौनिया गौशाला के नाम ही रखा जाएगा एवं उसे अन्य किसी को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा । उक्त शपथपत्र के साथ इन्द्राज किए गए दस्तावेज की प्रमाणित छाया प्रति भी संलग्न की जाएगी एवं वह न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व उनकी प्रतियां ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना, श्री पूनम चन्द भण्डारी, श्री ललित शर्मा को उपलब्ध करवाई जाएगी ।

श्री अशोक स्वामी, आयुक्त गौशाला, नगर निगम, जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वह आगामी तारीख पेशी पर गौशाला में विद्युत संबंधित नक्शा भी न्यायालय के समक्ष न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे ।

बहस के दौरान विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सुराना ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में कार्यरत कर्मकारों की समस्या काफी जटिल होती जा रही हैं, उन्हें गत तीन माह से उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है जिसके कारण वह असंतुष्ट है और यदि वह असंतुष्ट रहे तो इस न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों की क्रियान्विति समय पर नहीं हो सकेगी । इस पर श्री अशोक स्वामी, आयुक्त, गौशाला नगर निगम, जयपुर न्यायालय के समक्ष कथन किया कि वह संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर आगामी तारीख पेशी तक कर्मकारों को उनकी मजदूरी का पैसा दिलवाने का भरसक प्रयास करेंगे ।

श्री डी. के. जोशी, ए. सी. एफ. जोकि व्यक्तिशः न्यायालय में

उपस्थित हैं, ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि उन्होंने हिंगौनिया गौशाला में लगभग नौ हजार पौधे लगा दिए हैं तथा चिह्नित क्षेत्र में एक हजार पौधे और लगा रहे हैं एवं आवश्यकता हुई तो वह आवश्यकतानुसार और वृक्षारोपण गौशाला में करवा देंगे ।

प्रकरण तारीख 14 सितम्बर, 2012 को न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए । उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक-एक प्रति आज ही निःशुल्क श्री सज्जन राज सुराना, ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री पूनम चन्द भण्डारी, अधिवक्ता, श्री सुशील कुमार शर्मा, अतिरिक्त महाधिवक्ता, श्री चन्दगीराम मीना, उप जिलाधीश, बस्सी, जिला जयपुर, श्री अशोक स्वामी आयुक्त गौशाला, नगर निगम, जयपुर व श्री डी. के. जोशी, ए. सी. एफ. वन विभाग जयपुर को उपलब्ध कराएंगे ।"

33. तारीख 19 सितम्बर, 2012 को इस न्यायालय के समक्ष श्री चन्दगीराम एस. डी. ओ. बस्सी ने अपना एक शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें हिंगौनिया गौशाला में नाम अंकित भूमि का वर्णन किया एवं अपने शपथपत्र के साथ जमाबन्दी भी प्रस्तुत की । प्रकरण को तारीख 24 सितम्बर, 2012 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

34. तारीख 28 सितम्बर, 2012 को इस प्रकरण को तारीख 3 अक्तूबर, 2012 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया एवं उक्त दिवस को सचिव, शहरी विकास एवं आवासन विभाग एवं सी. ई. ओ. जयपुर नगर निगम को व्यक्तिशः उपस्थित होने का आदेश दिया गया ।

35. तारीख 3 अक्तूबर, 2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :—

"यह प्रकरण तारीख 28 सितम्बर, 2012 के आदेशानुसार आज न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है ।

उक्त दिवस को इस न्यायालय ने सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम को तारीख 3 अक्तूबर, 2012 को व्यक्तिशः उपस्थित होने का निर्देश दिया था ।

उन्होंने न्यायालय की भावना के अनुरूप कार्यवाही की है, जिससे उनकी उपस्थिति इस न्यायालय द्वारा माफ की जाती है ।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर की ओर से आदेश तारीख 1 अक्तूबर, 2012 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके अन्तर्गत गौ पुनर्वास केन्द्र, हिंगौनिया में करवाए जाने वाले कार्यों एवं की जाने वाली व्यवस्थाओं के बाबत निम्न कार्य करवाने की स्वीकृति जारी की है :–

1. बची हुई चारदीवारी का कार्य (चार कार्य)
2. नाले व नाली का निर्माण कार्य (तीन कार्य)
3. रोड कार्य (तीन कार्य)
4. बोरिंग का कार्य
5. ओवर हैड वाटर टैंक (दो कार्य)
6. अण्डर ग्राउंड वाटर टैंक
7. वॉच टावर हारवेस्टिंग सिस्टम
8. रेन वाटर हारवेस्टिंग सिस्टम
9. पानी की सप्लाई हेतु पानी की लाइन का कार्य
10. केटल शेड (6 कार्य) एवं गायों के खुले विचरण हेतु आवश्यक निर्माण कार्य
11. सामुदायिक शौचालय
12. लेबर रेस्ट रूम व फर्स्ट ऐड रूम
13. स्टाफ, डाक्टर, कम्पाउण्डर आदि के लिए रेस्ट रूम
14. रोड साइड बिजली कार्य (दो कार्य)
15. अन्य बिजली कार्य
16. सोलर सिस्टम (डीपीआर एवं कार्यों हेतु)
17. गोर बैस प्लांट (आपरेशन आउटसोर्स)
18. एम्बुलेंस 2 नम्बर्स (आपरेशन आउटसोर्स) विद जीपीएस सिस्टम ।

उपरोक्त कार्यों हेतु 960 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं । एक अन्य आदेश तारीख 1 अक्तूबर, 2012 के द्वारा गौ पुनर्वास केन्द्र,

हिंगौनिया में केन्द्र का कार्य व्यवस्थित रूप से संचालित किए जाने की दृष्टि से केन्द्र की खाली भूमि पर रिजका, हरी घास, बाजरा व अन्य गायों के खाने योग्य चारे की फसल उगाई जाने हेतु संविदा/नीलामी आधार पर दिए जाने की स्वीकृति दी गई है । साथ ही न्यायालय के आदेश की भावना को ध्यान में रखते हुए गौ पुनर्वास केन्द्र हिंगौनिया एवं राज्य की अन्य गौशालाओं को स्वावलम्बी बनाए जाने की दृष्टि से मॉडल विकसित करने हेतु एक समिति बनाई गई, जिसे निर्देश दिया गया कि वह न्यायालय द्वारा नियुक्त किए गए कमिश्नर श्री सज्जन राज सुराना, श्री पूनमचन्द भण्डारी से परामर्श करेगी एवं आवश्यकतानुसार बैठक में आमंत्रित करेगी । यह भी निर्देश दिया गया कि उक्त समिति प्रदेश में संचालित अन्य गौशालाओं के लिए बनाई गई सोसाइटी/ट्रस्ट के विधान व प्रक्रिया का अध्ययन कर, एक माह में अपनी रिपोर्ट मय प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी । निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश तारीख 1 अक्तूबर, 2012 के अन्तर्गत अनुबंधकर्ता मैसर्स कल्पतरु होस्पिटेलिटी एंड फेसिलिटी सर्विसेज मुम्बई द्वारा श्रमिकों को बकाया भुगतान नहीं किए जाने से उनकी धरोहर राशि को जब्त कर 10 लाख रुपए के भुगतान हेतु समिति गठित कर कार्य में आ रही बाधा को दूर किया गया । इन समस्त आदेशों को रिकार्ड पर लिया जाता है, जिन्हें पत्रावली में संलग्न रखा जाए ।

प्रार्थी के अधिवक्तागण सर्वश्री सज्जन राज सुराना एवं पूनमचन्द भण्डारी का कथन है कि विद्युत कनेक्शन जो आपरेशन थियेटर व अन्य जगह होने हैं वह अभी तक नहीं किए गए हैं, न ही उसका नक्शा तैयार किया गया है । उनका कथन है कि गायों व बछड़ों की संख्या जो इस याचिका को प्रस्तुत करते समय लगभग 3,000 थी वह अब बढ़कर 4,500 हो गई है । इसलिए सुचारु रूप से कार्य हेतु श्रमिकों की संख्या बढाए जाने का निर्देश दिया जाए ।

नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हैं, जिन्होंने कथन किया कि वे व्यक्तिगत रुचि लेते हुए अपनी देखरेख में इस न्यायालय के आदेश एवं राज्य सरकार द्वारा पारित आदेशों की क्रियान्वित कराएंगे । उन्होंने कथन किया है कि न्यायालय के आदेश व भावना को ध्यान में रखते हुए उन्हें इन आदेशों की क्रियान्विति के लिए कम

से कम छह माह का समय प्रदान किया जाए । किन्तु वे विद्युत कनेक्शन तीस दिवस की अवधि में करवा देंगे और तीस दिवस की अवधि में आपरेशन थियेटर वेटनरी विभाग को संभला देंगे और उसके तुरन्त पश्चात् आपरेशन थियेटर चालू करा देंगे ।

इस प्रकरण को तारीख 30 अक्तूबर, 2012 को सूचीबद्ध किया जाए । आगामी तारीख को पालना रिपोर्ट गौशाला कमिश्नर व्यक्तिशः उपस्थित होकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे एवं आगामी तारीख को अन्य अधिकारीगण को न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है ।"

36. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 23 नवम्बर, 2012 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :—

"यह प्रकरण आज पूर्व की आदेशिका के क्रम में सूचीबद्ध हुआ है । प्रार्थी की ओर से ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना एवं अधिवक्ता श्री पूनमचन्द भण्डारी ने मुख्य रूप से यह कथन किया है कि गौशाला में विद्युत एवं श्रमिकों की समस्या है । साथ ही उन्होंने यह भी जाहिर किया है कि सचिव, स्वायत्त शासन विभाग ने इस न्यायालय के समक्ष यह कथन किया था कि 9,60,00,000/- रुपए राज्य सरकार ने गौशाला हेतु जारी किए हैं किन्तु अभी तक स्वायत्त शासन विभाग ने उक्त राशि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को स्थानांतरित नहीं की है । यदि यह राशि स्थानांतरित हो जाए तो वहां पर श्रमिकों व चारे की समस्या समाप्त हो सकती है । श्रीमती नयना सर्राफ एवं श्री सुशील शर्मा ने कथन किया कि वे विद्युत की समस्या को दूर कराने के संबंध में विद्युत विभाग के अधिकारी श्री कंजीलाल मीना से संपर्क कर समस्या को दूर कराएंगे । विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा का कथन है कि वे संबंधित स्वायत्त शासन विभाग से संपर्क कर 15 दिवस में राशि स्थानांतरित कराने का प्रयास करेंगे ।

विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता के इस कथन को ध्यान में रखते हुए इस प्रकरण को तारीख 14 दिसम्बर, 2012 को सूचीबद्ध किया जाए । यदि संबंधित अधिकारीगण सुचारु रूप से कार्य करने में असमर्थ रहते हैं तो श्री कुंजीलाल मीना एवं श्री ताराचन्द मीना

आगामी तारीख को व्यक्तिशः न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर न्यायालय को यह अवगत कराएंगे कि वे क्योंकि ऐसा करने में असमर्थ हैं । आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री लोकेश शर्मा की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रार्थनापत्र का जवाब भी आगामी तारीख को प्रस्तुत किए जाने का कथन किया गया है ।

तारीख 14 दिसम्बर, 2012 को विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा को निर्देश दिया गया कि वे आगामी तारीख को संबंधित पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को मय केस डायरी के न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखें एवं संबंधित भारसाधक अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे हिंगौनिया गौशाला से गायों की चोरी के संबंध में अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे एवं वे यह भी रिपोर्ट करे कि गौशाला में 24 घंटे बिजली आती है या नहीं ।"

37. प्रकरण को तारीख 19 दिसम्बर, 2012 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

38. इस मामले में तारीख 21 दिसम्बर, 2012 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह प्रकरण तारीख 14 दिसम्बर, 2012 को सूचीबद्ध हुआ था । तत्समय मामले में तारीख 19 दिसम्बर, 2012 को तारीख नियत की गई थी एवं तारीख 19 दिसम्बर, 2012 को पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को व्यक्तिशः उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए थे । पूर्व तारीख को विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा को भी निर्देश दिए गए थे कि वे आगामी तारीख को संबंधित अधिकारियों को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखें ।

आज नगर निगम जयपुर के मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव, अधिकारीगण श्री अशोक सिंह एवं अशोक स्वामी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री यू. एम. सहाय व पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं ।

नगर निगम जयपुर के मुख्य अधिशासी अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव से न्यायालय ने यह प्रश्न पूछा कि क्या उनके द्वारा हिंगौनिया गौशाला में गायों के लिए चारा उगाने, गायों को उठाने के लिए वाहन, उपलब्ध कराने एवं गायों की देखरेख के लिए उपयुक्त

मैनपावर लगाने की व्यवस्थाएं कर दी गई हैं तो श्री यादव ने कथन किया कि मैनपावर लगाने के अलावा सभी कार्यों की पत्रावलियां उनके द्वारा पास कर दी गई हैं एवं जहां तक मैनपावर का संबंध है 25 गायों पर एक व्यक्ति की आवश्यकता होना आकलित करते हुए एक सप्ताह की अवधि में 50 व्यक्ति बढ़ा देंगे । विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारी को आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रखेंगे, गायों को उठाने के लिए वाहनों की संख्या बढ़ाकर छह कर देंगे ।

पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वे रोजनामचा में अपनी रवानगी एवं आमद की रपट डालकर प्रतिदिन गौशाला में दो बार, एक बार दिन में एवं एक बार रात्रि में, जाकर व्यवस्था देखेंगे ताकि वहां कोई आपराधिक गतिविधियां नहीं हो सकें ।

सर्वश्री सज्जन राज सुराना, पूनमचन्द भण्डारी एवं ललित शर्मा ने इस न्यायालय को ध्यान में इस तथ्य की ओर आकर्षित कराया कि गौशाला में से दूध देने वाली गायों को ले जाया जा रहा है एवं उनके बदले बिना दूध देने वाली गायों को शिफ्ट कर दिया जाता है । पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे गौशाला आयुक्त से सम्पर्क कर पूरी देखरेख करेंगे ।

श्री रमेशचन्द शर्मा, कार्यवाहक, अधिशासी अभियन्ता ने कथन किया कि वे तारीख 31 जनवरी, 2013 तक एलईडी लाइट्स लगवा देंगे । उन्होंने कथन किया कि दो हाई मास्क लाइट्स लगाई जा चुकी हैं एवं 16 एलईडी लाइट्स बाड़ों में लगाई जानी है । उन्होंने यह भी कथन किया कि वेटरनरी अस्पताल में केबल बिछा दी गई है, वहां डाक्टर्स मशीन लगाएं तो कनेक्शन मिल जाएगा एवं विद्युत से संबंधित शेष रहा कार्य वे तारीख 31 जनवरी, 2013 तक पूर्ण करवा देंगे ।

इसी बीच सर्वश्री सज्जन राज सुराना, पूनमचन्द भण्डारी एवं ललित शर्मा ने इस न्यायालय के समक्ष एक अन्य प्रार्थना की कि नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में शेरों को रखा गया है जिनमें से देखरेख के अभाव में दो शेरों की मृत्यु हो गई है । उनका कथन है कि शेरों से वातावरण तथा प्रकृति के संतुलन में मदद मिलती है । उनकी प्रार्थना

है कि आज न्यायालय के समक्ष उपस्थित प्रधान मुख्य वन संरक्षक को इस बारे में भी समुचित निर्देश दिए जाएं । श्री यू. एम. सहाय को निर्देश दिया जाता है कि वे आगामी तारीख को इस न्यायालय को सूचित करें कि नाहरगढ़ रेस्क्यू सेंटर में कुल कितने शेर हैं, उनके क्या-क्या नाम हैं, उनकी क्या उम्र है एवं उनका केयर टेकर कौन है ।

इस न्यायालय द्वारा तारीख 14 दिसम्बर, 2012 को पारित आदेश में जवाब पेश करने हेतु दी गई तारीख टंकण की त्रुटिवश तारीख 14 जनवरी, 2013 हो गई थी, जिसे तारीख 15 जनवरी, 2013 पढ़ा जाए ।

इस प्रकरण को तारीख 15 जनवरी, 2013 को सूचीबद्ध किया जाए । उक्त दिवस को आज उपस्थित अधिकारी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है । यदि न्यायालय उनकी आवश्यकता महसूस करेगी तो श्रीमती नयना सर्राफ को इस हेतु सूचित कर दिया जाएगा ।"

39. तारीख 15 जनवरी, 2013 को प्रकरण को तारीख 29 जनवरी, 2013 को सूचीबद्ध किए जाने का निर्देश दिया गया ।

40. तारीख 29 जनवरी, 2013 को श्री रामावतार सिंह, अधिशासी अभियन्ता (डीडी-1) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने इस न्यायालय के समक्ष अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गौशाला की बिलिंग कोड 2520 के अनुसार करेगी, जिसके अनुसार टैरिफ चार्ज घरेलू से 50 प्रतिशत है । इस पर विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना, विद्वान् अधिवक्तागण सर्वश्री विजय सिंह पूनिया, ललित शर्मा, सुधीर तिवारी एवं राकेश चन्देल ने कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला को निःशुल्क विद्युत दी जानी चाहिए । इस पर विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र लोढ़ा ने कथन किया कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड हिंगौनिया गौशाला को निःशुल्क उपलब्ध करा देगी । किन्तु इस हेतु उन्हें इस संबंध में विधिवत प्रक्रिया किए जाने हेतु उचित समय दिया जाए । इस हेतु उन्हें उचित समय दिया गया ।

श्री अशोक स्वामी आयुक्त गौशाला ने प्रार्थना की कि उन्हें हिंगौनिया गौशाला में नियुक्त करने हेतु कर्मचारियों की सूची प्राप्त हुई है जिन्हें वे तीन दिन की अवधि में गौशाला में लगा देंगे । विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री

सज्जन राज सुराना ने न्यायालय से प्रार्थना की कि रामसिंहपुरा में हिंगौनिया गौशाला से लगती हुई 200 बीघा गोचर भूमि रिक्त है जिससे अतिक्रमण को मुक्त कराया जाए एवं भूमि गौशाला को सुपुर्द की जाए । इस पर विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री सुशील शर्मा ने प्रार्थना की कि तारीख 15 फरवरी, 2013 के बाद वे भू-प्रबंध आयुक्त श्री एम. जी. मीना एवं एस. डी. ओ. बस्सी को बुलाकर भूमि की नाप करवाएंगे एवं आवश्यक कार्यवाही विधि अनुसार कराएंगे । यदि भूमि पर कोई अतिक्रमण हुआ तो वे उसे हटाने की कार्यवाही कराएंगे । श्री अशोक स्वामी ने कथन किया कि वर्ष 2013-2014 में एम्बुलेंस खरीद हेतु बजट पारित किया जाता है तो वे उसे लेप्स नहीं होने देंगे । श्री सुधीर कुमार तिवारी ने कथन किया कि वे डी. जी. जेल श्री ओमेन्द्र भारद्वाज को सलाह देंगे कि वे कैदियों से हिंगौनिया गौशाला में कार्य कराएं । प्रकरण को तारीख, 20 फरवरी, 2013 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

तारीख 22 मार्च, 2013 को श्री जगरूप सिंह यादव, सी. ई. ओ. नगर निगम जयपुर, श्री एम. एल. गुप्ता, वित्तीय सलाहकार, नगर निगम, जयपुर, श्री अशोक स्वामी गौशाला आयुक्त एवं डा. ए. आर. नियाजी, जेल अधीक्षक न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए । उक्त सभी ने श्री सुराना ज्येष्ठ अधिवक्ता, श्री पूनमचन्द भण्डारी, श्रीमती नयना सर्राफ एवं श्री सुशील शर्मा व श्री लोकेश शर्मा के साथ हिंगौनिया गौशाला में मौके पर जाकर समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया । प्रकरण को तारीख 10 अप्रैल, 2013 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

41. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 6 मई, 2013 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना ने इस न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय के आदेशानुसार कमिश्नर रिपोर्ट तारीख 3 मई, 2013 इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे इस पत्रावली के साथ संलग्न रखा जाए । इस रिपोर्ट की प्रतिलिपि संबंधित अधिवक्तागण को दिलाई गई । यह न्यायालय उनसे यह अपेक्षा करता है कि इस कमिश्नर रिपोर्ट के हर बिन्दु का जवाब वे आगामी तारीख तक पेश करेंगे । आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष सी. ई. ओ. नगर निगम, जयपुर, निदेशक एनीमल हसबेण्डरी, एस. डी. ओ. बस्सी, थानाधिकारी कानोता एवं थानाधिकारी माणक चौक

व्यक्तिशः उपस्थित रहें । श्री भगवान सहाय व अन्य की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का जवाब भी आगामी तारीख तक प्रस्तुत किया जाए । इस प्रकरण को तारीख 14 मई, 2013 को सूचीबद्ध किया जाए ।"

42. तारीख 14 मई, 2013 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने प्रार्थना की है कि कमिश्नर रिपोर्ट तारीख 3 मई, 2013 का जवाब प्रस्तुत करने हेतु उन्हें और समय दिया जाए । विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना ने न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट में कुछ तथ्य मुख्य रूप से उद्धरित किए हैं, जो काफी संवेदनशील हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूर्व में सहमति के आधार पर पारित आदेशों की अभी पूर्ण रूप से क्रियान्विति नहीं हो पाई है विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया कि वे तथा उनके अधिकारीगण इस न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर पूर्व में पारित किए गए आदेशों की क्रियान्विति के लिए पूर्ण रूप से तत्पर हैं । वे इसके लिए एवं कमिश्नर रिपोर्ट का जवाब देने हेतु तीन सप्ताह का समय चाहते हैं । उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें इस हेतु तीन सप्ताह का समय दिया जाता है ।

विद्वान् अधिवक्ता श्री विजय सिंह पूनिया ने कथन किया है कि बारिश का मौसम निकट है श्री टी. सी. वर्मा, जिला वन अधिकारी को पदोन्नत किया जाकर अन्यत्र पदस्थापित किया गया है एवं उनके स्थान पर श्री अक्षय सिंह पदस्थापित हुए हैं, जिन्हें गौशाला में पेड़-पौधे लगाने हेतु तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए जाएं । उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए श्री अक्षय सिंह को इस हेतु निर्देशित किया जाता है । इस आदेश की एक प्रति श्रीमती नयना सर्राफ को दी जाए जिसे वे वन विभाग के संबंधित अधिकारी को प्रेषित करेंगी । आज जो अधिकारी पूर्व आदेशानुसार न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं उन्हें आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है । श्री जगरूप सिंह यादव की आज की हाजिरी माफ की जाती है । उन्हें भी आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है ।

न्यायालय इस पवित्र कार्य को पवित्र तरीके से करना चाहता है,

इसीलिए सहमति के आधार पर पूर्व में आदेश पारित किए गए हैं ताकि ऐसा कोई कारण नहीं हो जिससे गौशाला की प्रगति पर विपरीत प्रभाव पड़े ।

संबंधित पक्षकारान श्री लोकेश शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र का भी जवाब आगामी तारीख तक प्रस्तुत करें । संबंधित एस. डी. ओ ने अतिरिक्त शपथपत्र पेश किया, जिसमें कुछ भूमि खातेदारान की एवं कुछ भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम होना बताया है । इस शपथपत्र की प्रतिलिपि ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री वीरेन्द्र लोढ़ा की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अंकित जैन को उपलब्ध कराई जाए । इस प्रकरण को तारीख 8 जुलाई, 2013 को सूचीबद्ध किया जाए ।"

43. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 22 जुलाई, 2013 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"सभी पक्षकारों ने यह प्रार्थना की है एवं न्यायसंगत भी है कि तारीख 28 जुलाई, 2013 को सर्वश्री सज्जन राज सुराना, पूनमचन्द भण्डारी, वीरेन्द्र लोढ़ा एवं श्रीमती नयना सर्राफ हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण करें । श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया है कि वे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर से भी प्रार्थना कर उन्हें भी साथ ले जाएंगी ताकि मौके पर ही छोटी-छोटी समस्याओं का निराकरण कराया जा सके ।

इस प्रकरण को तारीख 30 जुलाई, 2013 को 2.00 बजे अपराह्न पर सूचीबद्ध किया जाए ।"

44. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 30 जुलाई, 2013 एवं फिर तारीख 31 जुलाई, 2013 को सूचीबद्ध किया गया । तदुपरांत प्रकरण को तारीख 1 अगस्त, 2013 को सूचीबद्ध किया गया । तारीख 1 अगस्त, 2013 को विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना ने इस न्यायालय के समक्ष कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला के पास 382 बीघा गोचर भूमि रिक्त है, जिसके संबंध में निर्देश दिया जाए कि वह भूमि हमेशा हिंगौनिया गौशाला के उपयोग में ली जाए । इस पर न्यायालय ने यह आदेश दिया कि हिंगौनिया गौशाला के पास स्थित 382 बीघा गोचर भूमि को गोचर भूमि के रूप में रखा जाए एवं केवल हिंगौनिया गौशाला के

उपयोग में लिया जाए । श्रीमती नयना सर्राफ अधिवक्ता ने कथन किया कि वे संबंधित प्राधिकारियों के समक्ष इस आशय का प्रार्थनापत्र पेश करेगी कि हिंगौनिया गौशाला के पास स्थित 382 बीघा गोचर भूमि को गोचर भूमि के रूप में रखा जाए एवं केवल हिंगौनिया गौशाला के उपयोग में लिया जाए । प्रकरण को तारीख 12 अगस्त, 2012 को सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया ।

45. तारीख 12 अगस्त, 2013 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

> "आज वन विभाग की ओर से सर्व श्री यू. एम. सहाय, पी. सी. सी. एफ. एवं वाई. के. डक सी. सी. एफ. उपस्थित हैं, जिन्होंने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उन्होंने हिंगौनिया गौशाला में 10,000 पेड़ लगवा दिए हैं एवं 3,000 पेड़ और लगवाए जाने का कार्य जारी है, जो अगस्त माह के अन्त तक पूर्ण हो जाएगा । पशुपालन विभाग की ओर से उपस्थित श्री सरदार सिंह, संयुक्त निदेशक ने न्यायालय के समक्ष यह कथन किया है कि उन्होंने तकनीकी कर्मचारी व संबंधित वाहन पर चालक लगा दिए हैं ताकि चिकित्सा से संबंधित कार्य को सूचारु रूप से कराया जा सके । जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से उपस्थित श्री शक्ति सिंह उपायुक्त ने न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना की है कि भूमि पर हुए कुछ अतिक्रमण हटा दिए गए हैं एवं शेष रहे अतिक्रमणों को 10-12 दिवस की अवधि में पूर्ण रूप से हटवा दिया जाएगा । जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से उपस्थित श्री एस. पी. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता ने न्यायालय के समक्ष कथन किया है कि उन्होंने हिंगौनिया गौशाला में 160 केवीए की क्षमता का ट्रांसफार्मर लगवा दिया है, जिससे गौशाला में विद्युत से संबंधित कोई परेशानी नहीं हो सके ।
>
> गौशाला आयुक्त श्री अशोक स्वामी ने न्यायालय के समक्ष कथन किया कि कुछ अतिक्रमी गौशाला में आकर दंगे करते हैं, गौशाला की भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं, इसी क्रम में उन्हें विभिन्न प्रकार की धमकियां मिल रही हैं इसलिए उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए । इस हेतु गौशाला आयुक्त यदि पुलिस आयुक्त जयपुर को कोई प्रार्थनापत्र पेश करें तो पुलिस आयुक्त जयपुर को निर्देश दिया जाता है कि वे उन्हें नियमानुसार सुरक्षा प्रदान कराएं एवं हिंगौनिया गौशाला की अचल संपत्ति की भी सुरक्षा की जाए ।

इस प्रकरण को तारीख 27 अगस्त, 2013 को 2.00 बजे अपराह्न पर सूचीबद्ध किया जाए ।

उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की एक-एक निःशुल्क प्रति संबंधित समस्त अधिकारियों को उपलब्ध कराए एवं इस आदेश की एक प्रति विशेष संदेशवाहक के माध्यम से पुलिस आयुक्त जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करे ।"

46. इसके उपरांत प्रकरण को तारीख 23 अगस्त, 2013 को सूचीबद्ध किया गया । उक्त दिवस को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना एवं विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ को दिलाई गई । वे उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब पेश करने हेतु समय चाहते हैं । उन्हें प्रार्थनापत्र के जवाब हेतु समय दिया जाता है ।

इस प्रकरण को नियत तारीख 27 अगस्त, 2013 को 2.00 बजे अपराह्न पर सूचीबद्ध किया जाए ।"

47. इसके उपरांत इस न्यायालय ने प्रकरण में तारीख 7 नवम्बर, 2013 को निम्नलिखित आदेश पारित किया :–

"आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता श्री लोकेश शर्मा, आवेदक की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र संख्या 32373/5.8.2013, 33251/12.8.2013 एवं 46257/4.10.2013 को इस स्टेज पर इस स्वतंत्रता के साथ वापिस लेने की अनुमति चाहते हैं कि वे इन प्रार्थनापत्र में चाहे अनुतोष के संबंध में संबंधित न्यायालय में उपर्युक्त कार्यवाही करेंगे । आवेदक के विद्वान् अधिवक्ता को आवेदक की ओर से प्रस्तुत इन तीनों प्रार्थनापत्रों को वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त वर्णित तीनों प्रार्थनापत्र इस स्टेज पर उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापिस लिए जाने के आधार पर निरस्त किए जाते हैं ।

इस न्यायालय को अधिवक्ता श्री पूनमचन्द भण्डारी ने यह अवगत कराया है कि मृत गायों का अंतिम संस्कार सही रूप में नहीं

किया जा रहा है, इस हेतु गड्ढा भी उपयुक्त साइज का नहीं बनाया जाता है एवं नमक भी नहीं डाला जाता है, जिससे वहां उपलब्ध गायों में संक्रमण फैल रहा है साथ ही संक्रमण के भय से दानदाता भी आना कम हो गए हैं । उन्होंने प्रार्थना की है कि इस हेतु प्रभावी आदेश पारित किया जाए ताकि संक्रमण को रोका जा सके । इस पर नगर निगम की अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया है कि वे तारीख 10 नवम्बर, 2013 को सभी संबंधित अधिवक्तागण को हिंगौनिया गौशाला लेकर जाएंगी एवं तत्पश्चात् वस्तुस्थिति से आगामी तारीख को न्यायालय को अवगत कराएंगी ।

इस न्यायालय ने पूर्व में राज्य के महाधिवक्ता श्री जी. एस. बापना को यह सुझाव दिया था कि हिंगौनिया गौशाला के पास ओपन जेल खोल दी जाए ताकि वहां रहने वाली बन्दी गायों की सेवा कर अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान कर सकें एवं गौशाला का काम भी सुचारु रूप से चल सके । इस हेतु आज महाधिवक्ता श्री जी. एस. बापना ने यह कथन किया है कि राज्य सरकार ने इस मामले में जो कदम उठाए हैं एवं जो प्रगति अब तक हुई है उस हेतु वे राज्य के मुख्य सचिव एवं संबंधित विभाग के प्रमुख शासन सचिव से जानकारी कर आगामी तारीख को न्यायालय को अवगत करा देंगे ।

सभी पक्षकारों की सहमति से इस प्रकरण को तारीख 12 नवम्बर, 2013 को 2.00 बजे अपराह्न पर सूचीबद्ध किया जाए ।"

48. तारीख 12 नवम्बर, 2013 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह प्रकरण पूर्व में पारित आदेश तारीख 7 नवम्बर, 2013 के अनुक्रम में आज सूचीबद्ध हुआ है । नगर निगम के विद्वान् अधिवक्ता श्रीमती नयना सर्राफ ने कथन किया है कि वे वस्तुस्थिति की जानकारी नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से ही दिलवाएंगी, इसलिए न्यायहित में उन्हें बुलाया जाए । न्यायहित में उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे कल तारीख 13 नवम्बर, 2013 को प्रातः 10.30 बजे नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रखें । इस प्रकरण को कल तारीख 13 नवम्बर, 2013 को प्रातः 10.30 बजे प्रथम वाद के रूप में सूचीबद्ध किया जाए ।"

तारीख 13 नवम्बर, 2013 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"यह प्रकरण पूर्व में पारित आदेश तारीख 12 नवम्बर, 2013 के अनुक्रम में आज सूचीबद्ध हुआ है । नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव एवं गौशाला आयुक्त श्री एम. पी. स्वामी उपस्थित हैं । उनके द्वारा इस न्यायालय के प्रश्नों का जवाब बिन्दुवाद निम्नलिखित दिया है –

1. गायों को दफनाए जाने के बारे में उन्होंने कथन किया कि गायों को उपयुक्त प्रकार से दफनाया जाएगा, गोचर भूमि में नहीं दफनाया जाएगा ताकि गायों में संक्रमण नहीं फैले ।

2. गायों की खाद्य सामग्री चारा/बाटा इत्यादि के बारे में उनका कथन है कि गायों की खाद्य सामग्री चारा/बाटा की उपलब्धता में आगे चूक नहीं होगी और ठेकेदार को इस हेतु पाबन्द किया जाएगा ।

3. उन्होंने कथन किया कि गोचर भूमि के डिमार्केशन के लिए वे 2-3 दिवस की अवधि में आवेदन करेंगे एवं डिमार्केशन के उपरांत उस पर चारदीवारी बनवाकर भूमि को सुरक्षित करेंगे ।

4. बिजली व अन्य सुविधाओं के लिए सरकार से मिली दस करोड़ रुपए की राशि के संबंध में उनका कथन है कि बिजली के कार्य व अन्य कार्यों के लिए कार्यादेश (वर्क आर्डर) जारी कर दिए गए हैं एवं प्रगति की रिपोर्ट वे आगामी तारीख पेशी पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

आगामी तारीख को नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जगरूप सिंह यादव को न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं है । गायों को दफनाए जाने की समस्या के उपयुक्त निदान के लिए यदि नगर निगम कॉरकस प्लांट की स्थापना किया जाना उपयुक्त समझे तो अपने विवेक अनुसार ऐसा प्लांट स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है । प्रकरण को तारीख 20 दिसम्बर, 2013 को सूचीबद्ध किया जाए ।"

इसके उपरांत प्रकरण में तारीख 28 जनवरी, 2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"विद्वान् अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कथन किया कि उनके पास पत्रावली अभी आई है, वे इसे देखना चाहते हैं । साथ ही हिंगौनिया गौशाला का निरीक्षण करना चाहते हैं । ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री सज्जन राज सुराना के साथ वहां जाकर न्यायालय को वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे ।

इस प्रकरण एवं संलग्न प्रकरण को तारीख 10 फरवरी, 2014 को सूचीबद्ध किया जाए ।"

49. तारीख 10 फरवरी, 2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

*"On being called by this court, Mr. N. M. Lodha, Advocate General puts in appearance on behalf of the State. He has requested to this court that he will visit 'Hingonia Goushala' personally because it is a religious work, and he ensures that he would try his level best to solve the problems in accordance with law.

Dr. Lal Singh, present today, is directed to file a detailed affidavit explaining as to how 400 cattles have been died.

On being called the C.E.O., Municipal Council, Jaipur, Ms. Saini Saraf, counsel appearing on behalf of Municipal Council informs that new C.E.O. Of Municipal Council, Jaipur Mr. Lal Chand Aswal, has joined/took charge today, therefore, he could not attend the court. She undertakes that on the next date, he will remain present in the court.

---

*हिन्दी में यह इस प्रकार है :–

"इस न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर, श्री एन. एम. लोढ़ा, अधिवक्ता ने राज्य की ओर से उपस्थित होकर सामान्य बातें प्रस्तुत की हैं । उसने इस न्यायालय से अनुरोध किया है कि वह हिंगौनिया गौशाला को व्यक्तिगत रूप से जाकर देखेगा क्योंकि वह एक धार्मिक कार्य है और वह यह सुनिश्चित करता है कि वह विधि के अनुसार समस्या के समाधान के लिए अपने स्तर पर उत्तम प्रयत्न करेगा ।

डा. लाल सिंह को आज 400 मवेशियों की मृत्यु के संबंध में स्पष्टीकरण करने के लिए एक विस्तृत शपथपत्र फाइल करने का निर्देश पारित किया है ।

सी. ई. ओ., नगर निगम, जयपुर के बुलाने पर श्रीमती साहनी सर्राफ, काउंसेल ने नगर परिषद् की ओर से पेश होकर यह सूचित किया है कि आज नगर निगम परिषद्, जयपुर के नए सी. ई. ओ. श्री लाल चन्द असवाल ने कार्यभार संभाल लिया है इसलिए, वह न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकती है । वह यह वचन करती है कि आगामी तारीख पर, वह न्यायालय उपस्थित रहेंगे ।

List this case on 28.2.2014 along with S.B. Civil Writ Pet. No. 19815/2013 as it has not been listed today inspite of order by the coordinate bench of this case. Same be shown in cause list as well.

On that date, Mr. Lal Chand Aswal, C.E.O., Municipal Council, Jaipur will remain present, and Dr. Lal Singh, will file the affidavit as indicated above."

50. इस मामले में तारीख 28 फरवरी, 2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"श्री लाल चन्द असवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हैं, जिन्होंने कथन किया है कि उन्होंने इस पद पर कुछ समय पूर्व ही ज्वाईन किया है इसलिए उन्हें इस मामले में कुछ समय दिया जाए । उन्होंने विश्वास दिलाया है कि वे समस्त कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे । उन्होंने कथन किया कि हिंगौनिया गौशाला में बछड़े बहुत अधिक मात्रा में हो गए हैं, जिन्हें कृषि उपयोग हेतु काश्तकारों को नीलाम किए जाने की स्वीकृति दी जा सकती है ताकि वे केवल कृषि कार्य हेतु अपने विवेक पर बछड़ों को नीलाम कर सकें । उनकी यह प्रार्थना न्यायसंगत है । चूंकि श्री असवाल को वर्तमान पद पर ज्वाईन किए हुए कम ही समय हुआ है, जिससे उन्हें उपयुक्त समय दिया जाना चाहिए । वे हिंगौनिया गौशाला में जो बछड़े हैं उन्हें केवल कृषि कार्य हेतु काश्तकारों को अपने विवेक पर नीलाम किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

आर्थिक स्वीकृति के संबंध में वित्त विभाग को आदेश तारीख 22 फरवरी, 2012 व 6 मार्च, 2012 के तहत निर्देश दिए गए हैं, इसलिए इस सबंध में पुनः आदेश दिए जाने की आवश्यकता नहीं है । आदेश के अनुक्रम में कोई बजट राजस्थान सरकार के वित्त विभाग से मांगा जाए तो गौशाला की उपयोगिता को समझते हुए तुरन्त स्वीकृति जारी

तारीख 28 फरवरी, 2014 को इस मामले के साथ एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19815/2013 को सूचबीद्ध किया है क्योंकि आज इसे इस मामले की सहयोगी खंडपीठ द्वारा आदेश के बावजूद सूचीबद्ध नहीं किया गया है ।

उस तारीख को श्री लाल चन्द असवाल, सी. ई. ओ., नगर परिषद्, जयपुर उपस्थित रहेंगे और डा. लाल सिंह ने जैसा कि ऊपर उल्लिखित किया गया शपथपत्र फाइल करेंगे ।"

करेंगे । श्री असवाल कमिश्नर श्री सज्जन राज सुराना को दूरभाष पर समय-समय पर प्रगति की सूचना देते रहेंगे । पशुपालन विभाग के निदेशक को निर्देश दिया जाता है कि हिंगौनिया गौशाला में चिकित्सक व पैरा-मेडिकल स्टाफ की समुचित व्यवस्था करें । वे अपनी देखरेख में ऐसी व्यवस्था कराकर आगामी तारीख पेशी को न्यायालय को सूचित करें कि चिकित्सा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं रहे ।

उप निबंधक (न्यायिक) को निर्देश दिया जाता है कि इस आदेश की एक निःशुल्क प्रति श्री सज्जन राज सुराना अधिवक्ता को, श्रीमती नयना सर्राफ अधिवक्ता को एवं आज उपस्थित समस्त अधिकारीगण को उपलब्ध कराए ।

इस प्रकरण एवं संलग्न प्रकरण को तारीख 30 अप्रैल, 2014 को 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए ।"

51. तारीख 30 अप्रैल, 2014 को प्रकरण को तारीख 9 मई, 2014 को एवं तारीख 9 मई, 2014 को प्रकरण को तारीख 20 मई, 2014 को लगाए जाने का आदेश दिया गया । तारीख 20 मई, 2014 को उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की प्रार्थना पर इस प्रकरण एवं संलग्न प्रकरण को तारीख 22 मई, 2014 को प्रथम केस के रूप में सूचीबद्ध किए जाने का आदेश दिया गया । तारीख 22 मई, 2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

*"This petition has been listed today for further orders.

Mr. Lodha, Advocate General is present in person along with Mr. Ashok Swami, Goshala Commissioner.

It has been stated by the Advocate General that out of 36 files/cases which are pending, 19 cases/files have been decided and work order has been placed, and in rest of the files, process is undergoing. It is also stated that so far as construction

*हिन्दी में यह इस प्रकार है :–

"इस याचिका को अगले आदेश के लिए आज सूचीबद्ध किया गया है ।

श्री लोढा, महाधिवक्ता श्री अशोक स्वामी, गौशाला कमिश्नर के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए हैं ।

महाधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि 36 फाइलों/मामलों में से जो लंबित हैं, 19 मामलों/फाइलों का विनिश्चय किया गया है और कार्य-आदेश क्रम में रखा गया है और बाकी फाइलों में, प्रक्रिया चल रही है । यह भी कथन

of open jail is concerned, a plan has been submitted and necessary sanction has been issued and very soon, work will be started. So far as other works in the Hingonia Goshala with regard to measurement of land, electric connection from kanota side etc. are concerned, they will watch over it.

At this juncture, looking to the facts & circumstances of the case, it will be appropriate to issue direction to the Advocate General not to transfer Mr. Ashok Swami, Hingonia Commissioner without taking prior order/sanction from this court.

Ordered accordingly.

Mr. Lokesh Sharma, counsel for the applicant is directed to supply copy of his writ petition to the opposite parties.

List this case on 30.7.2014."

52. तारीख 30 जुलाई, 2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित आयुक्त, गौशाला श्री अशोक स्वामी ने कथन किया है कि इस न्यायालय के आदेशानुसार 382 बीघा अतिरिक्त भूमि की चारदीवारी में विकास कार्य किए गए है, जिसमें खुली जेल की चारदीवारी का निर्माण कार्य कराया गया है, गायों के लिए शेड का निर्माण कराया गया है, विद्युत सप्लाई एवं पानी की सप्लाई की व्यवस्था कराई गई है ।

किया गया है कि जहां तक खुली जेल के निर्माण का संबंध है, एक प्लान प्रस्तुत किया गया है और आवश्यक मंजूरी जारी की गई है और जल्दी ही, कार्य शुरू हो जाएगा । जहां तक हिंगौनिया गौशाला के संबंध में भूमि की माप, कानोता की तरफ से विद्युत कनेक्शन इत्यादि का संबंध है, वे इसको देखेंगे ।

इस समय पर, मामले में तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इसमें इस न्यायालय से पूर्व आदेश/मंजूरी लेने के बिना श्री अशोक स्वामी, हिंगौनिया आयुक्त का स्थानांतरण न करने के लिए महाधिवक्ता को निर्देश जारी करने के लिए समुचित होगा ।

तद्नुसार आदेश पारित किया ।

श्री लोकेश शर्मा, आवेदक के काउंसेल ने विपरीत पक्षकारों के लिए अपनी रिट याचिका की प्रति प्रदाय करने का निर्देश दिया है ।

यह मामला तारीख 30 जुलाई, 2014 को सूचीबद्ध किया है ।"

उनके इस कथन की पुष्टि हेतु इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री श्याम सिंह को निर्देश दिया जाता है कि वे पुलिस थाना कानोता के भारसाधक अधिकारी को सूचना देने के उपरांत उनके साथ तारीख 11 अगस्त, 2014 को हिंगौनिया गौशाला का दौरा करेंगे तथा गौशाला आयुक्त के द्वारा किए गए कथनों का सत्यापन करते हुए आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । साथ ही हिंगौनिया गौशाला के उद्धार व सुचारु रूप से संचालन के संबंध में अपने सुझाव भी देंगे । इस प्रकरण को संलग्न प्रकरण के साथ चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाए ।"

53. प्रकरण में तारीख 1 सितम्बर, 2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री श्याम सिंह ने न्यायालय के समक्ष स्टेटस रिपोर्ट पेश की ।

नगर निगम के उपस्थित अधिकारीगण से न्यायालय ने यह प्रश्न किया कि इस न्यायालय को विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से यह ज्ञात हुआ है कि हिंगौनिया गौशाला में कराए जा रहे सिविल कार्य को किसी कारणवश रोक दिया गया है और वहां से सामान भी उठा लिया गया है तो नगर निगम के उपस्थित अधिकारीगण ने कथन किया कि उन्हें उपयुक्त जवाब देने के लिए एक दिवस का समय प्रदान किया जाए । उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है । प्रकरण को तारीख 3 सितम्बर, 2014 को सूचीबद्ध किया जाए । इसके साथ संलग्न रिट याचिका संख्या 19815/2013 को तारीख 27 अक्तूबर, 2014 को सूचीबद्ध किया जाए ।"

54. इसके उपरांत प्रकरण में तारीख 3 सितम्बर, 2014 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

नगर निगम जयपुर की ओर से इस न्यायालय के समक्ष पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जो निम्नानुसार है –

क. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा नियुक्त कोर्ट कमिश्नर द्वारा भेजी गई रिपोर्ट तारीख 9 जनवरी, 2014 के क्रम में मांगी गई बिन्दुवार रिपोर्ट की पूर्व में की गई रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है ।

ख. तारीख 22 मई, 2014 को माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अन्तर्गत निम्न कार्य कराए गए –

1. 7 बाडों में शेड का कार्यादेश जारी होने पर कार्य प्रारंभ करवा दिए गए थे । (वर्तमान में उक्त कार्य 60-70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है ।)

2. मीटिंग हाल में शौचालय एवं रंग रोगन कार्य प्रगतिरत है ।

3. अस्पताल के पीछे पौण्ड की दीवार/रिटनिंग वाल एवं सड़क का निर्माण कार्य ।

4. बाडा नं. 9 में शेड निर्माण कार्य करवा दिया गया ।

5. वार्ड नं. 9 खेली, पाइप लाइन मरम्मत कार्य ।

6. सर्जिकल वार्ड (अस्पताल में ए. सी. लगाने का कार्य ।

7. ए. वी. एल. बाडा से मोर्चरी तक सड़क के प्रोटेक्शन का कार्य ।

8. पैथोलोजी लेब का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं मोर्चरी भवन, सर्जिकल वार्ड भवन का निर्माण प्रगतिरत है ।

9. बाडों में 3 स्थानों पर (बाडा नं. 9, 2 और 6) डाक्टर रूम एवं लेबर रूम का निर्माण पूर्ण हो चुका है ।

ग. तारीख 23 जुलाई, 2014 को माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत पालना रिपोर्ट के संबंध में –

1. 382 बीघा भूमि में तारबन्दी का कार्य (आंशिक) कर दिया गया है । पक्की चारदीवारी की पत्रावली स्वीकृति की प्रक्रिया में है । पेयजल हेतु 5 बोरिंगों व 2 स्वीच रूम का निर्माण करवा दिया गया । जिसमें विद्युत कनेक्शन बाकी है ।

2. 382 बीघा भूमि में खुली जेल का निर्माण कार्य के कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं । कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।

3. गायों के शेड निर्माण कार्य – 7 बाडों में शेड का निर्माण कार्य प्रगतिरत है जो 60-70 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं । बाडा नं. 9 में दो शेड का कार्य पूर्ण करा दिया गया है । आगामी 1-1½ माह में शेडों को पूर्ण तैयार कर दिया जाएगा ।

विशेष – तारीख 1 सितम्बर, 2014 को माननीय उच्च न्यायालय ने श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, आयुक्त (गौशाला) महोदय की उपस्थिति में जो कार्य प्रगतिरत है उन्हें जारी रखने तथा अति आवश्यक कार्यों को कराए जाने हेतु सख्त निर्देश प्रदान किए जिसकी अनुपालना में संलग्न सूची अनुसार कार्यवाही की जानी है ।

वर्तमान में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर कार्यरत श्री रामचरन शर्मा ने कथन किया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी की मां का देहांत हो जाने से कल उनके बारहवें की रस्म है एवं वे परसों तक ड्यूटी पर आ जाएंगे एवं सोमवार को न्यायालय के समक्ष संतोषजनक जवाब दे सकेंगे । मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रकरण को मुल्तवी किया जाता है । प्रकरण को तारीख 8 सितम्बर, 2014 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । उस दिन नगर निगम के मुख्य कार्यवाही अधिकारी न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रहें । न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई पालना रिपोर्ट को पत्रावली में संलग्न किया जाए ।

55. तारीख 8 सितम्बर, 2014 को इस न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित आदेश पारित किया गया :–

"इस न्यायालय के समक्ष यह प्रकरण आज सूचीबद्ध हुआ है । इस मामले में मुख्य रूप से यह बात सामने आ रही है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित किए गए आदेशों की पूर्ण रूप से पालना नहीं हुई है । 382 बीघा भूमि जो नगर निगम को दिलाई गई है उसकी चारदीवारी बनाने का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, बिजली तकनीकी खराबी के कारण 24 घंटे नहीं आ रही है । यह भी प्रकट हुआ है कि डाक्टर और पैथोलाजी स्टाफ कार्यरत नहीं है जिनका पदस्थापन था उनका स्थानांतरण कर दिया गया है । इस समय हिंगौनिया गौशाला में लगभग 8500 गायें हैं, जिनके लिए बाडों की और आवश्यकता है ।

इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित गौसेवक श्री राजेश तांबी ने इस न्यायालय के समक्ष समाचारपत्र राजस्थान पत्रिका के तारीख 3 सितम्बर, 2014 के अंक की प्रति प्रस्तुत की है, जिसमें "पीएमओ ने गायों की मौत पर मांगा जवाब" शीर्षक से हिंगौनिया गौशाला में हो रही गायों की मौत के संबंध में पृष्ठ चार पर समाचार प्रकाशित हुआ है ।

यह भी प्रदर्शित किया गया है कि हिंगौनिया गौशाला में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की उपयुक्त रूप से पालना नहीं हो रही है । अन्य कई कमियां भी प्रकट हो रही हैं । इस पर नगर निगम जयपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री ज्ञानाराम चौधरी ने इस न्यायालय को यह विश्वास दिलाया कि वे इसी सप्ताह में संबंधित अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत रूप से हिंगौनिया गौशाला जाएंगे एवं इस न्यायालय के आदेशों की पालना में जो कमियां रही हैं उन्हें पूर्ण कराएंगे । उन्होंने यह भी कथन किया है कि वे 382 बीघा भूमि की चारदीवारी यथाशीघ्र पूर्ण कराएंगे एवं आगामी तारीख को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे । उनका यह भी कथन है कि खुली जेल का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट भी वे न्यायालय के समक्ष आगामी तारीख को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे । प्रकरण को तारीख 15 सितम्बर, 2014 को दोपहर 2.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए । उस दिन नगर निगम के मुख्य कार्यवाही अधिकारी, एनीमल हसबेण्ड्री के निदेशक न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित रहें । इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई राजस्थान पत्रिका के तारीख 3 सितम्बर, 2014 के अंक में पृष्ठ चार पर मुद्रित उपरोक्त वर्णित शीर्षकीय समाचार की प्रति को इस पत्रावली में संलग्न किया जाए ।"

(शेष भाग आगामी अंक में प्रकाशित)

मही./शुक्ला.

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

हरबंश और अन्य

तारीख 15 मार्च, 2017

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – धारा 100 [सपठित हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 31] – द्वितीय अपील – वाद भूमि का त्यजन – त्यजनकर्ताओं का वाद में स्वामित्व और कब्जा नहीं होना – त्यजन अकृत और शून्य होना – यदि अभिलेख पर यह साबित कर दिया जाता है कि त्यक्त भूमि पर त्यजनकर्ता का स्वामित्व और कब्जा नहीं था तो ऐसा त्यजन अकृत और शून्य होगा ।

वर्तमान मामले में, आवश्यक तथ्य ये हैं कि वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के हित-पूर्वाधिकारियों द्वारा इस प्रभाव की घोषणा के लिए वाद फाइल किया गया था कि इसमें के वादी संख्या 1 और 2, वर्ष 1980-81 के लिए जमाबंदी के अनुसार, ग्राम बीतन, एच. बी. 528, उप-तहसील हरोली, जिला ऊना में स्थित खसरा संख्या 1466 में समाविष्ट माप 3 कनाल, 12 मरला भूमि के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थे और वादी संख्या 1 से 4 सह-हिस्सेदारों के रूप में खसरा संख्या 1465 में समाविष्ट माप 1 कनाल 3 मरला भूमि के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थे, जिसे लगभग 20 वर्ष पूर्व वादियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी के पक्ष में ऋण अर्थात् 55/- रुपए का संदाय करने के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रखा गया था और वे बंधकदारों के रूप में कब्जे में प्रविष्ट हुए थे किन्तु, राजस्व कर्मचारियों ने प्रथागत रूप में प्रतिवादियों के नाम राजस्व अभिलेखों में, विल "बवाजा सूद" मुबलिक 55/- रुपए पर अभिधारी के रूप में प्रविष्ट किया था । वादियों के अनुसार, वर्ष 1965 में ज्येष्ठ माह में वादी संख्या 1 और 2 ने उक्त बंधक के बारे में प्रतिभूति रकम संदत्त कर दिया था और अपने पक्ष में भूमि का मोचन करा लिया था और इसके पश्चात्, वे सह-हिस्सेदारों की हैसियत में उसमें वास्तविक भौतिक हिस्सेदारी कब्जे में प्रविष्ट हो गए थे और कभी भी,

अभिधारी के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी के नाम को प्रलक्षित करने वाले राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां गलत, त्रुटिपूर्ण के साथ ही अकृत और शून्य थीं । वादियों का पक्षकथन यह भी था कि हल्का पटवारी ने वाद भूमि से संबंधित नामांतरण संख्या 2257 और 2258 गलत तौर पर प्रविष्ट किया था जो वादियों की जानकारी के बिना किया गया था और इस प्रकार प्रविष्ट नामांतरण, प्रतिवादी सं. 2 और प्रीति के नामों में मिथ्या और कपटपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर हुआ था । वादियों का पक्षकथन यह भी था कि तारीख 6 नवम्बर, 1981 को सहायक कलक्टर, द्वितीय श्रेणी ने वादियों की जानकारी के बिना न केवल प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरणों की मंजूरी दी थी अपितु इनकी मंजूरी, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के कानूनी उपबंधों के साथ ही उसके अधीन विरचित नियमों के विरुद्ध थी । इन्हीं आधारों पर ही वादियों द्वारा इस प्रभाव की घोषणा करने के लिए वाद फाइल की गई थी कि वाद भूमि माप 3 कनाल, 12 मरला भूमि, जिसका सविस्तार वर्णन उपर्युक्त में दिया गया है, वादी संख्या 1 और 2 के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थी और वाद भूमि माप 1 कनाल, 3 मरला भूमि, जिसका सविस्तार वर्णन उपर्युक्त में दिया गया है, सह-हिस्सेदारों के रूप में वादी संख्या 1 से 4 के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थी और प्रतिवादी संख्या 1 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी के पक्ष में प्रतीत होने वाली राजस्व प्रविष्टियां गलत, त्रुटिपूर्ण, अवैध, कपटपूर्ण, अकृत और शून्य हैं और उनका नामांतरण संख्या 2257 और 2258, जिसे सहायक कलक्टर, द्वितीय श्रेणी द्वारा वादियों की जानकारी के बिना उनके पक्ष में तारीख 6 नवम्बर, 1981 को मंजूर किया गया था, वे अवैध, अकृत और शून्य हैं अतएव, उक्त कपटपूर्ण राजस्व प्रविष्टियों और नामांतरणों के आधार पर वाद भूमि पर किसी अधिकार, हक और हित का दावा करने से प्रतिवादियों को अवरुद्ध करने के लिए स्थायी प्रतिषेधात्मक व्यादेश और वाद भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण और विधिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध करते हुए, पारिणामिक अनुतोष मंजूर किया जाए । एक ओर, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पृथक् लिखित कथन फाइल करते हुए, वाद का विरोध किया गया और दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 5 से 9 की ओर से पृथक् लिखित कथन फाइल करते हुए वाद का विरोध किया गया । प्रतिवादी-राज्य द्वारा फाइल लिखित कथन में, राज्य द्वारा यह आधार लिया गया था कि वादी, राजस्व अभिलेख में अभिलिखित प्रविष्टियों के अनुसार, वाद भूमि के कब्जे

में नहीं थे और यह कि सहायक कलक्टर, द्वितीय श्रेणी ने "हिस्सेदार, घटनास्थल पर कब्जे में नहीं पाए गए थे", के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सही ही नामांतरण किया है । दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 और 9 ने अपने लिखित कथन के माध्यम से वाद में वादियों द्वारा किए गए दावे को स्वीकार किया है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने घोषणा के लिए वादियों के वाद में इस प्रभाव की डिक्री की कि वादी संख्या 1 और 2, ग्राम बीतन में स्थित खसरा संख्या 1466 में समाविष्ट वाद भूमि माप 3 कनाल, 12 मरला भूमि के बारे में, सह-हिस्सेदारों के रूप में अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थे और यह कि वादी संख्या 1 से 4 खसरा संख्या 1465 में समाविष्ट भूमि माप 1 कनाल, 3 मरला के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थे और यह कि वाद भूमि पर अभिधारी के रूप में प्रीति और गुरुदास को प्रलक्षित करने वाले राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां और वाद भूमि के बारे में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उक्त प्रविष्टियों के आधार पर नामांतरण संख्या 2257 और 2258 की मंजूरी भी गलत और अवैध थीं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने वाद भूमि पर वादियों के कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादियों को अवरुद्ध करते हुए, स्थायी प्रतिषेधात्मक व्यादेश के लिए डिक्री भी मंजूर कर ली थी । वाद डिक्री करते समय, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सिविल न्यायालय को वादियों द्वारा उद्‌भूत विवाद्यक पर न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नामांतरण संख्या 2257 और 2258 की मंजूरी, वस्तुतः वादियों की जानकारी के बिना और घटनास्थल पर पक्षकारों के कब्जे को सत्यापित किए बिना दी गई थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रीति और गुरुदास वस्तुतः अभिधारी के रूप में वाद भूमि के कब्जे में नहीं थे अपितु वे बंधकदार के रूप में उसके कब्जे में थे और इस प्रकार, वाद भूमि पर अभिधारी के रूप में उनको प्रलक्षित करने वाली राजस्व प्रविष्टियां गलत थीं । उक्त निष्कर्ष निकालते समय, विद्वान् विचारण न्यायालय ने वादी आशु राम (अभि. सा. 1) के कथन को भी नोट किया था जिसने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि वाद भूमि, वस्तुतः, लगभग 30 वर्ष पूर्व 550/- रुपए की रकम में गुरुदास और प्रीति को मौखिक रूप से बंधक में रखी गई थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि राजस्व अभिलेखों के अनुसार, प्रीति और गुरुदास 550/- रुपए के ब्याज के बदले में कभी भी अभिधारी के रूप में अभिलिखित थे किन्तु वादियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य, उक्त उपधारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त था और यह कि प्रतिवादी

संख्या 2 ने भी यह स्वीकार किया था कि वह अभिधारी के रूप में वाद भूमि के कब्जे में कभी भी नहीं रहा अपितु, वह मात्र बंधकदार के रूप में उसके कब्जे में था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि वादियों ने न्यायालय में यह सुस्पष्टतः अभिसाक्ष्य दिया है कि वाद भूमि का वस्तुतः वर्ष 1965 में प्रीति और गुरुदास से मोचन करा लिया गया था और उसके इस कथन का अभि. सा. 2 सुल्ताना राम के कथन से भी समर्थन मिलता है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि गुरुदास राम ने भी शपथ पर यह कथन किया है कि वाद भूमि का वर्ष 1965 में मोचन हो गया था और उसका कब्जा वादियों को सौंप दिया गया था । इन आधारों पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वाद भूमि का वस्तुतः वर्ष 1965 में मोचन हो गया था और वाद भूमि का कब्जा बंधकदार द्वारा उक्त वर्ष में बंधककर्ता को सौंप दिया गया था और तभी से वादी सह-हिस्सेदारों के रूप में वाद भूमि के कब्जे में चले आ रहे हैं और इस प्रकार, इसके प्रतिकूल राजस्व प्रविष्टियां गलत, अकृत और शून्य हैं । विद्वान् अपील न्यायालय ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार निकाले गए निष्कर्षों को कायम रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि वर्ष 1955-56 के लिए जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 यह वर्णित करती है कि इसमें के वादी, हिस्सेदारी कब्जे में सह-हिस्सेदारों के रूप में अभिलिखित थे और ये प्रविष्टियां वर्ष 1965-66 के लिए जमाबंदी प्रदर्श पी-2 तक जारी रही थीं और इसे वर्ष 1970-71 के लिए जमाबंदी प्रदर्श पी-3 में ही सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 गुरुदास और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी कभी भी अभिधारी के रूप में कब्जे में अभिलिखित किए गए थे । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि तारीख 6 नवम्बर, 1981 के नामांतरण संख्या 2257 और 2258, प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 द्वारा वाद भूमि का नामांतरण प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में इस आधार पर कर दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी ने अभिधारी के रूप में वाद भूमि पर अपने कब्जे को त्यजन कर दिया था । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर के साक्ष्यों के अनुसार, यह साबित होता है कि वस्तुतः वाद भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति के पास बंधक रखा गया था और उसका वर्ष 1965 में मोचन करा लिया गया था जब वादियों ने बंधक धन को वापस कर दिया था और प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, वस्तुतः वाद भूमि पर कभी भी अभिधारी के रूप में प्रविष्ट नहीं हुए थे । विद्वान् अपील

न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि प्रीति और गुरुदास के पास राज्य सरकार अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपनी किराएदारी को त्यक्त करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि प्रीति और गुरुदास वस्तुतः कभी भी अभिधारी के रूप में प्रविष्ट नहीं हुए थे । यह भी अभिनिर्धारित किया कि वर्ष 1970-71 के लिए जमाबंदी की प्रतिलिपि, जिसमें प्रीति और गुरुदास को प्रथम बार अभिधारी के रूप में प्रलक्षित किए गए थे, से भी यह प्रलक्षित नहीं होता है कि वे स्वामियों को किसी किराए का संदाय कर रहे थे । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि मात्र इस कारण से कि यह राजस्व अभिलेखों में प्रलक्षित किया गया था कि प्रीति और गुरुदास ब्याज का संदाय कर रहे थे, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे किराए का संदाय कर रहे थे क्योंकि दोनों शब्दों "ब्याज" और "किराए" के बीच अत्यधिक अन्तर है । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि राजस्व अधिकारियों ने नामांतरण प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 को अनुप्रमाणित करते समय अवैधता कारित की है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख मैनुअल के खंड 8.51 में यह परिकल्पित है कि यदि गैर-अधिभोगी अभिधारी, अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 31 के अधीन सरकार के पक्ष में अपनी अभिधृति भूमि का स्वैच्छिक अभ्यर्पण करना चाहता है तो उसे फार्म एल. आर. 1 के प्ररूप में कलक्टर के समक्ष आवेदन करना होगा और आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर अभिधारी का कथन अभिलिखित करेगा और इसके पश्चात्, स्वयं का यह समाधान होने के पश्चात् कि उक्त कृत्य वस्तुतः भूमि का स्वैच्छिक त्यजन है, यह आदेश पारित करेगा कि अभिधारी ने सरकार के पक्ष में अपनी अभिधृति भूमि का स्वैच्छिक तौर पर अभ्यर्पण किया है और इसके पश्चात्, कलक्टर, सरकार के पक्ष में संबंधित तहसीलदार के माध्यम से भूमि का कब्जा लेगा । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि नियम में यह भी परिकल्पित है कि उप-नियम (1) के अधीन कब्जा लेने के पश्चात् भी कलक्टर, अभिधारी के स्थान में त्यक्त अभिधृति पर सरकार के प्रतिस्थापित अधिकारों को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि भी करेगा और राज्य सरकार की ओर से भूमि का कब्जा लेगा । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त खंड के अतिलंघन में नामांतरण प्रविष्ट किए गए हैं । इसलिए, नामांतरण गलत और अवैध हैं । इन आधारों पर, विद्वान् अपील न्यायालय ने राज्य द्वारा फाइल अपील को खारिज करते हुए, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को कायम रखा ।

न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2, नामांतरण हैं जो राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 राज्य के पक्ष में प्रविष्ट किए गए थे, जिनके अनुसार वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरित हुआ था जो प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी द्वारा स्वैच्छिक तौर पर त्यक्त किया गया था । दोनों निचले न्यायालयों द्वारा यह समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए हैं कि अभिलेख पर इस प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति कभी भी वाद भूमि पर अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट हुए थे । तर्कों के दौरान, विद्वान् अपर महाधिवक्ता भी अभिलेख पर किसी ऐसे तर्कपूर्ण साक्ष्य की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षिक नहीं कर सके जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, वस्तुतः वादियों द्वारा या उनके हित-पूर्वाधिकारियों द्वारा वाद भूमि पर कभी भी अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट किए गए थे । जहां तक वर्ष 1970-71 के लिए जमाबंदी में प्रविष्टियों का संबंध है, वे यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, वस्तुतः वाद भूमि पर अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट हुए थे । अभिधृति, जैसा कि यह भूमि स्वामी और अभिधारी के बीच द्विपक्षीय करार हुआ था और अभिधृति के बदले में अभिधारी ने भूमि स्वामी को किराए का संदाय करना था । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वस्तुतः कोई किराया प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति द्वारा वाद भूमि पर किसी भी प्रकार से अभिधारियों के रूप में उनके अभिकथित तौर पर प्रवेश के बदले में वादियों को कोई किराया संदत्त किया गया था । इसी प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई करार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति वाद भूमि पर किसी भी प्रकार से अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट हुए थे । इसके विपरीत, दोनों निचले न्यायालयों ने वादियों के पक्ष में और वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलेख पर के साक्ष्यों के आधार पर यह समवर्ती निष्कर्ष निकाला है कि वस्तुतः वाद भूमि को वर्ष 1965 में प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति से बंधक धन का संदाय करते हुए वादियों द्वारा मोचन करा लिया गया था । यह तथ्य सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है और वादी के साक्ष्यों के कथनों द्वारा सम्पुष्ट हो गया है । अभि. सा. 1 आशा राम ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य

दिया है कि वाद भूमि को लगभग 30 वर्ष पूर्व और वर्ष 1965 में 550/- रुपए के एवज में गुरुदास और प्रीति को बंधक रखा गया था और उक्त भूमि का मोचन करा लिया गया था और उसके कब्जे के लिए वादियों द्वारा पुनः दावा भी किया गया था । इस साक्षी ने न्यायालय में यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि गुरुदास और प्रीति वाद भूमि पर गैर-अधिभोगी अभिधारियों के रूप में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए थे और उक्त व्यक्ति संक्षिप्त अवधि के लिए वाद भूमि के कब्जे में बने रहे जब उसे उनके पास बंधक रखा गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने सुस्पष्टतः इस बात से इनकार किया है कि वह वाद भूमि के कब्जे में नहीं रहा है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि यद्यपि यह सही है कि नामांतरण की प्रविष्टि के समय पर तहसीलदार ने घटनास्थल का दौरा किया था और संबंधित पक्षकारों को बुलाया था, तथापि, वादियों को नामांतरण के अनुप्रमाणन के समय पर कभी भी नहीं बुलाया गया था । सुल्ताना राम जो अभि. सा. 2 के रूप में साक्षी कठघरे में उपस्थित हुआ था, ने भी सुस्पष्टतः यह कथन किया है कि वाद भूमि को 550/- रुपए के एवज में वादियों द्वारा गुरुदास और प्रीति को बंधक रखा गया था और बंधक का मोचन करा लिया गया था और उसके कब्जे के लिए वादियों द्वारा पुनः दावा भी किया गया था । इस साक्षी ने भी सुस्पष्टतः यह कथन किया है कि न तो गुरुदास न ही प्रीति न ही उनके हित उत्तराधिकारी वाद भूमि पर गैर-अधिभोगी अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट हुए थे । उसने यह भी कथन किया कि वह पिछले 44 वर्षों से ग्राम का नम्बरदार था और उनकी प्रथा के अनुसार, बंधक का उपयोग मात्र मौखिक रूप से किया जाता था । अब संयोग से सुझाव जो उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया है और जो उसने सही होना स्वीकार किया है, यह है कि वाद भूमि को बंधक के रूप में प्रीति और गुरुदास के पास रखा गया था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि वाद संपत्ति का कब्जा वादियों के पास नहीं था । उक्त साक्ष्य से यह प्रकट होता है और यह सुस्पष्ट होता है कि नामांतरण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 के माध्यम से प्रविष्ट किए गए थे, गलत तौर पर प्रविष्ट हुए थे क्योंकि जब प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी कभी भी अभिधारियों के रूप में वाद भूमि के कब्जे में नहीं थे तो प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उक्त भूमि का त्यजन करने के लिए उनके पास कोई अवसर नहीं था । इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अभिलेख पर न तो मौखिक अथवा न ही

दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी वाद संपत्ति पर अभिधारियों के रूप में वस्तुतः प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 31 के उपबंधों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वाद भूमि का त्यजन कर दिया था । राज्य के पक्ष में किसी भी साक्षी ने ऐसा कोई अभिसाक्ष्य नहीं दिया है जिससे कि तथाकथित त्यजनकर्ताओं में से उनके पक्षकथन को साबित कर सके । तद्नुसार, यह विधि का सारवान् प्रश्न विनिश्चित किया जाता है । (पैरा 16, 17, 18, 19, 20 और 21)

वर्तमान मामले में, जैसा कि न्यायालय द्वारा पहले ही उपर्युक्त विधि का सारवान् प्रश्न संख्या 1 को विनिश्चित करते समय अभिनिर्धारित किया जा चुका है, दोनों विद्वान् निचले न्यायालयों द्वारा समवर्ती तौर पर अभिनिर्धारित किया गया है और सही तौर पर कि वस्तुतः वाद भूमि को वादियों द्वारा 550/- रुपए के एवज में गुरुदास और प्रीति के पक्ष में बंधक रखा गया था और वर्ष 1965 में बंधक का मोचन करा लिया गया था और वादियों द्वारा बंधकदारों से वाद भूमि का कब्जा भी ले लिया गया था । दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 न तो यह न्यायोचित ठहरा सके अथवा न ही यह सिद्ध कर सके कि किस प्रकार राजस्व अभिलेखों अर्थात् वर्ष 1970-71 के लिए जमाबंदी में भूमि स्वामी और अभिधारी के बीच इस संबंध में कोई करार किए बिना वाद भूमि पर अभिधारियों के रूप में गुरुदास और प्रीति को प्रलक्षित किया गया है और यह सिद्ध करने के लिए कोई करार भी नहीं किया गया है कि अभिधारी किराया संदाय के बदले में इस प्रकार प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने भूमि स्वामियों को कोई किराया संदत्त किया था । इसलिए, मामले में इस मत को ध्यान में रखते हुए, कि जब प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी का न तो अभिधारियों के रूप में अथवा न ही अन्य किसी हैसियत में वाद भूमि पर कोई हित रखते थे तो उस समय जब वाद संपत्ति का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्यजन किया गया था तो यह समझ से परे है कि किस प्रकार वे वाद संपत्ति का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्यजन कर सके थे । यह सुस्थिर विधि है कि कोई व्यक्ति संपत्ति पर अपना हक मात्र तभी खो सकता है जब वह उस पर कब्जा रखता है । वर्तमान मामले में, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति का उस तारीख को वाद भूमि पर कोई हक नहीं था जब इसका प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरण अनुप्रमाणित

हुआ था तो उनके लिए प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वाद संपत्ति का त्यजन करने के लिए कोई अवसर अथवा अधिकार नहीं था । इसके अतिरिक्त, जैसा कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया है एक विहित प्रक्रिया विहित की गई है, जिसका राज्य सरकार के पक्ष में वाद भूमि के अभिधारी त्यजनकर्ताओं के मामले में अनुसरण किया जाना है । वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अन्यथा भी, उस समय पर जब वाद भूमि को राज्य के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी द्वारा अभिकथित तौर पर त्यजन किया गया था, उक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था । चाहे जैसी भी स्थिति हो, मामले का यह तथ्य शेष रह जाता है कि जब गुरुदास और प्रीति, उस समय पर वाद भूमि के अभिधारी नहीं थे जब नामांतरण प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 के माध्यम से अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरण प्रविष्ट हुए थे, वे राज्य के पक्ष में वाद भूमि का त्यजन और प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 के माध्यम से नामांतरण का अनुप्रमाणन नहीं कर सकते थे, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख मैनुअल की धारा 31 के उपबंधों के अधीन वाद भूमि पर राज्य को कोई अधिकार प्रदत्त किया गया था । तद्नुसार, इस सारवान् विधि के प्रश्न को विनिश्चित किया जाता है । (पैरा 23, 24 और 25)

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2000 की नियमित द्वितीय अपील सं. 299.

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100 के अधीन द्वितीय अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री वी. एस. चौहान, अपर महाधिवक्ता के साथ विक्रम ठाकुर, उप-महाधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 2(क) से 2(घ) की ओर से	श्री आर. पी. सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी संख्या 1(क), 1(ख), 3(ख) से 3(ज), 4(क)(i) से 4(क)(फ), 5(ग) से 5(ज), 8, 9, 10, 11 और 12 की ओर से	एकपक्षीय

प्रत्यर्थी सं. 7 की ओर से —

न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल – इस नियमित द्वितीय अपील के माध्यम से अपीलार्थी-राज्य ने विद्वान् अपर जिला न्यायाधीश (ii), कांगड़ा, धर्मशाला कैम्प, ऊना द्वारा सिविल अपील संख्या 134/93, 177/94 में तारीख 9 मार्च, 2000 को पारित निर्णय और डिक्री को चुनौती दी है जिसके द्वारा विद्वान् अपील न्यायालय ने राज्य द्वारा फाइल अपील को खारिज करते हुए, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री के साथ ही विद्वान् उप-न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी (ii), ऊना द्वारा 1980 की सिविल वाद संख्या 17 में पारित निर्णय और डिक्री को कायम रखा था जिसके द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने इसमें के अपीलार्थियों द्वारा फाइल घोषणा के लिए वाद को डिक्री कर दिया था ।

2. इस अपील को निम्नलिखित सारवान् विधि के प्रश्नों पर स्वीकार किया गया था :–

"(1) क्या विद्वान् निचले न्यायालयों ने दस्तावेजी साक्ष्यों, विशिष्टतया डी-1 और डी-2 का गलत निवर्चन और गलत परिशीलन किया है ?

(2) क्या राज्य, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 31 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, स्वामी हो गया है ?"

3. वर्तमान वाद का अधिनिर्णय करने के लिए संक्षिप्त में आवश्यक तथ्य यह है कि वर्तमान प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 के हित-पूर्वाधिकारियों द्वारा इस प्रभाव की घोषणा के लिए वाद फाइल किया गया था कि इसमें के वादी संख्या 1 और 2, वर्ष 1980-81 के लिए जमाबंदी के अनुसार, ग्राम बीतन, एच. बी. 528, उप-तहसील हरोली, जिला ऊना में स्थित खसरा संख्या 1466 में समाविष्ट माप 3 कनाल, 12 मरला भूमि के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थे और वादी संख्या 1 से 4 सह-हिस्सेदारों के रूप में खसरा संख्या 1465 में समाविष्ट माप 1 कनाल 3 मरला भूमि के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थे, जिसे लगभग 20 वर्ष पूर्व वादियों द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी के पक्ष में ऋण अर्थात् 55/- रुपए का संदाय करने के लिए प्रतिभूति के रूप में बंधक रखा गया था और वे बंधकदारों के रूप में कब्जे में प्रविष्ट हुए थे किन्तु, राजस्व कर्मचारियों ने प्रथागत रूप में प्रतिवादियों के नाम राजस्व अभिलेखों

में, विल "बवाजा सूद" मुबलिक 55/- रुपए पर अभिधारी के रूप में प्रविष्ट किया था । वादियों के अनुसार, वर्ष 1965 में जेठ माह में वादी संख्या 1 और 2 ने उक्त बंधक के बारे में प्रतिभूति रकम संदत्त कर दिया था और अपने पक्ष में भूमि का मोचन करा लिया था और इसके पश्चात्, वे सह-हिस्सेदारों की हैसियत में उसमें वास्तविक भौतिक हिस्सेदारी कब्जे में प्रविष्ट हो गए थे और कभी भी, अभिधारी के रूप में प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी के नाम को प्रलक्षित करने वाले राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टियां गलत, त्रुटिपूर्ण के साथ ही अकृत और शून्य थीं । वादियों का पक्षकथन यह भी था कि हल्का पटवारी ने वाद भूमि से संबंधित नामांतरण संख्या 2257 और 2258 गलत तौर पर प्रविष्ट किया था जो वादियों की जानकारी के बिना किया गया था और इस प्रकार प्रविष्ट नामांतरण, प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति के नामों में मिथ्या और कपटपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर हुआ था । वादियों का पक्षकथन यह भी था कि तारीख 6 नवम्बर, 1981 को सहायक कलक्टर, द्वितीय श्रेणी ने वादियों की जानकारी के बिना न केवल प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरणों की मंजूरी दी थी अपितु इनकी मंजूरी, हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 के कानूनी उपबंधों के साथ ही उसके अधीन विरचित नियमों के विरुद्ध थी । इन्हीं आधारों पर ही वादियों द्वारा इस प्रभाव की घोषणा करने के लिए वाद फाइल की गई थी कि वाद भूमि माप 3 कनाल, 12 मरला भूमि, जिसका सविस्तार वर्णन उपर्युक्त में दिया गया है, वादी संख्या 1 और 2 के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थी और वाद भूमि माप 1 कनाल, 3 मरला भूमि, जिसका सविस्तार वर्णन उपर्युक्त में दिया गया है, सह-हिस्सेदारों के रूप में वादी संख्या 1 से 4 के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थी और प्रतिवादी संख्या 1 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी के पक्ष में प्रतीत होने वाली राजस्व प्रविष्टियां गलत, त्रुटिपूर्ण, अवैध, कपटपूर्ण, अकृत और शून्य हैं और उनका नामांतरण संख्या 2257 और 2258, जिसे सहायक कलक्टर, द्वितीय श्रेणी द्वारा वादियों की जानकारी के बिना उनके पक्ष में तारीख 6 नवम्बर, 1981 को मंजूर किया गया था, वे अवैध, अकृत और शून्य हैं अतएव, उक्त कपटपूर्ण राजस्व प्रविष्टियों और नामांतरणों के आधार पर वाद भूमि पर किसी अधिकार, हक और हित का दावा करने से प्रतिवादियों को अवरुद्ध करने के लिए स्थायी प्रतिषेधात्मक व्यादेश और वाद भूमि पर वादी के शांतिपूर्ण और विधिपूर्ण कब्जे में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से अवरुद्ध करते हुए, पारिणामिक अनुतोष मंजूर किया जाए ।

4. एक ओर, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पृथक् लिखित कथन फाइल करते हुए, वाद का विरोध किया गया और दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 5 से 9 की ओर से पृथक् लिखित कथन फाइल करते हुए वाद का विरोध किया गया ।

5. प्रतिवादी-राज्य द्वारा फाइल लिखित कथन में, राज्य द्वारा यह आधार लिया गया था कि वादी, राजस्व अभिलेख में अभिलिखित प्रविष्टियों के अनुसार, वाद भूमि के कब्जे में नहीं थे और यह कि सहायक कलक्टर, द्वितीय श्रेणी ने "हिस्सेदार, घटनास्थल पर कब्जे में नहीं पाए गए थे", के रूप में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में सही ही नामांतरण किया है ।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 2, 3, 5 और 9 ने अपने लिखित कथन के माध्यम से वाद में वादियों द्वारा किए गए दावे को स्वीकार किया है ।

7. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर, विद्वान् विचारण न्यायालय ने निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किए :–

"(i) क्या वादी संख्या 1 और 2 खसरा संख्या 1466 में स्थित माप 6 कनाल, 12 मरला भूमि के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में आ गए हैं और क्या वादी संख्या 1 से 4 खसरा संख्या 1465 में समाविष्ट माप 1 कनाल, 13 मरला भूमि के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में आ गए हैं, जैसा कि अभिलिखित है ?

(ii) क्या वाद भूमि का वादी संख्या 1 और 2 द्वारा मोचन करा लिया गया था, जैसा कि अभिकथित है ?

(iii) क्या वाद, कायम रखे जाने योग्य नहीं है, जैसा कि अभिकथित है ?

(iv) यदि विवाद्यक संख्या 1 और 2 सकारात्मक में साबित होता है तो क्या वादी घोषणा का अनुतोष पाने के हकदार हैं, जैसा कि अभिकथित है ?

(v) क्या वादियों के पास कोई विधिक और प्रवर्तनीय वाद हेतुक नहीं है ?

(vi) क्या वाद, परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित है, जैसा कि अभिकथित है ?

(vii) क्या न्यायालय के पास वाद का विचारण करने की

अधिकारिता नहीं है ?

(viii) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य पर कोई विधिक और विधिमान्य नोटिस तामील नहीं की गई है, जैसा कि अभिकथित है ?

(ix) अनुतोष ।"

8. क्रमशः पक्षकारों द्वारा क्रमशः अपने दावों के समर्थन में, प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर, विद्वान् विचारण न्यायालय ने यथाविरचित विवाद्यकों पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला था :–

"(i) हां,

(ii) हां,

(iii) नहीं,

(iv) हां,

(v) नहीं,

(vi) नहीं,

(vii) नहीं,

(viii) नहीं,

(ix) वाद, निर्णय के प्रवर्तित भाग के अनुसार, डिक्री किया गया ।"

9. विद्वान् विचारण न्यायालय ने घोषणा के लिए वादियों के वाद में इस प्रभाव की डिक्री किया कि वादी संख्या 1 और 2, ग्राम बीतन में स्थित खसरा संख्या 1466 में समाविष्ट वाद भूमि माप 3 कनाल, 12 मरला भूमि के बारे में, सह-हिस्सेदारों के रूप में अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थे और यह कि वादी संख्या 1 से 4 खसरा संख्या 1465 में समाविष्ट भूमि माप 1 कनाल, 3 मरला के अनन्य हिस्सेदारी कब्जे में थे और यह कि वाद भूमि पर अभिधारी के रूप में प्रीति और गुरुदास को प्रलक्षित करने वाले राजस्व अभिलेख में प्रविष्टियां और वाद भूमि के बारे में प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उक्त प्रविष्टियों के आधार पर नामांतरण संख्या 2257 और 2258 की मंजूरी भी गलत और अवैध थीं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने वाद भूमि पर वादियों के कब्जे में हस्तक्षेप करने से प्रतिवादियों को अवरुद्ध करते हुए, स्थायी प्रतिषेधात्मक व्यादेश के लिए डिक्री भी मंजूर कर ली थी ।

10. वाद डिक्री करते समय, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सिविल न्यायालय को वादियों द्वारा उद्भूत विवाद्यक पर न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता थी, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि नामांतरण संख्या 2257 और 2258 की मंजूरी, वस्तुतः वादियों की जानकारी के बिना और घटनास्थल पर पक्षकारों के कब्जे को सत्यापित किए बिना दी गई थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि प्रीति और गुरुदास वस्तुतः अभिधारी के रूप में वाद भूमि के कब्जे में नहीं थे अपितु वे बंधकदार के रूप में उसके कब्जे में थे और इस प्रकार, वाद भूमि पर अभिधारी के रूप में उनको प्रलक्षित करने वाली राजस्व प्रविष्टियां गलत थीं । उक्त निष्कर्ष निकालते समय, विद्वान् विचारण न्यायालय ने वादी आशु राम (अभि. सा. 1) के कथन को भी नोट किया था जिसने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया था कि वाद भूमि, वस्तुतः, लगभग 30 वर्ष पूर्व 550/- रुपए की रकम में गुरुदास और प्रीति को मौखिक रूप से बंधक में रखी गई थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि राजस्व अभिलेखों के अनुसार, प्रीति और गुरुदास 550/- रुपए के ब्याज के बदले में कभी भी अभिधारी के रूप में अभिलिखित थे किन्तु वादियों द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य, उक्त उपधारणा का खंडन करने के लिए पर्याप्त था और यह कि प्रतिवादी संख्या 2 ने भी यह स्वीकार किया था कि वह अभिधारी के रूप में वाद भूमि के कब्जे में कभी भी नहीं रहा अपितु, वह मात्र बंधकदार के रूप में उसके कब्जे में था । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि वादियों ने न्यायालय में यह सुस्पष्टतः अभिसाक्ष्य दिया है कि वाद भूमि का वस्तुतः वर्ष 1965 में प्रीति और गुरुदास से मोचन करा लिया गया था और उसके इस कथन का अभि. सा. 2 सुल्ताना राम के कथन से भी समर्थन मिलता है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि गुरुदास राम ने भी शपथ पर यह कथन किया है कि वाद भूमि का वर्ष 1965 में मोचन हो गया था और उसका कब्जा वादियों को सौंप दिया गया था । इन आधारों पर विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया था कि वाद भूमि का वस्तुतः वर्ष 1965 में मोचन हो गया था और वाद भूमि का कब्जा बंधकदार द्वारा उक्त वर्ष में बंधककर्ता को सौंप दिया गया था और तभी से वादी सह-हिस्सेदारों के रूप में वाद भूमि के कब्जे में चले आ रहे हैं और इस प्रकार, इसके प्रतिकूल राजस्व प्रविष्टियां गलत, अकृत और शून्य हैं ।

11. परिसीमा अवधि के विवाद्यक पर, विद्वान् विचारण न्यायालय ने

यह निष्कर्ष निकाला है कि क्योंकि वादियों की भूमि गलत तौर पर प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरित हुई थी, इसलिए, वादियों के पास वाद भूमि के स्वामियों की हैसियत में वाद फाइल करने के लिए वाद हेतुक था और क्योंकि यह सिद्ध हो गया है कि वे वाद भूमि के कब्जे में थे, इसलिए, वाद को परिसीमा अवधि द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वादियों ने वाद तब फाइल किया था जब प्रतिवादी, वादियों के स्वामित्व और कब्जे के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे थे ।

12. विद्वान् अपील न्यायालय ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार निकाले गए निष्कर्षों को कायम रखते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि वर्ष 1955-56 के लिए जमाबंदी की प्रतिलिपि प्रदर्श पी-1 यह वर्णित करती है कि इसमें के वादी, हिस्सेदारी कब्जे में सह-हिस्सेदारों के रूप में अभिलिखित थे और ये प्रविष्टियां वर्ष 1965-66 के लिए जमाबंदी प्रदर्श पी-2 तक जारी रही थीं और इसे वर्ष 1970-71 के लिए जमाबंदी प्रदर्श पी-3 में ही सर्वप्रथम प्रतिवादी संख्या 2 गुरुदास और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी कभी भी अभिधारी के रूप में कब्जे में अभिलिखित किए गए थे । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि तारीख 6 नवम्बर, 1981 के नामांतरण संख्या 2257 और 2258, प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 द्वारा वाद भूमि का नामांतरण प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में इस आधार पर कर दिया गया था कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी ने अभिधारी के रूप में वाद भूमि पर अपने कब्जे को त्यजन कर दिया था । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभिलेख पर के साक्ष्यों के अनुसार, यह साबित होता है कि वस्तुतः वाद भूमि को प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति के पास बंधक रखा गया था और उसका वर्ष 1965 में मोचन करा लिया गया था जब वादियों ने बंधक धन को वापस कर दिया था और प्रतिवादी संख्या 2 तथा प्रीति, वस्तुतः वाद भूमि पर कभी भी अभिधारी के रूप में प्रविष्ट नहीं हुए थे । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि प्रीति और गुरुदास के पास राज्य सरकार अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में अपनी किराएदारी को त्यक्त करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि प्रीति और गुरुदास वस्तुतः कभी भी अभिधारी के रूप में प्रविष्ट नहीं हुए थे । यह भी अभिनिर्धारित किया कि वर्ष 1970-71 के लिए जमाबंदी की प्रतिलिपि, जिसमें प्रीति और गुरुदास को प्रथम बार अभिधारी के रूप में प्रलक्षित किए गए थे, से भी यह प्रलक्षित नहीं होता है

कि वे स्वामियों को किसी किराए का संदाय कर रहे थे । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि मात्र इस कारण से कि यह राजस्व अभिलेखों में प्रलक्षित किया गया था कि प्रीति और गुरुदास ब्याज का संदाय कर रहे थे, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वे किराए का संदाय कर रहे थे क्योंकि दोनों शब्दों "ब्याज" और "किराए" के बीच अत्यधिक अन्तर है । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि राजस्व अधिकारियों ने नामांतरण प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 को अनुप्रमाणित करते समय अवैधता कारित की है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख मैनुअल के खंड 8.51 में यह परिकल्पित है कि यदि गैर-अधिभोगी अभिधारी, अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 31 के अधीन सरकार के पक्ष में अपनी अभिधृति भूमि का स्वैच्छिक अभ्यर्पण करना चाहता है तो उसे फार्म एल. आर. 1 के प्ररूप में कलक्टर के समक्ष आवेदन करना होगा और आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर अभिधारी का कथन अभिलिखित करेगा और इसके पश्चात्, स्वयं का यह समाधान होने के पश्चात् कि उक्त कृत्य वस्तुतः भूमि का स्वैच्छिक त्यजन है, यह आदेश पारित करेगा कि अभिधारी ने सरकार के पक्ष में अपनी अभिधृति भूमि का स्वैच्छिक तौर पर अभ्यर्पण किया है और इसके पश्चात्, कलक्टर, सरकार के पक्ष में संबंधित तहसीलदार के माध्यम से भूमि का कब्जा लेगा । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि नियम में यह भी परिकल्पित है कि उप-नियम (1) के अधीन कब्जा लेने के पश्चात् भी कलक्टर, अभिधारी के स्थान में त्यक्त अभिधृति पर सरकार के प्रतिस्थापित अधिकारों को राजस्व अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि भी करेगा और राज्य सरकार की ओर से भूमि का कब्जा लेगा । विद्वान् अपील न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि राजस्व अधिकारी द्वारा उक्त खंड के अतिलंघन में नामांतरण प्रविष्ट किए गए हैं । इसलिए, नामांतरण गलत और अवैध हैं । इन आधारों पर, विद्वान् अपील न्यायालय ने राज्य द्वारा फाइल अपील को खारिज करते हुए, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को कायम रखा ।

13. दोनों निचले न्यायालयों द्वारा वादियों/प्रत्यर्थियों के पक्ष में पारित निर्णयों और डिक्रियों से व्यथित होकर, प्रतिवादी/अपीलार्थी ने वर्तमान अपील फाइल की है ।

14. मैंने, पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेखों के साथ ही दोनों निचले न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों और डिक्रियों का भी

परिशीलन किया ।

15. मैं, विधि के दोनों सारवान् प्रश्नों पर पृथक्तः विचार करूंगा ।

विधि का सारवान् प्रश्न संख्या 1

16. प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2, नामांतरण हैं जो राजस्व अधिकारी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 राज्य के पक्ष में प्रविष्ट किए गए थे, जिनके अनुसार वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरित हुआ था जो प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी द्वारा स्वैच्छिक तौर पर त्यक्त किया गया था । दोनों निचले न्यायालयों द्वारा यह समवर्ती निष्कर्ष निकाले गए हैं कि अभिलेख पर इस प्रभाव का कोई साक्ष्य नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति कभी भी वाद भूमि पर अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट हुए थे । तर्कों के दौरान, विद्वान् अपर महाधिवक्ता भी अभिलेख पर किसी ऐसे तर्कपूर्ण साक्ष्य की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित नहीं कर सके जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, वस्तुतः वादियों द्वारा या उनके हित-पूर्वाधिकारियों द्वारा वाद भूमि पर कभी भी अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट किए गए थे । जहां तक वर्ष 1970-71 के लिए जमाबंदी में प्रविष्टियों का संबंध है, वे यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, वस्तुतः वाद भूमि पर अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट हुए थे ।

17. अभिधृति, जैसा कि यह भूमि स्वामी और अभिधारी के बीच द्विपक्षीय करार हुआ था और अभिधृति के बदले में अभिधारी ने भूमि स्वामी को किराए का संदाय करना था । प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि वस्तुतः कोई किराया प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति द्वारा वाद भूमि पर किसी भी प्रकार से अभिधारियों के रूप में उनके अभिकथित तौर पर प्रवेश के बदले में वादियों को कोई किराया संदत्त किया गया था । इसी प्रकार, प्रतिवादियों द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई करार प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति वाद भूमि पर किसी भी प्रकार से अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट हुए थे ।

18. इसके विपरीत, दोनों निचले न्यायालयों ने वादियों के पक्ष में और वर्तमान अपीलार्थी के विरुद्ध अभिलेख पर के साक्ष्यों के आधार पर यह समवर्ती निष्कर्ष निकाला है कि वस्तुतः वाद भूमि को वर्ष 1965 में

प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति से बंधक धन का संदाय करते हुए वादियों द्वारा मोचन करा लिया गया था । यह तथ्य सम्यक् रूप से साबित कर दिया गया है और वादी के साक्ष्यों के कथनों द्वारा सम्पुष्ट हो गया है । अभि. सा. 1 आशा राम ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि वाद भूमि को लगभग 30 वर्ष पूर्व और वर्ष 1965 में 550/- रुपए के एवज में गुरुदास और प्रीति को बंधक रखा गया था और उक्त भूमि का मोचन करा लिया गया था और उसके कब्जे के लिए वादियों द्वारा पुनः दावा भी किया गया था । इस साक्षी ने न्यायालय में यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि गुरुदास और प्रीति वाद भूमि पर गैर-अधिभोगी अभिधारियों के रूप में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए थे और उक्त व्यक्ति संक्षिप्त अवधि के लिए वाद भूमि के कब्जे में बने रहे जब उसे उनके पास बंधक रखा गया था । अपनी प्रतिपरीक्षा में उसने सुस्पष्टतः इस बात से इनकार किया है कि वह वाद भूमि के कब्जे में नहीं रहा है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि यद्यपि यह सही है कि नामांतरण की प्रविष्टि के समय पर तहसीलदार ने घटनास्थल का दौरा किया था और संबंधित पक्षकारों को बुलाया था, तथापि, वादियों को नामांतरण के अनुप्रमाणन के समय पर कभी भी नहीं बुलाया गया था ।

19. सुल्ताना राम जो अभि. सा. 2 के रूप में साक्षी कठघरे में उपस्थित हुआ था, ने भी सुस्पष्टतः यह कथन किया है कि वाद भूमि को 550/- रुपए के एवज में वादियों द्वारा गुरुदास और प्रीति को बंधक रखा गया था और बंधक का मोचन करा लिया गया था और उसके कब्जे के लिए वादियों द्वारा पुनः दावा भी किया गया था । इस साक्षी ने भी सुस्पष्टतः यह कथन किया है कि न तो गुरुदास न ही प्रीति न ही उनके हित उत्तराधिकारी वाद भूमि पर गैर-अधिभोगी अभिधारियों के रूप में प्रविष्ट हुए थे । उसने यह भी कथन किया कि वह पिछले 44 वर्षों से ग्राम का नम्बरदार था और उनकी प्रथा के अनुसार, बंधक का उपयोग मात्र मौखिक रूप से किया जाता था । अब संयोग से सुझाव जो उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में दिया है और जो उसने सही होना स्वीकार किया है, यह है कि वाद भूमि को बंधक के रूप में प्रीति और गुरुदास के पास रखा गया था । उसने इस सुझाव से भी इनकार किया है कि वाद संपत्ति का कब्जा वादियों के पास नहीं था ।

20. उक्त साक्ष्य से यह प्रकट होता है और यह सुस्पष्ट होता है कि नामांतरण जो प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 के

माध्यम से प्रविष्ट किए गए थे, गलत तौर पर प्रविष्ट हुए थे क्योंकि जब प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी कभी भी अभिधारियों के रूप में वाद भूमि के कब्जे में नहीं थे तो प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में उक्त भूमि का त्यजन करने के लिए उनके पास कोई अवसर नहीं था ।

21. इसके अतिरिक्त, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अभिलेख पर न तो मौखिक अथवा न ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है जिससे कि यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी वाद संपत्ति पर अभिधारियों के रूप में वस्तुतः प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 31 के उपबंधों के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वाद भूमि का त्यजन कर दिया था । राज्य के पक्ष में किसी भी साक्षी ने ऐसा कोई अभिसाक्ष्य नहीं दिया है जिससे कि तथाकथित त्यजनकर्ताओं में से उनके पक्षकथन को साबित कर सके । तद्नुसार, यह विधि का सारवान् प्रश्न विनिश्चित किया जाता है ।

विधि का सारवान् प्रश्न संख्या 2

22. हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 31 निम्नलिखित उपबंध करता है :–

> "धारा 31. **त्यजन** – अभिधारी द्वारा भूमि स्वामी के पक्ष में अभिधृति का कोई त्यजन नहीं किया जाएगा । तथापि, यदि अभिधारी अपनी अभिधृति भूमि का स्वैच्छिक अभ्यर्पण करना चाहता है तो वह राज्य सरकार के पक्ष में होगा । राज्य सरकार विहित तरीके से त्यक्त भूमि में किसी उपयुक्त अभिधारी या भूमिहीन कृषक श्रमिक को प्रवेश कराने का अधिकार होगा ।"

23. वर्तमान मामले में, जैसा कि मेरे द्वारा पहले ही उपर्युक्त विधि का सारवान् प्रश्न संख्या 1 को विनिश्चित करते समय अभिनिर्धारित किया जा चुका है, दोनों विद्वान् निचले न्यायालयों द्वारा समवर्ती तौर पर अभिनिर्धारित किया गया है और सही तौर पर कि वस्तुतः वाद भूमि को वादियों द्वारा 550/- रुपए के एवज में गुरुदास और प्रीति के पक्ष में बंधक रखा गया था और वर्ष 1965 में बंधक का मोचन करा लिया गया था और वादियों द्वारा बंधकदारों से वाद भूमि का कब्जा भी ले लिया गया था । दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 1 न तो यह न्यायोचित ठहरा सके अथवा न ही यह सिद्ध

कर सके कि किस प्रकार राजस्व अभिलेखों अर्थात् वर्ष 1970-71 के लिए जमाबंदी में भूमि स्वामी और अभिधारी के बीच इस संबंध में कोई करार किए बिना वाद भूमि पर अभिधारियों के रूप में गुरुदास और प्रीति को प्रलक्षित किया गया है और यह सिद्ध करने के लिए कोई करार भी नहीं किया गया है कि अभिधारी किराया संदाय के बदले में इस प्रकार प्रविष्ट हुए थे और उन्होंने भूमि स्वामियों को कोई किराया संदत्त किया था । इसलिए, मामले में इस मत को ध्यान में रखते हुए, कि जब प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी का न तो अभिधारियों के रूप में अथवा न ही अन्य किसी हैसियत में वाद भूमि पर कोई हित रखते थे तो उस समय जब वाद संपत्ति का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्यजन किया गया था तो यह समझ से परे है कि किस प्रकार वे वाद संपत्ति का प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में त्यजन कर सके थे । यह सुस्थिर विधि है कि कोई व्यक्ति संपत्ति पर अपना हक मात्र तभी खो सकता है जब वह उस पर कब्जा रखता है । वर्तमान मामले में, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति का उस तारीख को वाद भूमि पर कोई हक नहीं था जब इसका प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरण अनुप्रमाणित हुआ था तो उनके लिए प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में वाद संपत्ति का त्यजन करने के लिए कोई अवसर अथवा अधिकार नहीं था ।

24. इसके अतिरिक्त, जैसा कि विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा भी अभिनिर्धारित किया गया है एक विहित प्रक्रिया विहित की गई है, जिसका राज्य सरकार के पक्ष में वाद भूमि के अभिधारी त्यजनकर्ताओं के मामले में अनुसरण किया जाना है । यह प्रक्रिया, हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख मैनुअल के खंड 8.51 में विहित है, जो इस प्रकार है :—

"धारा 31 के अधीन भूमि का त्यजन

8.51(1) यदि गैर-अधिभोगी अभिधारी, अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा 31 के अधीन सरकार के पक्ष में अपनी अभिधृति भूमि का स्वैच्छिक तौर पर अभ्यर्पण करना चाहता है तो वह एल. आर. 1 प्ररूप में कलक्टर के समक्ष आवेदन करेगा । आवेदन की प्राप्ति पर, कलक्टर अभिधारी का कथन अभिलिखित करेगा और स्वैच्छिक तौर पर त्यजन करने के तथ्य की स्वयं समाधान होने के पश्चात् यह आदेश पारित करेगा कि अभिधारी, सरकार के पक्ष में अपनी अभिधृति भूमि का स्वैच्छिक तौर पर अभ्यर्पण किया है । इसके पश्चात्, कलक्टर सरकार के पक्ष में संबंधित तहसीलदार के माध्यम

से भूमि का कब्जा लेने की कार्यवाही करेगा ।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अभिधृति भूमि का कब्जा लेने के पश्चात्, कलक्टर, अभिधारी के स्थान में त्यक्त अभिधृति पर सरकार के अधिकारों को प्रतिस्थापित करते हुए, भूमि अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टि करने की कार्यवाही करेगा और राज्य सरकार की ओर से भूमि का कब्जा लेगा ।

(3) कलक्टर, भूमिहीन कृषक श्रमिकों या उन अभिधारियों जिनकी भूमि, धारा 104 की उपधारा (1) के अधीन भूमि स्वामियों द्वारा अभिधृति भूमि के मोचन के परिणामस्वरूप एक एकड़ से कम हो गई है, को भूमि का उप-पट्टा करेगा (हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार नियम, 1975 का नियम 12) ।"

25. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी द्वारा अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि अन्यथा भी, उस समय पर जब वाद भूमि को राज्य के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 2 और प्रीति, प्रतिवादी संख्या 3 से 9 के हित-पूर्वाधिकारी द्वारा अभिकथित तौर पर त्यजन किया गया था, उक्त प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था । चाहे जैसी भी स्थिति हो, मामले का यह तथ्य शेष रह जाता है कि जब गुरुदास और प्रीति, उस समय पर वाद भूमि के अभिधारी नहीं थे जब नामांतरण प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 के माध्यम से अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में नामांतरण प्रविष्ट हुए थे, वे राज्य के पक्ष में वाद भूमि का त्यजन और प्रदर्श डी-1 और प्रदर्श डी-2 के माध्यम से नामांतरण का अनुप्रमाणन नहीं कर सकते थे, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश भूमि अभिलेख मैनुअल की धारा 31 के उपबंधों के अधीन वाद भूमि पर राज्य को कोई अधिकार प्रदत्त किया गया था । तद्नुसार, इस सारवान् विधि के प्रश्न को विनिश्चित किया जाता है ।

26. उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वर्तमान अपील में कोई गुणागुण नहीं है, इसलिए, इसे अन्य प्रकीर्ण आवेदन/आवेदनों, यदि कोई हो, के साथ खारिज किया जाता है । खर्चे का कोई आदेश नहीं किया जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

क.

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 43)

[13 सितम्बर, 2005]

ऐसी महिलाओं के, जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी प्रकार की हिंसा से पीड़ित हैं, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों के अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** – (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख* को प्रवृत्त होगा, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. **परिभाषाएं** – इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "व्यथित व्यक्ति" से कोई ऐसी महिला अभिप्रेत है जो प्रत्यर्थी की घरेलू नातेदारी में है या रही है और जिसका अभिकथन है कि वह प्रत्यर्थी द्वारा किसी घरेलू हिंसा का शिकार रही है ;

(ख) "बालक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो अठारह वर्ष से कम आयु का है और जिसके अंतर्गत कोई दत्तक, सौतेला या पोषित बालक है ;

(ग) "प्रतिकर आदेश" से, धारा 22 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है ;

---

* 26.10.2006 : देखिए अधिसूचना सं. का. आ. 1776(अ), तारीख 17-10-2006.

(घ) "अभिरक्षा आदेश" से धारा 21 के निबंधनों के अनुसार अनुदत्त कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(ङ) "घरेलू घटना रिपोर्ट" से ऐसी रिपोर्ट अभिप्रेत है जो, किसी व्यथित व्यक्ति से घरेलू हिंसा की किसी शिकायत की प्राप्ति पर, विहित प्ररूप में तैयार की गई हो ;

(च) "घरेलू नातेदारी" से ऐसे दो व्यक्तियों के बीच नातेदारी अभिप्रेत है, जो साझी गृहस्थी में एक साथ रहते हैं या किसी समय एक साथ रह चुके हैं, जब वे, समरक्तता, विवाह द्वारा या विवाह, दत्तक ग्रहण की प्रकृति की किसी नातेदारी द्वारा संबंधित हैं या एक अविभक्त कुटुंब के रूप में एक साथ रहने वाले कुटुंब के सदस्य हैं ;

(छ) "घरेलू हिंसा" का वही अर्थ है जो उसका धारा 3 में है ;

(ज) "दहेज" का वही अर्थ होगा, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में है ;

(झ) "मजिस्ट्रेट" से उस क्षेत्र पर, जिसमें व्यथित व्यक्ति अस्थायी रूप से या अन्यथा निवास करता है या जिसमें प्रत्यर्थी निवास करता है या जिसमें घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करने वाला, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है ;

(ञ) "चिकित्सीय सुविधा" से ऐसी सुविधा अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राज्य सरकार द्वारा चिकित्सीय सुविधा अधिसूचित की जाए ;

(ट) "धनीय अनुतोष" से ऐसा प्रतिकर अभिप्रेत है जिसके लिए कोई मजिस्ट्रेट, घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति द्वारा उपगत व्ययों और सहन की गई हानियों को पूरा करने के लिए, इस अधिनियम के अधीन किसी अनुतोष की ईप्सा करने वाले आवेदन की सुनवाई के दौरान, किसी प्रक्रम पर, व्यथित व्यक्ति को संदाय करने के लिए, प्रत्यर्थी को आदेश दे सकेगा ;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ड) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ढ) "संरक्षण अधिकारी" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ण) "संरक्षण आदेश" से धारा 18 के निबंधनों के अनुसार किया गया कोई आदेश, अभिप्रेत है ;

(त) "निवास आदेश" से धारा 19 की उपधारा (1) के निबंधनों के अनुसार दिया गया कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(थ) "प्रत्यर्थी" से कोई वयस्क पुरुष अभिप्रेत है जो व्यथित व्यक्ति की घरेलू नातेदारी में है या रहा है और जिसके विरुद्ध व्यथित व्यक्ति ने, इस अधिनियम के अधीन कोई अनुतोष चाहा है :

परंतु यह कि कोई व्यथित पत्नी या विवाह की प्रकृति की किसी नातेदारी में रहने वाली कोई महिला भी पति या पुरुष भागीदार के किसी नातेदार के विरुद्ध शिकायत फाइल कर सकेगी ;

(द) "सेवा प्रदाता" से धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अस्तित्व अभिप्रेत है ;

(ध) "साझी गृहस्थी" से ऐसी गृहस्थी अभिप्रेत है, जहां व्यथित व्यक्ति रहता है या किसी घरेलू नातेदारी में या तो अकेले या प्रत्यर्थी के साथ किसी प्रक्रम पर रह चुका है, और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो चाहे उस व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी के संयुक्ततः स्वामित्व या किराएदारी में है, या उनमें से किसी के स्वामित्व या किराएदारी में है, जिसके संबंध में या तो व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी या दोनों संयुक्त रूप से या अकेले, कोई अधिकार, हक, हित या साम्या रखते हैं और जिसके अंतर्गत ऐसी गृहस्थी भी है जो ऐसे अविभक्त कुटुंब का अंग हो सकती है जिसका प्रत्यर्थी, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति का उस गृहस्थी में कोई अधिकार, हक या हित है, एक सदस्य है ;

(न) "आश्रय गृह" से ऐसा कोई आश्रय गृह अभिप्रेत है, जिसको इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा एक आश्रय गृह के रूप में, अधिसूचित किया जाए ।

अध्याय 2

घरेलू हिंसा

3. **घरेलू हिंसा की परिभाषा** – इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए

प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण, घरेलू हिंसा गठित करेगा यदि वह, —

(क) व्यथित व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन, अंग की या चाहे उसकी मानसिक या शारीरिक भलाई की अपहानि करता है, या उसे कोई क्षति पहुंचाता है या उसे संकटापन्न करता है या उसकी ऐसा करने की प्रवृत्ति है और जिसके अंतर्गत शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक दुरुपयोग, मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग और आर्थिक दुरुपयोग कारित करना भी है ; या

(ख) किसी दहेज या अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग की पूर्ति के लिए उसे या उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति को प्रपीड़ित करने की दृष्टि से व्यथित व्यक्ति का उत्पीड़न करता है या उसकी अपहानि करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या संकटापन्न करता ; या

(ग) खंड (क) या खंड (ख) में वर्णित किसी आचरण द्वारा व्यथित व्यक्ति या उससे संबंधित किसी व्यक्ति पर धमकी का प्रभाव रखता है ; या

(घ) व्यथित व्यक्ति को, अन्यथा क्षति पहुंचाता है या उत्पीड़न कारित करता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक ।

स्पष्टीकरण 1 — इस धारा के प्रयोजनों के लिए —

(i) "शारीरिक दुरुपयोग" से ऐसा कोई कार्य या आचरण अभिप्रेत है जो ऐसी प्रकृति का है, जो व्यथित व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा, अपहानि या उसके जीवन, अंग या स्वास्थ्य को खतरा कारित करता है या उससे उसके स्वास्थ्य या विकास का ह्रास होता है और इसके अंतर्गत हमला, आपराधिक अभित्रास और आपराधिक बल भी है ;

(ii) "लैंगिक दुरुपयोग" से लैंगिक प्रकृति का कोई आचरण अभिप्रेत है, जो महिला की गरिमा का दुरुपयोग, अपमान, तिरस्कार करता है या उसका अन्यथा अतिक्रमण करता है ;

(iii) "मौखिक और भावनात्मक दुरुपयोग" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं, —

(क) अपमान, उपहास, तिरस्कार, गाली और विशेष रूप

से संतान या नर बालक के न होने के संबंध में अपमान या उपहास ; और

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा कारित करने की लगातार धमकियां देना, जिसमें व्यथित व्यक्ति हितबद्ध है ;

(iv) "आर्थिक दुरुपयोग" के अंतर्गत निम्नलिखित हैं :–

(क) ऐसे सभी या किन्हीं आर्थिक या वित्तीय संसाधनों, जिनके लिए व्यथित व्यक्ति किसी विधि या रूढ़ि के अधीन हकदार है, चाहे वे किसी न्यायालय के किसी आदेश के अधीन या अन्यथा संदेय हों या जिनकी व्यथित व्यक्ति, किसी आवश्यकता के लिए, जिसके अंतर्गत व्यथित व्यक्ति और उसके बालकों, यदि कोई हों, के लिए घरेलू आवश्यकताएं भी हैं, अपेक्षा करता है, किन्तु जो उन तक सीमित नहीं हैं, स्त्रीधन, व्यथित व्यक्ति के संयुक्त रूप से या पृथक्तः स्वामित्वाधीन संपत्ति, साझी गृहस्थी और उसके रखरखाव से संबंधित भाटक का संदाय, से वंचित करना ;

(ख) गृहस्थी की चीजबस्त का व्ययन, आस्तियों का चाहे, वे जंगम हों या स्थावर, मूल्यवान वस्तुओं, शेयरों, प्रतिभूतियों, बंधपत्रों और उसके सदृश या अन्य संपत्ति का, जिसमें व्यथित व्यक्ति कोई हित रखता है या घरेलू नातेदारी के आधार पर उसके प्रयोग के लिए हकदार है या जिसकी व्यथित व्यक्ति या उसकी संतानों द्वारा युक्तियुक्त रूप से अपेक्षा की जा सकती है या उसके स्त्रीधन या व्यथित व्यक्ति द्वारा संयुक्ततः या पृथक्तः धारित किसी अन्य संपत्ति का कोई अन्यसंक्रामण ; और

(ग) ऐसे संसाधनों या सुविधाओं तक, जिनका घरेलू नातेदारी के आधार पर कोई व्यथित व्यक्ति, उपयोग या उपभोग करने के लिए हकदार है, जिसके अंतर्गत साझी गृहस्थी तक पहुंच भी है, लगातार पहुंच के लिए प्रतिषेध या निर्बन्धन ।

स्पष्टीकरण 2 – यह अवधारित करने के प्रयोजन के लिए कि क्या प्रत्यर्थी का कोई कार्य, लोप या किसी कार्य का करना या आचरण इस धारा के अधीन "घरेलू हिंसा" का गठन करता है, मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा ।

अध्याय 3

संरक्षण अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं आदि की शक्तियां और कर्तव्य

4. **संरक्षण अधिकारी को जानकारी का दिया जाना और जानकारी देने वाले के दायित्व का अपवर्जन** – (1) कोई व्यक्ति, जिसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हो चुका है या हो रहा है या किए जाने की संभावना है, तो वह संबद्ध संरक्षण अधिकारी को इसके बारे में जानकारी दे सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति द्वारा, सद्भाविक रूप से दी जाने वाली जानकारी के लिए, सिविल या दांडिक कोई दायित्व उपगत नहीं होगा ।

5. **पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य** – कोई पुलिस अधिकारी, संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता या मजिस्ट्रेट, जिसे घरेलू हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त हुई है या जो घरेलू हिंसा की किसी घटना के स्थान पर अन्यथा उपस्थित है या जब घरेलू हिंसा की किसी घटना की रिपोर्ट उसको दी जाती है तो वह, व्यथित व्यक्ति को –

(क) इस अधिनियम के अधीन, किसी संरक्षण आदेश, धनीय राहत के लिए किसी आदेश, किसी अभिरक्षा आदेश, किसी निवास आदेश, किसी प्रतिकर आदेश या ऐसे एक आदेश से अधिक के रूप में किसी अनुतोष को अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन करने के उसके अधिकार की ;

(ख) सेवा प्रदाताओं की सेवाओं की उपलब्धता की ;

(ग) संरक्षण अधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता की ;

(घ) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन निःशुल्क विधिक सेवा के उसके अधिकार की ;

(ङ) जहां कहीं सुसंगत हो, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क के अधीन किसी परिवाद के फाइल करने के उसके अधिकार की,

जानकारी देगा :

परन्तु इस अधिनियम की किसी बात का किसी रीति में यह अर्थ नहीं

लगाया जाएगा कि वह किसी पुलिस अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए, अपने कर्तव्य से अवमुक्त करती है ।

6. **आश्रय गृहों के कर्तव्य** – यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता किसी आश्रय गृह के भारसाधक व्यक्ति से, उसको आश्रय उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो आश्रय गृह का ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराएगा ।

7. **चिकित्सीय सुविधाओं के कर्तव्य** – यदि, कोई व्यथित व्यक्ति या उसकी ओर से कोई संरक्षण अधिकारी या कोई सेवा प्रदाता, किसी चिकित्सीय सुविधा के भारसाधक व्यक्ति से, उसको कोई चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध करता है तो चिकित्सीय सुविधा को ऐसा भारसाधक व्यक्ति, व्यथित व्यक्ति को उस चिकित्सीय सुविधा में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराएगा ।

8. **संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति** – (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में उतने संरक्षण अधिकारी नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे और वह उन क्षेत्र या क्षेत्रों को भी अधिसूचित करेगी, जिनके भीतर संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करेगा ।

(2) ऐसे संरक्षण अधिकारी, जहां तक संभव हो, महिलाएं होंगी और उनके पास ऐसी अर्हताएं और अनुभव होगा, जो विहित किया जाए ।

(3) संरक्षण अधिकारी और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं ।

9. **संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्य और कृत्य** – (1) संरक्षण अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे –

(क) किसी मजिस्ट्रेट को, इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना ;

(ख) किसी घरेलू हिंसा की शिकायत की प्राप्ति पर, किसी मजिस्ट्रेट को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, घरेलू हिंसा की रिपोर्ट करना और उस पुलिस थाने के, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा का होना

अभिकथित किया गया है, भारसाधक पुलिस अधिकारी को और उस क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं को, उस रिपोर्ट की प्रतियां अग्रेषित करना ;

(ग) किसी मजिस्ट्रेट को, यदि व्यथित व्यक्ति, किसी संरक्षण आदेश के जारी करने के लिए, अनुतोष का दावा करने की वांछा करता हो, तो ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, आवेदन करना ;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि किसी व्यथित व्यक्ति को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) के अधीन विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और उस विहित प्ररूप को, जिसमें शिकायत की जानी है, मुफ्त उपलब्ध कराना ;

(ङ) मजिस्ट्रेट की अधिकारिता वाले स्थानीय क्षेत्र में ऐसे सभी सेवा प्रदाताओं की, जो विधिक सहायता या परामर्श आश्रय गृह चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, एक सूची बनाए रखना ;

(च) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी अपेक्षा करता है तो कोई सुरक्षित आश्रय गृह का उपलब्ध कराना और किसी व्यक्ति को आश्रय गृह में सौंपते हुए, अपनी रिपोर्ट की एक प्रति पुलिस थाने को और उस क्षेत्र में, जहां वह आश्रय गृह अवस्थित है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना ;

(छ) व्यथित व्यक्ति को शारीरिक क्षतियां हुई हैं तो उसका चिकित्सीय परीक्षण कराना, और उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा का होना अभिकथित किया गया है, पुलिस थाने को और अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को उस चिकित्सीय रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित करना ;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि धारा 20 के अधीन धनीय अनुतोष के लिए आदेश का, दंड प्रक्रिया संहिता,1973 (1974 का 2) के अधीन विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुपालन और निष्पादन हो गया है ;

(झ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का, जो विहित किए जाएं, पालन करना ।

(2) संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन होगा और वह, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन मजिस्ट्रेट और सरकार द्वारा उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करेगा ।

10. **सेवा प्रदाता** – (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो इस

निमित्त बनाए जाएं, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई स्वैच्छिक संगम या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी, जिसका उद्देश्य किसी विधिपूर्ण साधन द्वारा, महिलाओं के अधिकारों और हितों का संरक्षण करना है, जिसके अंतर्गत विधिक सहायता, चिकित्सीय सहायता या अन्य सहायता उपलब्ध कराना भी है, स्वयं को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक सेवा प्रदाता के रूप में राज्य सरकार के पास रजिस्टर कराएगी ।

(2) किसी सेवा प्रदाता के पास, जो उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, निम्नलिखित शक्तियां होंगी –

(क) यदि व्यथित व्यक्ति ऐसी वांछा करता हो तो विहित प्ररूप में घरेलू हिंसा की रिपोर्ट अभिलिखित करना और उसकी एक प्रति, उस क्षेत्र में, जहां घरेलू हिंसा हुई है, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट और संरक्षण अधिकारी को अग्रेषित करना ;

(ख) व्यथित व्यक्ति का चिकित्सीय परीक्षण कराना और उस संरक्षण अधिकारी और पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर, घरेलू हिंसा हुई है, चिकित्सीय रिपोर्ट की प्रति अग्रेषित करना ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि व्यथित व्यक्ति को, यदि वह ऐसी वांछा करे तो, आश्रय गृह में आश्रय उपलब्ध कराया गया है और व्यथित व्यक्ति को, आश्रय गृह में सौंपे जाने की रिपोर्ट, उस पुलिस थाने को, जिसकी स्थानीय सीमा के भीतर घरेलू हिंसा हुई है, अग्रेषित करना ।

(3) इस अधिनियम के अधीन, घरेलू हिंसा के निवारण हेतु शक्तियों के प्रयोग या कृत्यों के निर्वहन में, सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के, जो इस अधिनियम के अधीन कार्य कर रहा है या करने वाला समझा जाता है या करने के लिए तात्पर्यित है, विरुद्ध नहीं होगी ।

11. **सरकार के कर्तव्य** – केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगी कि –

(क) इस अधिनियम के उपबंधों का नियमित अंतरालों पर, लोक

मीडिया के माध्यम से जिसके अंतर्गत टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट मीडिया भी है, व्यापक प्रचार किया जाता है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को, जिसके अंतर्गत पुलिस अधिकारी और न्यायिक सेवाओं के सदस्य भी हैं इस अधिनियम द्वारा उठाए गए विवाद्यकों पर समय-समय पर सुग्राहीकरण और जानकारी प्रशिक्षण दिया जाता है ;

(ग) घरेलू हिंसा के विवाद्यकों को संबोधित करने के लिए विधि, गृह कार्यों जिनके अंतर्गत विधि और व्यवस्था भी हैं, स्वास्थ्य और मानव संसाधनों के संबंध में कार्रवाई करने वाले संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित किया गया है और उनका कालिक पुनर्विलोकन किया जाता है ;

(घ) इस अधिनियम के अधीन महिलाओं के लिए सेवाओं के परिदान से संबद्ध विभिन्न मंत्रालयों के लिए प्रोटोकाल, जिसके अंतर्गत न्यायालयों को तैयार करना और किसी स्थान पर स्थापित करना भी है ।

अध्याय 4

अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया

12. **मजिस्ट्रेट को आवेदन** – (1) कोई व्यथित व्यक्ति या संरक्षण अधिकारी या व्यथित व्यक्ति की ओर से कोई अन्य व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करने के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा :

परन्तु मजिस्ट्रेट, ऐसे आवेदन पर कोई आदेश पारित करने से पहले, किसी संरक्षण अधिकारी या सेवा प्रदाता से उसके द्वारा प्राप्त, किसी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ईप्सित किसी अनुतोष में वह अनुतोष भी सम्मिलित हो सकेगा जिसके लिए किसी प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा कारित की गई क्षतियों के लिए प्रतिकर या नुकसान के लिए वाद संस्थित करने के ऐसे व्यक्ति के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी प्रतिकर या नुकसान के संदाय के लिए कोई आदेश जारी किया जाता है :

परन्तु जहां किसी न्यायालय द्वारा, प्रतिकर या नुकसानी के रूप में किसी रकम के लिए, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है यदि इस अधिनियम के अधीन, मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कोई रकम संदत्त की गई है या संदेय है तो ऐसी डिक्री के अधीन संदेय रकम के विरुद्ध मुजरा होगी और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह डिक्री, इस प्रकार मुजरा किए जाने के पश्चात् अतिशेष रकम के लिए, यदि कोई हो, निष्पादित की जाएगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं या यथासंभव उसके निकटतम रूप में अंतर्विष्ट होगा ।

(4) मजिस्ट्रेट, सुनवाई की पहली तारीख नियत करेगा जो न्यायालय द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से सामान्यतः तीन दिन से अधिक नहीं होगी ।

(5) मजिस्ट्रेट, उपधारा (1) के अधीन दिए गए प्रत्येक आवेदन का, प्रथम सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर निपटारा करने का प्रयास करेगा ।

13. **सूचना की तामील** – (1) धारा 12 के अधीन नियत की गई सुनवाई की तारीख की सूचना मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण अधिकारी को दी जाएगी जो प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित किसी अन्य व्यक्ति पर, ऐसे साधनों द्वारा जो विहित किए जाएं, उसकी प्राप्ति की तारीख से अधिकतम दो दिन की अवधि के भीतर या ऐसे अतिरिक्त युक्तियुक्त समय के भीतर जो मजिस्ट्रेट द्वारा अनुज्ञात किया जाए, तामील करवाएगा ।

(2) संरक्षण अधिकारी द्वारा की गई सूचना की तामील की घोषणा, ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए इस बात का सबूत होगी कि ऐसी सूचना की तामील प्रत्यर्थी पर और मजिस्ट्रेट द्वारा निदेशित किसी अन्य व्यक्ति पर कर दी गई है, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है ।

14. **परामर्श** – (1) मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर, प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को, अकेले या संयुक्ततः सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से, जो परामर्श में ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता है, जो विहित की जाएं, परामर्श लेने का निदेश दे सकेगा ।

(2) जहां मजिस्ट्रेट ने उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया है, वहां वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख, दो मास से अनधिक अवधि के भीतर नियत करेगा ।

15. **कल्याण विशेषज्ञ की सहायता** – इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में, मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए, ऐसे व्यक्ति की, अधिमानतः किसी महिला की, चाहे वह व्यथित व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, सेवाएं प्राप्त कर सकेगा ।

16. **कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना** – यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे, तो वह इस अधिनियम के अधीन, कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित कर सकेगा ।

17. **साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार** – (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं ।

(2) विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय, कोई व्यथित व्यक्ति, प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा ।

18. **संरक्षण आदेश** – मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का एक अवसर दिए जाने के पश्चात् और उसका प्रथमदृष्ट्या समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा तथा प्रत्यर्थी को निम्नलिखित से प्रतिषिद्ध कर सकेगा, –

(क) घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना ;

(ख) घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरण करना ;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में या यदि व्यथित व्यक्ति बालक है, तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहां व्यथित व्यक्ति बार-बार आता जाता है, प्रवेश करना ;

(घ) व्यथित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयत्न करना, चाहे वह किसी रूप में हो, इसके अंतर्गत वैयक्तिक, मौखिक या लिखित या इलैक्ट्रोनिक या दूरभाषीय संपर्क भी है ;

(ङ) किन्हीं आस्तियों का अन्यसंक्रामण करना; उन बैंक लाकरों या बैंक खातों का प्रचालन करना जिनका दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग या धारण या उपयोग, व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्ततः या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उसका स्त्रीधन या अन्य कोई संपत्ति भी है, जो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना या तो पक्षकारों द्वारा संयुक्ततः या उनके द्वारा पृथक्तः धारित की हुई है ;

(च) आश्रितों, अन्य नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरुद्ध सहायता देता है, के साथ हिंसा कारित करना ;

(छ) ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

19. **निवास आदेश** – (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट, यह समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है तो निम्नलिखित निवास आदेश पारित कर सकेगा :–

(क) प्रत्यर्थी को साझी गृहस्थी से, किसी व्यक्ति के कब्जे को बेकब्जा करने से या किसी अन्य रीति में उस कब्जे में विघ्न डालने से अवरुद्ध करना, चाहे प्रत्यर्थी, उस साझी गृहस्थी में विधिक या साधारण रूप से हित रखता है या नहीं ;

(ख) प्रत्यर्थी को, उस साझी गृहस्थी से स्वयं को हटाने का निदेश देना ;

(ग) प्रत्यर्थी या उसके किसी नातेदारों को साझी गृहस्थी के किसी भाग में, जिसमें व्यथित व्यक्ति निवास करता है, प्रवेश करने से अवरुद्ध करना ;

(घ) प्रत्यर्थी को, किसी साझी गृहस्थी के अन्यसंक्रांत करने या व्ययनित करने या उसे विल्लंगमित करने से अवरुद्ध करना ;

(ङ) प्रत्यर्थी को, मजिस्ट्रेट की इजाजत के सिवाय, साझी गृहस्थी में अपने अधिकार त्यजन से, अवरुद्ध करना ; या

(च) प्रत्यर्थी को, व्यथित व्यक्ति के लिए उसी स्तर की आनुकल्पिक वास सुविधा जैसी वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी या उसके लिए किराए का संदाय करने, यदि परिस्थितियां ऐसी अपेक्षा करे, सुनिश्चित करने के लिए निदेश करना :

परन्तु यह कि खंड (ख) के अधीन कोई आदेश किसी व्यक्ति के, जो महिला है, विरुद्ध पारित नहीं किया जाएगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति या ऐसे व्यथित व्यक्ति की किसी संतान की सुरक्षा के लिए, संरक्षण देने या सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त अधिरोपित कर सकेगा या कोई अन्य निदेश पारित कर सकेगा जो वह युक्तियुक्त रूप से आवश्यक समझे ।

(3) मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा किए जाने का निवारण करने के लिए प्रत्यर्थी से, एक बंधपत्र, प्रतिभुओं सहित या उनके बिना निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय 8 के अधीन किया गया कोई आदेश समझा जाएगा और तद्नुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(5) उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किसी आदेश को पारित करते समय, न्यायालय, उस व्यथित व्यक्ति को संरक्षण देने के लिए या उसकी सहायता के लिए या आदेश के क्रियान्वयन में उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति की सहायता करने के लिए, निकटतम पुलिस थाने में भारसाधक अधिकारी को निदेश देते हुए आदेश भी पारित कर सकेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश करते समय, मजिस्ट्रेट, पक्षकारों की वित्तीय आवश्यकताओं और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किराए और अन्य संदायों के उन्मोचन से संबंधित बाध्यताओं को प्रत्यर्थी पर अधिरोपित कर सकेगा ।

(7) मजिस्ट्रेट, उस पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में, संरक्षण आदेश के कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन किया गया है, निदेश कर सकेगा ।

(8) मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति को उसके स्त्रीधन या किसी अन्य संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति का, जिसके लिए वह हकदार है, कब्जा

लौटाने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा ।

20. **धनीय अनुतोष** – (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन का निपटारा करते समय, मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा के परिणामस्वरूप व्यथित व्यक्ति और व्यथित व्यक्ति की किसी संतान द्वारा उपगत व्यय और सहन की गई हानियों की पूर्ति के लिए धनीय अनुतोष का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश दे सकेगा और ऐसे अनुतोष में निम्नलिखित सम्मिलित हो सकेंगे किन्तु वह निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं होगा –

(क) उपार्जनों की हानि ;

(ख) चिकित्सीय व्ययों ;

(ग) व्यथित व्यक्ति के नियंत्रण में से किसी संपत्ति के नाश, नुकसानी या हटाए जाने के कारण हुई हानि ; और

(घ) व्यथित व्यक्ति के साथ-साथ उसकी संतान, यदि कोई हों, के लिए भरण-पोषण, जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 125 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई आदेश या भरण-पोषण के आदेश के अतिरिक्त कोई आदेश सम्मिलित है ।

(2) इस धारा के अधीन अनुदत्त धनीय अनुतोष, पर्याप्त, उचित और युक्तियुक्त होगा तथा उस जीवनस्तर से, जिसका व्यथित व्यक्ति अभ्यस्त है, संगत होगा ।

(3) मजिस्ट्रेट को, जैसा मामले की प्रकृति और परिस्थितियां, अपेक्षा करें, भरण-पोषण के एक समुचित एकमुश्त संदाय या मासिक संदाय का आदेश देने की शक्ति होगी ।

(4) मजिस्ट्रेट, आवेदन के पक्षकारों को और पुलिस थाने के भारसाधक को, जिसकी स्थानीय सीमाओं की अधिकारिता में प्रत्यर्थी निवास करता है, उपधारा (1) के अधीन दिए गए धनीय अनुतोष के आदेश की एक प्रति भेजेगा ।

(5) प्रत्यर्थी, उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर व्यथित व्यक्ति को अनुदत्त धनीय अनुतोष का संदाय करेगा ।

(6) उपधारा (1) के अधीन आदेश के निबंधनों में संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी की ओर से असफलता पर, मजिस्ट्रेट, प्रत्यर्थी के नियोजक या

ऋणी को, व्यथित व्यक्ति को प्रत्यक्षतः संदाय करने या मजदूरी या वेतन का एक भाग न्यायालय में जमा करने या शोध्य ऋण या प्रत्यर्थी के खाते में शोध्य या उद्भूत ऋण को, जो प्रत्यर्थी द्वारा संदेय धनीय अनुतोष में समायोजित कर ली जाएगी, जमा करने का निदेश दे सकेगा ।

21. **अभिरक्षा आदेश** – तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मजिस्ट्रेट, इस अधिनियम के अधीन संरक्षण आदेश या किसी अन्य अनुतोष के लिए आवेदन की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर व्यथित व्यक्ति को या उसकी ओर से आवेदन करने वाले व्यक्ति को किसी संतान की अस्थायी अभिरक्षा दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो प्रत्यर्थी द्वारा ऐसी संतान या संतानों से भेंट के इंतजाम को विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु, यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि प्रत्यर्थी की कोई भेंट संतान या संतानों के हितों के लिए हानिकारक हो सकती है तो मजिस्ट्रेट ऐसी भेंट करने को अनुज्ञात करने से इनकार करेगा ।

22. **प्रतिकर आदेश** – अन्य अनुतोष के अतिरिक्त, जो इस अधिनियम के अधीन अनुदत्त की जाएं, मजिस्ट्रेट, व्यथित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर, प्रत्यर्थी को क्षतियों के लिए, जिसके अंतर्गत उस प्रत्यर्थी द्वारा की गई घरेलू हिंसा के कार्यों द्वारा मानसिक यातना और भावनात्मक कष्ट सम्मिलित हैं, प्रतिकर और नुकसानी का संदाय करने के लिए प्रत्यर्थी को निदेश देने का आदेश पारित कर सकेगा ।

23. **अंतरिम और एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति** – (1) मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी कार्यवाही में, ऐसा अंतरिम आदेश, जो न्यायसंगत और उपयुक्त हो, पारित कर सकेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाता है कि प्रथमदृष्ट्या कोई आवेदन यह प्रकट करता है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर रहा है या उसने किया है, या यह संभावना है कि प्रत्यर्थी घरेलू हिंसा का कोई कार्य कर सकता है तो वह व्यथित व्यक्ति के ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, शपथपत्र के आधार पर, यथास्थिति, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 या धारा 22 के अधीन प्रत्यर्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश दे सकेगा ।

24. **न्यायालय द्वारा आदेश की प्रतियों का निःशुल्क दिया जाना** – मजिस्ट्रेट, सभी मामलों में जहां उसने इस अधिनियम के अधीन कोई

आदेश पारित किया है, वहां यह आदेश देगा कि ऐसे आदेश की एक प्रति निःशुल्क आवेदन के पक्षकारों को, उस पुलिस थाने के भारसाधक पुलिस अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता में मजिस्ट्रेट के पास पहुंच की गई है और न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर अवस्थित किसी सेवा प्रदाता को और यदि किसी सेवा प्रदाता ने किसी घरेलू घटना की रिपोर्ट को रजिस्ट्रीकृत किया है तो उस सेवा प्रदाता को दी जाएगी ।

25. **आदेशों की अवधि और उनमें परिवर्तन** – (1) धारा 18 के अधीन किया गया संरक्षण आदेश व्यथित व्यक्ति द्वारा निर्मोचन के लिए आवेदन किए जाने तक प्रवृत्त रहेगा ।

(2) यदि मजिस्ट्रेट का, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी से किसी आवेदन की प्राप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश में परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण परिवर्तन, उपांतरण या प्रतिसंहरण अपेक्षित है तो वह लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा आदेश, जो वह समुचित समझे, पारित कर सकेगा ।

26. **अन्य वादों और विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष** – (1) धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21 और धारा 22 के अधीन उपलब्ध कोई अनुतोष, किसी सिविल न्यायालय, कुटुंब न्यायालय या किसी दंड न्यायालय के समक्ष किसी व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को प्रभावित करने वाली किसी विधिक कार्यवाही में भी, चाहे ऐसी कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् आरंभ की गई हो, मांगा जा सकेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अनुतोष, किसी अन्य अनुतोष के अतिरिक्त और उसके साथ-साथ जिसकी व्यथित व्यक्ति, किसी सिविल या दंड न्यायालय के समक्ष ऐसे वाद या विधिक कार्यवाही में वांछा करे, मांगा जा सकेगा ।

(3) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही से भिन्न किन्हीं कार्यवाहियों में व्यथित व्यक्ति द्वारा कोई अनुतोष अभिप्राप्त कर लिया गया है, तो वह ऐसे अनुतोष को अनुदत्त करने वाले मजिस्ट्रेट को सूचित करने के लिए बाध्य होगा ।

27. **अधिकारिता** – (1) यथास्थिति, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर, –

(क) व्यथित व्यक्ति स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास

करता है या कारबार करता है या नियोजित है ; या

(ख) प्रत्यर्थी निवास करता है या कारबार करता है या नियोजित है ; या

(ग) हेतुक उद्भूत होता है,

इस अधिनियम के अधीन कोई संरक्षण आदेश और अन्य आदेश अनुदत्त करने और इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सक्षम न्यायालय होगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश समस्त भारत में प्रवर्तनीय होगा ।

28. **प्रक्रिया** – (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय धारा 12, धारा 18, धारा 19, धारा 20, धारा 21, धारा 22 और धारा 23 के अधीन सभी कार्यवाहियां और धारा 31 के अधीन अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

(2) उपधारा (1) की कोई बात, धारा 12 के अधीन या धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन किसी आवेदन के निपटारे के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया अधिकथित करने से न्यायालय को निवारित नहीं करेगी ।

29. **अपील** – उस तारीख से, जिसको मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश की, यथास्थिति, व्यथित व्यक्ति या प्रत्यर्थी पर जिस पर भी पश्चात्वर्ती हो, तामील की जाती है, तीस दिनों के भीतर सेशन न्यायालय में कोई अपील हो सकेगी ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

30. **संरक्षण अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं के सदस्यों का लोक सेवक होना** – संरक्षण अधिकारी और सेवा प्रदाताओं के सदस्य जब वे इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी उपबन्ध या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या आदेशों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हों या उनका कार्य करना तात्पर्यित हो, तब यह समझा जाएगा कि वे भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक हैं ।

31. **प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश के भंग के लिए शास्ति** – (1) प्रत्यर्थी द्वारा संरक्षण आदेश या किसी अंतरिम संरक्षण आदेश का भंग, इस

अधिनियम के अधीन एक अपराध होगा और वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपराध का विचारण यथासाध्य उस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा जिसने वह आदेश पारित किया था, जिसका भंग अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना अभिकथित किया गया है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आरोपों को विरचित करते समय, मजिस्ट्रेट, यथास्थिति, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क, या उस संहिता के किसी अन्य उपबंध, या दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के अधीन आरोपों को भी विरचित कर सकेगा, यदि तथ्यों से यह प्रकट होता है कि उन उपबंधों के अधीन कोई अपराध हुआ है ।

32. **संज्ञान और सबूत** – (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

(2) व्यथित व्यक्ति के एकमात्र परिसाक्ष्य पर, न्यायालय यह निष्कर्ष निकाल सकेगा कि धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन अभियुक्त द्वारा कोई अपराध किया गया है ।

33. **संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन न करने के लिए शास्ति** – यदि कोई संरक्षण अधिकारी, संरक्षण आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा यथा निदेशित अपने कर्तव्यों का, किसी पर्याप्त हेतुक के बिना, निर्वहन करने में असफल रहता है या इनकार करता है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

34. **संरक्षण अधिकारी द्वारा किए गए अपराध का संज्ञान** – संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध कोई अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही तब तक नहीं होगी जब तक राज्य सरकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व मंजूरी से कोई परिवाद फाइल नहीं किया जाता है ।

35. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण** – इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन

सद्‌भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित या कारित होने के लिए संभाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संरक्षण अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी ।

36. **अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना** – इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में ।

37. **केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति** – (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात :–

(क) वे अर्हताएं और अनुभव, जो धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन किसी संरक्षण अधिकारी के पास होंगे ;

(ख) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन संरक्षण अधिकारियों और उसके अधीनस्थ अन्य अधिकारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(ग) वह प्ररूप और रीति जिसमें धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई घरेलू घटना रिपोर्ट बनाई जा सकेगी ;

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन संरक्षण आदेश के लिए मजिस्ट्रेट को कोई आवेदन किया जा सकेगा ;

(ङ) वह प्ररूप जिसमें, धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन कोई परिवाद फाइल किया जाएगा ;

(च) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (झ) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा पालन किए जाने वाले अन्य कर्तव्य ;

(छ) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाताओं के रजिस्ट्रीकरण को विनियमित करने के नियम ;

(ज) वह प्ररूप जिसमें इस अधिनियम के अधीन अनुतोषों की वांछा करने के लिए धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन कोई

आवेदन किया जा सकेगा और वे विशिष्टियां जो उस धारा की उपधारा (3) के अधीन ऐसे आवेदन में अंतर्विष्ट होंगी ;

(झ) धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन सूचनाओं की तामील करने के उपाय ;

(ञ) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन संरक्षण अधिकारी द्वारा दी जाने वाली सूचना की तामील की घोषणा का प्ररूप ;

(ट) परामर्श देने के लिए अर्हताएं और अनुभव जो धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन सेवा प्रदाता के किसी सदस्य के पास होंगे ;

(ठ) वह प्ररूप, जिसमें कोई शपथपत्र, धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन व्यथित व्यक्ति द्वारा फाइल किया जा सकेगा ;

(ड) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना है या किया जा सकेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	—	—	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. परांजपे - 1990	40	—	—	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	—	—	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	—	—	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	—	—	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	—	—	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	—	—	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	—	—	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	—	—	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	—	—	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	—	—	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	—	—	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	—	—	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	—	—	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	—	—	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	—	290	—
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	—	60	—

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 17552/69

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 195/- उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105